पंजीकृत
साधारण

AO (T) / Sri Maurya

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–I) उ0 प्र0, प्रयागराज

पत्रांकः–ए0एम0जी0– III / सम्पादन– I / प्रतिवेदन सं0 03 / 2021–22 / 27 / दिनांक 20.01.22

सेवा में

वित्त नियंत्रक,
सरदार बल्लभभाई पटेल,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ

विषयः– दिनांक 20.10.2021 से 21.12.2021 तक सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या –03 / 2021–22 का प्रेषण।

महोदय,

आपके विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20, एवं 2020–21 की अवधि के लेखा–अभिलेखों की उपर्युक्त तिथियों में सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित प्रतिवेदन इस आशय से प्रेषित है कि प्रतिवेदन के भाग–2 (अ) में शामिल प्रस्तर "01 से 09" एवं भाग II (ब) में शामिल प्रस्तर "01 से 18" की अनुपालन आख्या अगले उच्च अधिकारी की संस्तुति के साथ प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए। सभी अनुपालन आख्यायें आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों से समर्थित होनी चाहिए।

नियन्त्रक कार्यालय
क्रम सं0 13850
दि0 19/2/2022
मेरठ

भवदीय

20-1-22

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / सम्पादन–I

पत्रांकः–ए0एम0जी0– III / सम्पादन– I / प्रतिवेदन सं0 03 / 2021–22 / दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

हस्ता0 /–

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / सम्पादन–I

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

1880

लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय वित्त नियंत्रक, सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रामलौटन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2021 से 21.12.2021 तक, श्री राजीव श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2021 से 21.12.2021 तक, श्री मुन्नू लाल, सहायक पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 20.10.2021 से 21.12.2021 तक सम्पादित की गयी, जिसका पूर्ण पर्यवेक्षण श्री राम कुमार मिश्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.2021 से 21.12.2021 तक किया गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन वित्त नियंत्रक, सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक, विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। निरीक्षित इकाई द्वारा प्रदत्त गलत सूचना और/अथवा अप्रदत्त सूचना के संबंध में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है।

भाग–प्रथम (अ) परिचयात्मक

1. कार्यालय वित्त नियंत्रक, सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रामजी मिश्र, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2020 से 20.03.2020 तक, श्री दीपक कुमार तिवारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2020 से 20.03.2020 तक, श्री अजय कुमार, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक द्वारा दिनांक 04.03.2020 से 20.03.2020 तक सम्पादित की गयी, जिसका आंशिक पर्यवेक्षण श्री ए0 सी0 त्रिपाठी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2020 से 07.03.2020 तक तथा 12.03.2020 से 16.03.2020 तक किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।

2. प्रशासनिक विभाग का नाम जिससे इकाई सम्बद्ध है : उच्च शिक्षा विभाग
3. इकाई की श्रेणी (सिविल/निर्माण/स्वात्तय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/आदि: सिविल
4. डी.पी.सी.(एक्ट) की धाराएँ जिसके अन्तर्गत इकाई की लेखापरीक्षा समदित की गयी : 20
5. गत सम्प्रेक्षा से अब तक कार्यरत विभागाध्यक्ष का नाम एवं कार्यकाल
   (1.) डा. गया प्रसाद दिनांक–10.03.2016 से 14.07.2019 तक
   (2.) डा. आर.के मिततल दिनांक–15.07.2019 से अब तक
6. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक के कार्यालयाध्यक्ष के नाम एवं कार्यकाल
   (1) श्री अवध नारायण 01.04.2019 से 31.07.2020
   (2) डा0 बी0आर0सिंह 01.08.2020 से 04.08.2020
   (3) श्री सुशील कुमार गुप्ता 04.08.2020 से 03.12.2020
   (4) श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा 03.12.2020 से अब तक

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

7. लेखापरीक्षा अवधि में इकाई में निम्नानुसार मानव शक्ति उपलब्ध थी–

सवर्गवार पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	कमी / अधिक्य	कमी के प्रकरण में रिक्त रहने की अवधि (माह में)
शैक्षणिक संवर्ग	364	146	218	–
गैर–शैक्षणिक संवर्ग	204	141	63	–
कुल योग	568	287	281	–

9. पर्यावरण से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रारूप में दी गयी है:–

क्र. सं.	मदों के नाम जिने पर्यावरण प्रभावित होता है	वातावरण कितना प्रभावित है।
1.	वायु	शून्य
2.	जल	
3.	जमीन	
4.	ध्वनि	
5.	बैटरीज	
6.	प्लास्टिक	
7.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट	
8.	जोखिम वाले अपशिष्ट (रेडियोधर्मिता–ऐसे चिकित्सालयों में जहां कोबाल्ट मशीने प्रयोग में लायी जाती हैं)	
9.	परमाणु चिकित्सा–रेडियाधर्मी	

10. सूचना प्रौद्योगिक की लेखापरीक्षा (आई0टी0 लेखापरीक्षा)–

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	मूल्य	टिप्पणी
1.	हार्डवेयर	लगभग 235	रू0 38.14 लाख	31.03.20 के अनुसार मूल्य ह्रास घटाने के बाद
2.	साफ्टवेयर	प्रत्येक संकाय सदस्य के पास कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध		
3.	नेटवर्किंग	सभी लैन से जुड़े हैं		
4.	आई0टी0 अनुप्रयोग	––		
5.	आर0डी0बी0एम0एस0 डाटा बैक	शून्य		
6.	लेखापरीक्षा इकाई में कम्प्यूटरीकरण– विभागों में ई0–निविदा यातायात गणना	ई–टेण्डरिंग प्रकिया अपनायी जाती है		

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

11. केन्द्रीय / केन्द्र पुरोनिधानित / राज्य / गाह्य सहायतित योजना / कार्यक्रम की स्थिति निम्नवत थी:–

योजना का नाम	लेखाशीर्ष	स्वीकृतियां	आवंटन	व्यय	कार्यदायी संस्था
	शून्य				

12. फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति निम्नवत थी:–

योजना का नाम	लेखाशीर्ष	स्वीकृतियां	आवंटन	व्यय	कार्यदायी संस्था
	शून्य				

13. अप्रस्तुत अभिलेख परिसम्पत्ति पंजिका, अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपलना आख्या, निलंबन / निष्कासन पत्रावलियॉ, सी0ए0टेण्डर पत्रावली, एकिप योजना के बैंक स्टेटमेंट गाइडलाइन्स एवं मूल पत्रावली डेटा कलेक्सन की सूचनाएं।

14. सतत अनियमितताएं– शून्य

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्ष–1) उ0प्र0 प्रयागराज के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की स्थिति निम्नवत थी।

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का शीर्षक	प्रस्तर अनिस्तारित रहने का कारण
2 / 124 / 2019–20	2019–20	भाग–दो ब प्रस्तर सं0 1 से 12 तक		

15. निर्गत लेखापरीक्षा ज्ञापों पर इकाई को टिप्पणी की स्थिति–

लेखा परीक्षा ज्ञाप क्रम संख्या	निर्गत तिथि	पृष्ठ सं0 01से 994तक	टिप्पणियों की स्थिति		
			क्या समस्त बिन्दुओं पर टिप्पणियां प्राप्त है "हॉ" या "नहीं" लिखें	यदि आंशिक टिप्पणियां प्राप्त है तो जिन बिन्दुओं पर टिप्पणियां प्राप्त नहीं है उनका उल्लेख करें	टिप्पणियां अप्राप्त का कारण
1.	20.10.2021	01 से 44		----	
2.	21.10.2021	44 से 88			
3.	22.10.2021	89से 104			
4.	23.10.2021	105से 112		----	
5	25.10.2021	113 से 188			

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

6	26.10.2021	189 से 234		———	
7	27.10.2021	235 से 246			कोई
8	28.10.2021	247 से 282			
9	29.10.2021	283 से 296	.....हाँ.....		
10	30.10.2021	297 से 304			
11	01.11.2021	305 से 312		———	
12	02.11.2021	313 से 322			
13	08.11.2021	323 से 330			
14	09.11.2021	331 से 344			
15	11.11.2021	345 से 444		———	
16	12.11.2021	4545 से 496			
17	15.11.2021	497 से 530		———	
18	16.11.2021	531 से 558			
19	17.11.2021.	559 से 576			
20	18.11.2021	577 से 594		———	
21	.20.11.2021	595 से 596			
22	22.11.2021	597 से 608			
23	23.11.2021	609 से 624		———	
24	25.11.202	625 से 638			
25	26.11.2021	639 से 640		———	
26	27.11.2021	641 से 658			
27	29.11.2021	659 से 684			
28	30.11.2021.	685 से 688		———	
29	01.12.2021	689 से 718			
30	02.12.2021	719 से 732		———	
31	03.12.2021	733 से 738			
32	04.12.2021	739 से 772		———	
33	06.12.2021	773 से 788			
34	07.12.2021	789 से 834		———	
35	08.12.2021	835 से 884			
36	09.12.2021.	885 से 892			
37	10.12.2021	893 से 902		——	
38	13.12.2021	903 से 910			
39	14.12.2021	911 से 916			
40	15.12.2021	917 से 920			
41	16.12.2021	921 से 970			
42	17.12.2021	971 से 982			
43	18.12.2021	983 से 990			
44	19.12.2021	991 से 994			
45	21.12.2021	वार्ता			

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

16. इकाई के साथ प्रारम्भिक बैठक (इंट्री कांफ्रेंस) / समापन गोष्ठी (इक्जिट कांफ्रेंस) किये जाने की स्थितिः–

बैठक	दिनांक	बैठक न होने के कारण
प्रारम्भिक बैठक (इंट्री कांफ्रेंस)	21.10.2021	वित्त नियंत्रक का कार्यालय में उपलब्ध न होना।
समापन गोष्ठी (इक्जिट कांफ्रेंस)	21.12.2021	सम्पन्न

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग दो–(अ)

प्रस्तर सं0–01 संरक्षित वन क्षेत्र घोशित एरिया के प्रतिबंधित क्षेत्र पर कृषिविज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य पर रू0 133.35 लाख का निरर्थक ब्यय।

शासनादेश संख्या–4041 / xiv दिनांक 15.10.1954 के अनुसार अपर गंगा कैनाल (मेन) मील 0–181 तक की दोनों पटरिया संरक्षित वन क्षेत्र घोशित हैं। संरक्षित वन क्षेत्र घोशित एरिया में स्थाई कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए अथवा कोई भी गैर वानिकी कार्य किये जाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। इसके अलावां उल्लघंन या परमिट की कमी को एक दण्डनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा गया है।

शासनादेश संख्या 1881 / 67–कृषिअ–18–1500(3)116 दिनांक 11 अगस्त 2018 के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर–II की स्थापना हेतु 12.419 हेक्टेअर भूमि, ग्राम चित्तौड़ा परगना जौली जानसठ, तहसील जानसठ, मुजफ्फरनगर के लिए निःशुल्क आवंटन किया गया। आवंटित भूमि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक–01.10.2018 को हस्तानांतरित / टेकओर की गई।हस्तानांतरित भूमि पर विश्वविद्यालय के नियंत्राणाधीन नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर–।।, का प्रशासनिक भवन निर्मित है, जो किजनपद मुजफ्फरनगर से 17 किमी0 दूर अपर गंगा कैनाल के किनारे पर संरक्षित वन क्षेत्र घोशित एरिया के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवस्थित है।

सम्प्रेक्षा के दौरान इकाई के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अपर गंगा कैनाल (मेन) मील 0–181 के संरक्षित वन क्षेत्र घोशित एरिया के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय मेरठ,के नियंत्रणाधीन एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद नई दिल्ली,(आई0सी0ए0आर0) द्वारा वित्त पोशित नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर–।। के स्थाई निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक भवन (अत्याधुनिक तरीके से जिसमें विडीयो कान्फ्रेसिंग आदि की सुविधायुक्त), कृशक छात्रावास, प्रशिक्षण हाल, प्रदर्शन इकाईयां बाउन्ड्री वाल के निर्माणकार्य के लिए प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना ही(आई0सी0ए0आर0) को प्रेशित कर दिया गया।प्रस्तावित भवनों / इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय स्तर से तैयार किये गये ले–आउट प्लान पर लो0नि0वि0 के 2018 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल की दरों पर आगणन गठित कराया गया,जिस पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु आई0सी0ए0आर0 को प्रेशित पत्र के अनुरूपआई0सी0ए0आर0 द्वारा दिनांक 13.03.2019 को प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए रू0 135.35 लाख की धनराशि विभिन्न चार किश्तों में क्रमशः दिनांक–06.01.2020 को रू0 35.00 लाख, दिनांक–10.03.2021 रू0 20 लाख एवं दिनांक–25.03.2021 को रू0 58.35 एवं दिनांक–31.03.3020 रू0 20 लाख, सहित कुल रू0 133.35 लाख अवमुक्त की गई। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 के शासनादेश सं0975 / 67–कृषिअ–19–1500(15) / 10टी0सी0–5 दिनांक–05.07.2019 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर–II के प्रशसनिक भवन का निर्माण कार्य यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड से कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये। नामित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य माह फरवरी 2020 में प्रारंभ करके माह फरवरी 2021 तक पूर्ण कर लिया गया है। कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 100 प्रतिशत है जिस पर रू0 133.35 लाख की सम्पूर्ण धनराशि ब्यय कर ली गई है। निर्मित कृषिविज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन के हस्तानांतरण किये जाने सम्बन्धित भवन इन्वेन्ट्री कार्यदायी संस्था द्वारा

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110

विश्वविद्यालय को प्रेशित किया गया है, परंतु भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रशासनिक भवन, कृशक छात्रावास, सहित किसी भी निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने से फरवरी 2021 में आपत्ति दर्ज करते हुए स्पश्ट मना कर दिया गया है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रकरण वन विभाग द्वारा संज्ञान में लाये जाने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किया गया है (फरवरी 2021)। उत्तर मान्यनहीं है, क्योंकि संरक्षित वन क्षेत्र भूमि के प्रक्षेत्र पर निर्माण कार्य प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व प्रारंभ में ही भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली सेफारेस्ट प्रोटेक्टेड लैंड की क्लीयरेन्स के साथ ही निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाना चाहिये था। परिणामस्वरूप वैधानिक रूप से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चत किये बिना ही प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य कराया जाना अवैध है, जिसे निश्चित रूप से ढहाया जायेगा अतः निर्माण कार्य पर किया गया ब्यय रू0 133.35 लाख निरर्थक है।

अतःप्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग दो (अ)

प्रस्तर संख्या –02 मंहगाई भत्ते पर अधिक भुगतान 16.65 लाख एवं चिकित्सा बीमा का अनुचित भुगतान किया जाना।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने हेतु विभिन्न श्रेणी के सुरक्षाकर्मी उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड (फर्म) के माध्यम से लगाए जाने हेतु एक अनुबन्ध वित्त नियन्त्रक द्वारा दिनांक 03.10.2019 को सैनिक कल्याण बोर्ड से किया गया था।

क्र0सं0	गार्ड की श्रेणी	दर प्रति माह	संख्या
1	सुपरवाईजर	26202	03
2	गनमैन	24486	16
3	सिक्यूरिटी गार्ड	19909	77

प्रश्नगत सुरक्षाकर्मियों के दरों के विश्लेषण चार्ट से स्पष्ट था कि प्रश्नगत सुरक्षाकर्मियों को एक सरकारी कर्मचारी की भॉति वेतन, मंहगाई भत्ता, वर्दी भत्ता, बोनस, चिकित्सा बीमा, ग्रेच्युटी, भवन किराया, भवन किराए पर मंहगाई भत्ता एवं अवकाश भत्ता आदि दिया गया था। फर्म के पत्र दिनांक 14.09.2018 में एजीएम (आपरेशन) द्वारा स्पष्ट किया गया था कि उत्तर प्रदेश शासन के मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित आदेश उन पर भी लागू होंगे।

कोबिड 19 के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/2020–वे0आ0–1–314/दस–2020–8(एम)/2018 दिनांक 24.04.2020 द्वारा 01 जनवरी 2020 से देय मंहगाई भत्ते का भुगतान जून 2021 तक न करने का निर्देश जारी किया गया था।

अभिलेखों की जांच (नवम्बर, 2021) में पाया गया कि उक्त सुरक्षाकर्मियों को जिन्हें कि सरकारी कर्मचारियों की भॉति वेतन भत्तों का भुगतान किया जा रहा था। विश्वविद्यालय द्वारा मंहगाई भत्ता न देने सम्बन्धी शासन के प्रश्नगत आदेशों की अनदेखी करते हुए सम्पूर्ण प्रतिबन्धित अवधि (जनवरी 2020 से जून 2021) के दौरान वेतन पर एवं भवन किराया भत्ते पर मंहगाई भत्ते की पुनरीक्षित/बढी हुयी दर से भुगतान कर दिया गया। परिणामस्वरूप वेतन पर संलग्न विवरणानुसार देय मंहगाई दर से ₹15.60 लाख का अधिक भुगतान एवं इसी प्रकार भवन किराया भत्ते पर देय मंहगाई दर से ₹1.05 लाख का अधिक भुगतान अर्थात् कुल ₹16.65 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

चूंकि विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाए गए सुरक्षाकर्मी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी थे जिसके कारण वे सभी मुफ्त सैन्य चिकित्सा सुविधाओं से आच्छादित थे। ऐसी स्थिति में 3.25 प्रतिशत की दर चिकित्सा बीमा का भुगतान भी प्रतिमाह बिना किसी आधार के किया गया। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार भुगतान न करने पर ₹16.65 लाख का अतिरिक्त भार एवं चिकित्सा बीमा का अनुचित भुगतान किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर, 2021) कि मंहगाई भत्ते पर रोक केवल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों हेतु लागू थे। विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में आगे स्वीकार किया कि भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्ति बाद एक निश्चित धनराशि जमा कर चिकित्सा सुविधाओं से आच्छादित हो जाते हैं।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विश्वविद्यालय भी एक शासकीय विभाग के अन्तर्गत आता है, जहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड (निगम) के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की भाँति वेतन एवं भत्ते आदि भुगतान करके सेवाएं प्राप्त की गयी। साथ ही सैनिक कल्याण बोर्ड के एजीएम (आपरेशन) द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मंहगाई भत्ते के आदेशों के मानने हेतु सितम्बर 2018 में सहमति भी दे दी गयी थी।

इस प्रकार, सुरक्षा कर्मियों पर मंहगाई भत्ते की धनराशि ₹ 16.65 लाख का अधिक भुगतान एवं चिकित्सा बीमा का अनुचित भुगतान किए जाने का उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Excess payment of DA

Security guard						Gunman					Supervisor					
Month	Due DA	Drawn DA	Difference	No.	Excess payment	Due DA	drawn DA	Difference	No.	Excess payment	Due DA	drawn DA	Difference	No.	Excess payment	Total Excess paymen
Apr-20	2372.49	3542	1169.51	77	90052.27	2941.89	4392.7	1450.81	16	23212.96	3155.44	4711.53	1556.09	3	4668.27	117933.
May-20	2372.49	3542	1169.51	77	90052.27	2941.89	4392.7	1450.81	16	23212.96	3155.44	4711.53	1556.09	3	4668.27	117933.
Jun-20	2372.49	3542	1169.51	63	73679.13	2941.89	4392.7	1450.81	10	14508.1	3155.44	4711.53	1556.09	3	4668.27	92855.5
Jul-20	2372.49	3542	1169.51	63	73679.13	2941.89	4392.7	1450.81	10	14508.1	3155.44	4711.53	1556.09	3	4668.27	92855.5
Aug-20	2372.49	3542	1169.51	63	73679.13	2941.89	4392.7	1450.81	10	14508.1	3155.44	4711.53	1556.09	3	4668.27	92855.5
Sep-20	2372.49	3542	1169.51	63	73679.13	2941.89	4392.7	1450.81	10	14508.1	3155.44	4711.53	1556.09	3	4668.27	92855.5
Oct-20	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
Nov-20	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
Dec-20	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
Jan-21	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
Feb-21	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
Mar-21	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
Apr-21	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
May-21	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
Jun-21	2372.49	3706	1333.51	63	84011.13	2941.89	4595.44	1653.55	10	16535.5	3155.44	4928.98	1773.54	3	5320.62	105867.
Total																156009

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Excess payment of DA on HRA																
Security guard						Gunman					Supervisor					
Month	Due DA	Drawn DA	Difference	No.	Excess payment	Due DA	drawn DA	Difference	No.	Excess payment	Due DA	drawn DA	Difference	No.	Excess payment	Total
Apr-20	278.81	354.25	75.44	77	5808.88	346.31	439.27	92.96	16	1487.36	370.82	471.16	100.34	3	301.02	7597.26
May-20	278.81	354.25	75.44	77	5808.88	346.31	439.27	92.96	16	1487.36	370.82	471.16	100.34	3	301.02	7597.26
Jun-20	278.81	354.25	75.44	63	4752.72	346.31	439.27	92.96	10	929.6	370.82	471.16	100.34	3	301.02	5983.34
Jul-20	278.81	354.25	75.44	63	4752.72	346.31	439.27	92.96	10	929.6	370.82	471.16	100.34	3	301.02	5983.34
Aug-20	278.81	354.25	75.44	63	4752.72	346.31	439.27	92.96	10	929.6	370.82	471.16	100.34	3	301.02	5983.34
Sep-20	278.81	354.25	75.44	63	4752.72	346.31	439.27	92.96	10	929.6	370.82	471.16	100.34	3	301.02	5983.34
Oct-20	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
Nov-20	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
Dec-20	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
Jan-21	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
Feb-21	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
Mar-21	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
Apr-21	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
May-21	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
Jun-21	278.81	370.6	91.79	63	5782.77	346.31	459.54	113.23	10	1132.3	370.82	492.9	122.08	3	366.24	7281.31
Total																104659

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (अ)

प्रस्तर संख्या–03 सेवा प्रदाता पर ₹ 76.98 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित न किया जाना।

विश्वविद्यालय में श्रमिकों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु दिसम्बर 2019 में ई–निविदा प्रकाशित की गयी थी, जिसमें मेसर्स अलखनन्दा एसोसिएट्स, मेरठ को चयनित किया गया था। प्रश्नगत फर्म के साथ इकाई ने दिनांक 19.03.2020 को अनुबन्ध निष्पादित किया था। उक्त अनुबन्ध पत्र में निहित शर्त के अनुसार if the contractor violets any of the terms and conditions of this agreement, a penalty leading to a deduction up to maximum of 10 % of the total amount of bill.

वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की अवधि में मजदूरों की आपूर्ति के एवज में उसके द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 769.80 लाख का भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को भुगतान करते समय अनुबन्ध की निर्धारित शर्तों की अनदेखी की गयी जबकि सेवा प्रदाता द्वारा अनुबन्ध की कई शर्तों[1] का अनुपालन ही नही किया गया था, यहॉ तक कि उसके द्वारा श्रमिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई के अंशदान को भी समय पर नही जमा किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा फर्म पर उक्त अनुबन्ध पत्र में निर्धारित अर्थदण्ड 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 76.98 लाख भी अधिरोपित न कर उसे अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

आगे जांच में पाया गया कि अनुबन्ध दिनांक 10.03.2021 तक ही प्रभावी था। जेम के माध्यम से श्रमिकों की सेवाएं प्राप्त करने के शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद पुनः उसी फर्म को बिना किसी निविदा प्रकिया के अनुचित रूप से समय विस्तार करते हुए अनुबन्धित कर लिया गया जबकि पूर्व की अनुबन्धित प्रश्नगत शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन तक उक्त फर्म द्वारा नही किया गया था।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट था कि विश्वविद्यालय येन केन प्रकारेण बार–बार उसी फर्म को अर्थात मेसर्स अलखनन्दा एसोसिएट्स मेरठ को ही कार्य दिया गया। क्योंकि निविदा प्रकिया के पूर्व भी मेसर्स अलखनन्दा एसोसिएट्स और जब निविदा प्रकिया अपनायी गयी तो पुनः मेसर्स अलखनन्दा और जब जेम का आदेश आया तो बिना कोई प्रकिया अपनाए मेसर्स अलखनन्दा एसोसिएट्स को ही समय विस्तार दिया गया।

---

1 1- Contractor did not submit detail of the names, parentage, residential address, etc. of the persons deployed by him in the presises, for the purpose of proper identification of the employees along with police verification.

2- Contaracot did not maintain muster roll at university premises which shall be open for inspection and checking by the authorised officers of university.

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

अनुबन्ध की शर्तें सेवा प्रदाता द्वारा पूरी न किए जाने का प्रकरण इंगित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर, 2021) गया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

सेवाप्रदाता पर ₹ 76.98 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित न किए जाने का उक्त प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग दो (अ)

प्रस्तर संख्या–04 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पशुओं की बीमारियों की जांच की एकमात्र आधुनिक प्रयोगशाला पर अलाभकारी व्यय ₹ 261.00 लाख।

क–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पांच–5 भाग –1 के प्रस्तर 162 एवं 169 के अनुसार कोषागार से धन तभी आहरित किया जाना चाहिए जब उसके तुरन्त भुगतान की आवश्यकता हो। धन उतना ही आहरित किया जाना चाहिए जिसके तुरन्त व्यय की आवश्यकता हो।

बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 174 के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया था कि कोषागार से धनराशि तभी आहरित किया जाना चाहिए जब उसकी तुरन्त आवश्यकता हो अन्यथा की स्थिति में इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

उक्त दोनो प्रावधानों से स्पष्ट था कि कोषागार से धनराशि को आहरित करके उसे सरकारी खातों से अलग कर बैंक में पार्क नही किया जाना चाहिए।

शासन द्वारा पशु बीमारियों की जांच हेतु ऐसी अतिमहत्वपूर्ण आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया था जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं नही थी ना ही ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध थी जिसके किसानों के पशुओं के रोगों की जांच की जा सके।

शासनादेश संख्या 158/12–3–2018–100 (08)/2018 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म 800–अन्य व्यय 02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0214 सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में Establishment of advance diagnostic laboratory for identification of livestock diseases in western U.P. हेतु मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य मद में ₹100 लाख एवं मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹ 150 लाख सहित कुल ₹ 250 लाख की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ जारी की गयी थी कि

उक्त धनराशि के आहरित/व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजंट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों का पालन आवश्यक होगा।

स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके बैंक खातों में न जमा की जाय, यह कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जाएगा।

इसी प्रकार, कृषि निदशालय के पत्रांक दिनांक 07.06.2018 द्वारा ₹ 41 लाख प्राप्त हुये थे।

प्रश्नगत प्राप्त धनराशि ₹ 291 लाख का व्यय निम्नांकित मदों मे प्रस्तावित था।

क्र0सं0	कार्य विवरण	धनराशि ₹ लाख में
1	प्रयोगशाला के जीर्णोद्धार हेतु	30.0
2	आवश्यक उपकरण	251.00
3	केमिकल्स, ग्लासवेयर, प्लास्टिक पेयर एवं अन्य	10.00
	योग	291.00

अभिलेखों की जांच (नवम्बर, 2021) में पाया कि परियोजना अन्वेषक द्वारा दिनांक 30.03.2018 को 30.00 लाख दैनिक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस को उनके प्रारम्भिक आगणन के आधार पर स्थानान्तरित करने एवं उक्त प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अवशेष धनराशि बिना बिल/वाउचस अर्थात बिना तात्कालिक आवश्यकता के कोषागार से आहरित करके बैंक खाते में रखना प्रस्तावित किया गया था। जिसके कारण प्रश्नगत धनराशि ₹ 220.00 लाख अनुचित रूप से अर्थात् उक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर कोषागार से आहरित करके विश्वविद्यालय के सामान्य खाते में अन्तरित कर दी गयी (मार्च, 2018)। स्रोत पर बिना कोई कर काटे धनराशि ₹ 30.00 कार्यदायी को हस्तांतरित कर दी गयी।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

इसी प्रकार, कृषि निदेशालय के पत्रांक दिनांक 07.06.2018 द्वारा ₹ 41 लाख प्राप्त धनराशि को भी 07 मार्च 2019 को विश्वविद्यालय के खाते में अन्तरित कर दिया गया।

आगे जांच में पाया गया कि प्रश्नगत धनराशि फरवरी 2020 तक शासकीय खातों से अलग कर लगभग 23 माह बैंक खातों में अवरूद्ध करके ब्याज अर्जित की गयी जिसका समायोजन भी नही किया गया। धनराशि व्यय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 18 माह बाद प्राप्त की गयी इसके अतिरिक्त तकनीकी समिति द्वारा भी एक वर्ष से अधिक समय प्रकरण निस्तारण में लिया गया। शासन द्वारा धनराशि के एकमुश्त आहरण पर प्रतिबन्ध था फिर भी शासन के निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए बिना बिल/वाउचर अर्थात बिना किसी तात्कालिक आवश्यकता के प्रश्नगत धनराशि आहरित करके अवरूद्ध कर ली गयी।

जांच में पाया गया कि शासन द्वारा धनराशि का डायवर्जन दूसरे मद में पूर्ण प्रतिबन्धित होने के बावजूद पोल्ट्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिग सेन्टर का विज्ञापन, विवि परिसर में सेनेट्री वर्क्स वाटर कूलर रिपेरिंग सामग्री की आपूति एवं विवि परिसर में साफ–सफाई आदि हेतु दर अनुबन्ध के विज्ञापनों पर ₹ 96253 का अनुचित भुगतान मार्च 2019 में दैनिक जागरण एवं अमर उजाला को तथा इसी प्रकार विवि परिसर में साफ–सफाई कार्य हेतु दर अनुबन्ध आदि हेतु मेसर्स हिन्दुस्तान मीडिया वैन्चर्स को जनवरी 2020 में बिल संख्या 1803460692 दिनांक 01.01.2020 के सापेक्ष अनुचित मदों पर ₹ 105840.00 का भुगतान इसी प्रोजेक्ट से कर दिया गया।

इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अतिमहत्वपूर्ण परियोजना में रूचि न लेने से परियोजना निर्धारित समय से पूर्ण नही की जा सकी। जिसके कारण शासन द्वारा किए गए पूँजी निवश का लाभ स्थानीय जनता विशेषकर किसानों एवं छात्रों को नही मिल सका। सरकार का किसानों आय दुगुनी करने का उद्देश्य भी निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। एक वर्ष की अवधि में पूर्ण की जाने वाली प्रश्नगत परियोजना लगभग चार वर्ष बाद भी पूर्ण नही की जा सकी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (दिसम्बर, 2021) कि पत्रावली तकनीकी समिति स्तर पर लम्बित रही जिसके कारण निविदा प्रकाशित करने एवं परियोजना कार्यों को समय पर पूर्ण नही किया जा सका। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि सिविल कार्यों को भी समय से पूर्ण नही किया जा सका।

इकाई का उत्तर सम्प्रेक्षा के बिन्दुओं की स्वतः पुष्टि करता है।

ख–आरकेवाई परियोजना के अन्तर्गत to look after the prevention and treatment aspects of various prevailing livestock diseases in this region. The farmers and livestock keepers would be direct beneficiaries by saving prevailing diseases. के उद्देश्य से Establishment of advance diagnostic laboratory for identification of live-stock diseases in western UP शासनादेश संख्या 158/12.3.2018.100(08)/2018 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा ₹ 250 लाख की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी थी। वर्ष 2018.19 में कुछ धनराशि और स्वीकृत होने के कारण उपकरण मद में ₹ 51.00 लाख 75 अदद उपकरणों हेतु प्रावधानित हो चुकी थी। विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न विवरणानुसार माह फरवरी 2020 से सितम्बर 2021 के मध्य ₹ 250.50 लाख के उपकरण विभिन्न फर्मों से क्रय कर उन्हें भुगतान किया गया था।

अभिलेखों जांच (नवम्बर, 2021) में पाया गया कि ₹ 291.00 करोड़ का प्रश्नगत परियोजना का प्रस्ताव बिना उपकरणों के विशिष्टीकरण निर्धारित किए स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। ऐसी स्थिति में उपकरणों पर व्यय होने वाली धनराशि का सही आकलन करना संभव नही था। अत्यन्त कीमती एवं महत्वपूर्ण उपकरणों के सत्यापन हेतु विशेषज्ञों की टीम तक गठित नही की गयी थी। आपूर्तित उपकरणों के अधोमानक

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

निष्पादन क्षमता की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता। उक्त तथ्यों से स्पष्ट था कि विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी धन को व्यय करते समय वित्तीय औचित्य के मानकों की अनदेखी की गयी।

आगे जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत ₹ 250.50 लाख के उक्त महत्वपूर्ण उपकरणों के आपूर्ति आदेश फर्म से किसी प्रकार का अनुबन्ध निष्पादित किए बिना जारी कर दिए गए।

उक्त विशिष्ट उपकरणों के संचालन हेतु फर्मो द्वारा प्रशिक्षण आदि, उनके स्पेयर पार्टस आदि की आपूर्ति एवं उनके रखरखाव हेतु कोई अनुबन्ध आदि भी नही किया गया। तीन वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी उक्त परियोजना प्रारम्भ नही की जा सकी थी।

आगे पाया गया कि प्रयोगशाला के संचालन हेतु दो नियमित प्रयोगशाला सहायक, दो नियमित तकनीशियन, एक सफाई कर्मचारी एवं एक लिपिक की कम से कम आवश्यकता थी किन्तु मानव संसाधन की व्यवस्था सम्प्रेक्षावधि तक विश्वविद्यालय द्वारा नही की गयी जिसके कारण क्रयित उपकरण एवं मशीनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नही किया जा सका था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (दिसम्बर, 2021) कि उक्त अतिमहत्वपूर्ण प्रयोगशाला के संचालन हेतु मानव संसाधन की तैनाती अनिवार्य थी जो नही हो सकी तथा यह भी स्वीकार किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई प्रयोगशाला नही है जिससे पशुओं के बीमारियों की जांच की जा सके।

इकाई का उत्तर सम्प्रेक्षा के बिन्दुओं की स्वतः पुष्टि करता है।

इस प्रकार, ₹ 261.00 लाख की धनराशि शासकीय खातों से अलग करके बैंक खातों में 30 माह से अधिक समय तक अवरूद्ध रखने तथा अर्जित व्याज का समायोजन न किए जाने एवं मानव संसाधन की तैनाती न होने से ₹ 250.50 लाख के क्रयित उपकरण निष्क्रिय रहने परिणामस्वरूप अतिमहत्वपूर्ण आधुनिक प्रयोगशाला का सफल संचालन न हो पाने का उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

संलग्नक

Establishment of advance diagnostic laboratory fpr identification of live-stock diseases in western UP
List of scientific equipment

Sl. N0.	Bill/ Challan/ Invoice No.	Date	Name of Equipment	Name of Firm	Amount in Rs.
1	019	03.09.20	Slide War.Table etc.	M/S BIOGEN SCIENTIFIC"MEERUT	293790.00
2	020	03.09.20	HOT AIR OVEN etc.	M/S BIOGEN SCIENTIFIC"MEERUT	86625.00
3	2734	17.02.20	Waste Container etc.	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	455267.00
4	100004719	05.10.20	Moleculer imager Gel etc.	Genetix Biotech Asia Pvy.Ltd. New Delhi	898800.00
5	100004653	28.09.20	SPECTROPHOTOMETER etc.	Genetix Biotech Asia Pvy.Ltd. New Delhi	811415.00
6	100004652	28.09.20	Touch Cycler etc.	Genetix Biotech Asia Pvy.Ltd. New Delhi	375000.00
7	1589	18.11.20	LMBR50LX	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	1770000.00
8	100005397	10.11.20	PCR Detection System etc.	Genetix Biotech Asia Pvy.Ltd. New Delhi	1733550.00
9	100005394	10.11.20	Liquid Nitrogen Container ect.	Scientific and Digital Systema New Delhi	60165.01
10	5396	10.11.20	Eletrophoretic	Scientific and Digital Systema New Delhi	154777.00
11	5392	10.11.20	Mini-sub cell gel etc.	Scientific and Digital .Systema New Delhi	365786.01
12	5393	10.11.20	Mini-protean etc.	Scientific and Digital Systema New Delhi	421000.00
13	1592	18.11.20	Dual wave length	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	92276.00
14	1591	18.11.20	Electronic weighing	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	90000.00
15	1595	19.11.20	Steripette	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	33056.00
16	1594	19.11.20	Spinix	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	11204.00
17	1593	18.11.20	IFMSO ICE	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	140800.00
18	244	20.01.21	AUTOPSY TABLE	York Scientific Industries pvt.ltd. Ghaziabad	582400.00
19	243	20.01.21	Microslide etc.	York Scientific Industries pvt.ltd. Ghaziabad	166285.00
20	241	20.01.21	Autopsy etc.	York Scientific Industries pvt.ltd. Ghaziabad	139104.00
21	242	20.01.21	Tissue Flotation Bath etc.	York Scientific Industries pvt.ltd. Ghaziabad	43220.00
22	10824868	23.01.21	Dell Intel Core	GeM KESAR ENTERPRISES Meerut	101992.50
25	1805	12.12.20	Phenol.etc.	Macflow Engineering pvt.Ltd.	199495.00

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

				Delhi	
26	2353	11.02.21	Transferpette S-12	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	92098.0043
27	2354	11.02.21	Transferpette S-12	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	80185.00
28	2358	11.02.21	Microliter Pipette	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	21240.00
29	1930	28.12.20	Multiwell plate shaker	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	53308.00
30	2357	11.02.21	Microliter Pipette	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	21240.00
37	01090	19.03.21	Verterinary Hematology etc.	SymBio Scientific Pvt.Ltd. New Delhi	1227000.00
42	1058	07.09.21	Elisa Reader Filter	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	1637250.00
43	1193	21.09.21	Trinoculer Inverted Microscope	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	542000.00
44	0738	30.07.21	LED Display	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	1230000.00
45	158	21.01.21	Color Meter-hunter Lab	Scientific and Digital Systema New Delhi	819000.00
47	997	03.03.21	Lap Top etc.	Kesar Enterprises Meerut	227700.00
48	996	03.03.21	Maxell MC	Kesar Enterprises Meerut	101000.00
49	018	03.09.20	Dalla Making Machin etc.	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	619416.00
50	060	15.02.21	Dicer etc.	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	1276300.00
51	065	01.03.21	Automatic Fat Analyzer etc.	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	1204546.06
52	080	17.03.21	Bag Filling Machine etc.	Macflow Engineering pvt.Ltd. Delhi	460900.00
53	222	10.03.21	Fruit & Vegetable Juicer etc.	Comptroller,University of Ag & Tech Meerut	108872.00
54	605	23.02.21	Foss NIRS etc.	FOSS India pvt,ltd. Mumbai	3850580.00
55		19.03.21	Texture Analyser etc.	Scientific and Digital Systema New Delhi	2460150.00
Total					

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग दो (अ)

प्रस्तर संख्या–05 171.74 लाख का अलाभकारी व्यय।

To produce value-added and innovative products from cereals, pulses, oilseeds, fruits and vegetables for income generation in university, quality evaluation of value added products for consumer acceptability and to oraganise development programme at Agro Pocessing Centre for rual youths, women and farmers in order to enhance their income etc., के उद्देश्य से अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म 800 अन्य व्यय 02 राष्ट्रीय विकास योजना (के0 60/रा0 40) 0214 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अन्तर्गत मूल्य सम्बर्द्धन आधारित एग्रो प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना हेतु वर्ष 2018–19 हेतु ₹ 500.00 लाख प्राविधानित करते हुए शासनादेश संख्या 533/12–3–2019–100(08)/2018 दिनांक 24.05.2018 के माध्यम से ₹ 205.20 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय के निवर्तन में रखे जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि आहरण वितरण अधिकारी कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही करेंगे ना कि आहरित करके बैंक में जमा करेगें। प्रश्नगत धनराशि का व्यय दिनांक 30.09.2019 तक किया जाना अनिवार्य था, जिसका उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात विश्वविद्यालय को द्वितीय किश्त प्राप्त करनी थी। स्वीकृत धनराशि में सहायता अनुदान सामान्य ₹ 25.20 लाख एवं पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु ₹ 180.00 लाख सम्मिलित थे। सम्प्रेक्षावधि तक प्रश्नगत धनराशि में से ₹171.74 लाख व्यय किए जा चुके थे तथा ₹33.46 लाख सम्प्रेक्षावधि तक व्यय नही हो सके थे। अभिलेखों की जांच (नवम्बर, 2021) में पाया गया कि

1. अगस्त 2019 में कुलपति द्वारा ₹ 175.20 लाख कोषागार से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसे आहरित करके उक्त शासनादेश के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए तथा वित्तीय प्रावधानों के विपरीत जाकर बैक खाते में अंतरित कर ली गयी।
2. अक्टूबर 2019 में ₹ 150 लाख के 88 अदद विभिन्न उपकरणों के क्रय हेतु निविदा प्रकिया प्रारम्भ की गयी थी जिसमें पॉच निविदाएं विश्वविद्यालय को प्राप्त हुयी थी। तकनीकी बिड दिनांक 04.11.2019 को खोली गयी थी जिसमें सभी पॉचों फर्म मेसर्स बायोजेन साइंसटिफिक शास्त्री नगर मेरठ, मेसर्स कम्पोजिट लैब लाइन प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद, मेसर्स बजाज प्रासेस पाक लिमिटेक नोयड, मेसर्स लैब सेल्स कारपोरेशन नई दिल्ली, एवं मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एण्ड केमिकल दिल्ली को असफल घोषित करते हुए निविदा प्रकिया को रद्द कर दिया गया था जबकि कई फर्में विश्वविद्यालय में कई उपकरण पहले भी आपूर्ति कर चुकी थीं।
   आगे जांच में पाया गया कि उन्ही उपकरणों हेतु उन्ही विशिष्टियों के साथ पुनः निविदा प्रकिया करते हुए तकनीकी बिड दिनांक 31.01.2020 को खोली गयी और इस बार उन्ही असफल उक्त फर्मों को मेसर्स बायोजेन साइटिफिक शास्त्री नगर मेरठ, एवं मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एण्ड केमिकल दिल्ली को सफल घोषित कर दिया गया। स्पष्ट था कि समिति द्वारा तत्समय तार्किक निर्णय न लेने के कारण विश्वविद्यालय की प्रश्नगत परियोजना का विलम्बित किया गया।
3. कयित उपकरणों की अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नांकित उपकरण/मशीनें मात्र दो फर्मों के दरों के आधार पर क्रय किए गए जबकि न्यूनतम फर्मों के मानक का अनुपालन न करके विश्वविद्यालय को व्यापक तुलनात्मक दरों के लाभ से वंचित किया गया।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

क्र0सं0	उपकरण का नाम	फर्म का नाम	धनराशि ₹
1	दाल मिल	मेसर्स मॉ दुर्गा प्लास्टिक प्रोडक्ट कम्पनी अकोला	119900
2	फूट एवं वेजीटेएल स्लाइसर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	46964
3	ग्रेन ग्रेडर	मेसर्स मॉ दुर्गा प्लास्टिक प्रोडक्ट कम्पनी अकोला	59000
4	मैजे सेलर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	51920
5	मिनी राइस मिल	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	223020
6	नुडल मेकिंग मशीन	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	37960
7	आयल फिल्टर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	92040
8	पिकल मिक्सर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	99120
9	पोटैटो पीलर	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	33395
10	राइस पालीसर	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	83265
11	स्टीचिंग मशीन	मेसर्स मॉ दुर्गा प्लास्टिक प्रोडक्ट कम्पनी अकोला	9900
12	वइंग मशीन	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	20296
13	इलेक्ट्रानिक बेलेन्स	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	11564
14	इलेक्ट्रानिक बेलेन्स	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	12862
15	इलेक्ट्रानिक बेलेन्स	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	81420
16	टाटोक्लेव	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	68440
17	बेकिंग ओवन	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	58410
18	बैलेसिंग मशीन	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	56640
19	बीओडी इन्क्यूबेटर विद स्टैबिलाइजर	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शस्त्री नगर, मेरठ	73395
20	डीप फीजर विद स्टैबिलाइजर	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	75600
21	डिजिटल मेल्टिंग प्वाइंट आपरेटस	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	47250
22	डिजिटल पीएच मीटर	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	9345
23	फूट प्रेशर टेस्टर	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	43071
24	डिजिटल हयूमिडिटी थर्मामीटर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	1770
25	हीट सीलिंग मशीन	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	11564
26	मफल फरनेस	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	34220
27	रिफ्रेक्टोमीटर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	7257
28	सीव सेकर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	23010
29	आयल बाथ	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	24780
30	स्पेक्टोफोटो मीटर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	57820
31	वर्नियर कैलीपर्श	मेसर्स बायोजन साइटिफिक शास्त्री नगर, मेरठ	4725
32	डिजिटल टेम्पेरेचर मीटर	मेसर्स सन्दीप इन्स्ट्रूमेन्ट एवं केमिकल दिल्ली	1770
		योग	1581693

उक्त 32 उपकरण धनराशि ₹15.82 लाख आय करके मात्र दो फर्मो द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों के आधार पर क्रय किया गया था, जो अनुचित था।
इसके अतिरिक्त एक प्लास्टिक की फर्म से दाल मिल, स्टीचिंग मशीन एवं ग्रेन ग्रेडर पर क्रय किया गया।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

आगे जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उपकरण एवं मशीनों के कय हेतु तीसरी फर्म जो प्लास्टिक प्रोडक्ट की फर्म[2] थी, जोकि उपकरण/मशीनों की निर्माता फर्म नही हो सकती थी, को अनुचित रूप से डमी फर्म के रूप दिखाकर व्यापक तुलनात्मक दरों के लाभ से विश्वविद्यालय को वंचित कर दिया गया।

4. जुलाई 2020 में विश्वविद्यालय के मुख्य अन्वेषक द्वारा निविदा प्रकिया को दो भागो में विभाजित कर दिया गया निविदा एक जिसमें फूड प्रोसेसिंग मशीने एवं उपकरण रखे गये जिसकी धनराशि ₹ 40.00 लाख एवं निविदा दो जिसमें फुड एनालिसिस उपकरण रखे गए जिसकी धनराशि ₹ 90.84 लाख चिन्हित की गयी। आगे जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा नवम्बर 2020 में एवं दिसम्बर 2020 में बिना किसी समुचित आधार के अल्पकालीन निविदा के माध्यम से जेम से बाहर जाकर निविदा प्रकिया की गयी।
5. कार्यालय आदेश संख्या 1042 दिनांक 08.12.2021 द्वारा एनआईआर फूड एनालाइजर मेसर्स फास इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड से धनराशि ₹3850580 पर एवं टेक्सर एनालाईजर विद एसेसरीज मेसर्स साइंटिफिक एण्ड डिजिटल सिस्टम नई दिल्ली से धनराशि ₹2460150 पर कय की गयी थी। जिसमें अधिकांश उपकरण/मशीनें स्थापित दिखायी गयीं जबकि लागबुक के अभाव में उनकी कियाशीलता सम्प्रेक्षा में सत्यापित नही की जा सकी थी।
6. उक्त परियोजना पर चिन्हित धनराशि सितम्बर 2019 तक व्यय की जानी थी किन्तु सम्प्रेक्षावधि तक विश्वविद्यालय ₹ 33.46 लाख व्यय नही कर सका। विश्वविद्यालय की शिथिलता के कारण परियोजना की समयबद्धता प्रभावित हुयी।
7. विश्वविद्यालय द्वारा कय किय गए मशीनों/उपकरणों की मात्र निम्नांकित स्थापना रिपोर्ट सम्प्रेक्षा को उपलब्ध करायी गयीं।

क्र0सं0	उपकरण का नाम
1	बीओडी इन्क्यूबेटर
2	एबीबीई रिफेक्टोमीटर, पोटेटो पीलर
3	डीप फीजर, फूट प्रेशर टेस्टर
4	आयल बाथ, दलिया मशीन, पीएच मीटर
5	राइस पालीसर
6	स्पाइस ग्राइण्डर, वैक्यूम पैकिंग मशीन
7	फूट कशर, सेन्टीफयूज, आयल फ
8	थर्मो एरामीटर
9	पाउच सीलिंग मशीन, वाइटनेश मीटर
10	प्रोटीन स्टीमेशन सिस्टम
11	आटोमेटिक फैट एनालाइजर
12	आटोमेटिक प्रोटीन एनालायजर विद कम्प्यूटर प्रिन्टर
13	फाइबर इक्सटेक्शन सिस्टम विद कम्प्यूटर सिस्टम
14	वाटर बाथ, बिस्कोमीटर, राइस ग्राइण्डर
15	बैग फिलिंग मशीन

8. प्रश्नगत मशीनों/संयत्रों/उपकरणों की [illegible] गारण्टी की शर्तें एवं उनके पार्ट्स आदि की आपूर्ति तथा उनके [illegible] [illegible] प्रशिक्षण आदि की सेवा शर्तें समाहित करते हुए आपूर्तिकर्ता फर्मों [illegible] अनुबन्ध निष्पादित किये बिना इण्डेटर द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किए गए [illegible]।

[2] M/s Maa Durga Plastic Products, J-19MIDC, [illegible] Akola (MS)

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

9. जो भी संयत्र/मशीनें आदि रखी गयी हैं उनमें किसी में भी न तो मोटर स्टार्टर आदि स्थापित होने के साक्ष्य थे एवं ना ही उनकी लागबुकें आदि थीं। ऐसी स्थिति में मशीनों/संयत्रों की स्थापना रिपोर्ट सम्प्रेक्षा में सत्यापित नही की जा सकी थीं।
10. स्पेलर, फ्लोर मिल, धान मिल जैसे अत्यधिक विद्युत खपत वाली मशीनों हेतु विश्वविद्यालय को विभाग का विद्युत भार पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक था किन्तु ऐसा नही किया गया था जिसके बिना मशीनों का संचालन संभव नही था।
11. आगे जांच में यह भी पाया गया कि उक्त परियोजना हेतु आपूर्तित अधिकांश उपकरण एवं मशीनें जैसे स्पेलर आदि अभी भी पैक्ड पडे हुये थे एवं जो कुछ उपकरण अनपैक्ड किए गए थे उन्हें भी जमीन से फिक्स नही किया गया था। जिससे स्पष्ट था कि स्थापना की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण नही करायी गयी एवं बिना मशीनों/उपकरणों को पूर्ण स्थापित किए एवं तकनीकी वेरीफिकेशन कराए फर्म को भुगतान कर दिया गया जो अनुचित था।
उक्त तथ्यों से स्पष्ट था कि परियोजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग करते समय जहां एक ओर विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों के प्रावधानों की अनदेखी की गयी वहीं दूसरी ओर निर्धारित अवधि के 26 माह बाद भी प्रश्नगत परियोजना का प्रथम फेज तक पूर्ण नही कर सका। साथ ही परियोजना के निर्धारित उक्त उद्देश्यों में किसी एक भी पूर्ति विश्वविद्यालय नही कर सका। परिणामस्वरूप शासन द्वारा किए गए पूँजी निवेश एवं परियोजना के लाभ से छात्र, किसान एवं स्थानीय जनता वंचित रही तथा विश्वविद्यालय अपने आय के स्रोतों पर बृद्धि करने में बिफल रहा। इसप्रकार, परियोजना पर किया गया व्यय ₹ 171.74 लाख अलाभकारी रहा।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर, 2021) गया कि संयत्र/मशीनों को चलाने की कोई वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था नही है, इन्हें चलाने हेतु विद्युत भार में बृद्धि हेतु कार्यवाही की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कराकर ही मशीनों का संचालन किया जाएगा।

उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत परियोजना में उक्त भारी धनराशि व्यय होने के पश्चात उसे प्रारम्भ नही किया जा सका जिसके कारण बेरोजगार युवक, कृषक, महिला व छात्रों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति न होने के साथ साथ विश्वविद्यालय अपने आय के स्रोत भी बढाने में विफल रहा।

आगे यह भी अवगत कराया गया था कि क्रय किए गए समस्त उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं।

उत्तर मान्य नही है क्योकि तथ्यों से स्पष्ट था कि अधिकांश उपकरण पैक्ड स्थिति में एक कक्ष में भण्डारित थे।
इस प्रकार, ₹ 171.74 लाख के अलाभकारी व्यय का उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग दो (अ)

प्रस्तर संख्या–06 बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेन्टर आफ एक्सीलेन्सी आफ बासमती राइस की 5.15 करोड की परियोजना में विश्वविद्यालय द्वारा रूचि न लिए जाने, व्यापक शिथिलता बरतने एवं शासन के निर्देशों की अनदेखी करने के कारण निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल होना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत Development of knowledge hub basmati rice, capacity builfing of basmati rice stakeholders, Bio-intensive management of biotic and a-biotic stress and development of good management practices in basmati rice, identification of hotspot regarding pest disease, pesticide residues and heavy metals, to study the impact of climate change on basmati rice production, and quality of basmati rice अर्थात् बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेन्टर आफ एक्सीलेन्सी आफ बासमती राइस की स्थापना करने उद्देश्य से शासनादेश संख्या 34/2018/1937/67–कृषिअ–18–1500 (62)/18 दिनांक 27.08.2018 द्वारा ₹ 515.25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी थी। वर्ष 2018–19 में प्रश्नगत परियोजना हेतु ₹ 200.00 लाख का प्रावधान करते हुए ₹100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी थी (अगस्त, 2018)। चूंकि यह समयबद्ध परियोजना थी जिसे चरणबद्ध तरीके से पॉच वर्षों में पूर्ण किया जाना था। अतः उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक किया जाना अनिवार्य था।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पांच–5 भाग –1 के प्रस्तर 162 एवं 169 के अनुसार कोषागार से धन तभी आहरित किया जाना चाहिए जब उसके तुरन्त भुगतान की आवश्यकता हो। बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 174 के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया था कि कोषागार से धनराशि तभी आहरित किया जाना चाहिए जब उसकी तुरन्त आवश्यकता हो अन्यथा की स्थिति में इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

अभिलेखों की जांच (नबम्बर, 2021) में पाया गया कि दिनांक 28.03.2019 को विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत ₹ 100.00 लाख की धनराशि बिना बिल/वाउचर के उक्त वित्तीय एवं बजट मैनुअल के प्रश्नगत प्रावधानों के विपरीत जाकर विश्वविद्यालय द्वारा कोषागार से आहरित करके खाते में अंतरित कर ब्याज अर्जित की गयी। अन्ततः बिना कोई व्यय किए आहरित धनराशि पुनः राजस्व शीर्ष में दिनांक 09.09.2019 को जमा कर दी गयी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत परियोजना के संचालन में रूचि न लिए जाने/शिथिलता बरतने के कारण वित्तीय वर्ष में प्रावधानित धनराशि ₹ 200.00 लाख का उपयोग करने में विश्वविद्यालय पूर्णतः विफल रहा जिससे प्रश्नगत समयबद्ध परियोजना की स्थापना बाधित हुयी। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश संख्या 5/2020/194/67–कृषिअ–20–1500(62) /16 टीसी दिनांक 12.02.2020 को एक बार पुनः ₹ 50.00 लाख की स्वीकृति इसी परियोजना हेतु इस शर्त के साथ जारी की गयी कि धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2020 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाय ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से हो जाए और इसके व्यय का उत्तरदायित्व निदेशक शोध एवं कुलपति का निर्धारित किया गया था।

जांच में पाया गया कि प्रयोगशालाओं/कक्षों के रिनोवेशन एवं फर्निशिंग आदि कार्यों को सम्पन्न कराने के उद्देश्य से ₹ 45.00 लाख की धनराशि नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0समाज कल्याण निगम को बिना स्रोत पर करों की कटौती किए दिनांक 31.03.

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

2020 को हस्तांतरित कर दी गयी जिससे सम्बन्धित वित्तीय भौतिक प्रगति आख्या सम्प्रेक्षा में उपलब्ध न कराए जाने के कारण धनराशि के उपयोग का सत्यापन नही हो सका। एक बार पुनः अवशेष धनराशि ₹ 5.00 लाख उपकरणों के क्रय करने में विश्वविद्यालय द्वारा रूचि न लिए जाने के कारण समर्पित करनी पडी।

शासनादेश संख्या 26 / 2020 / 1241 / 67–कृषिअ–20–1500(62) / 16 टीसी दिनांक 13.10.2020 द्वारा इसी परियोजना हेतु वर्ष 2020–21 में पुनः ₹ 100.00 लाख का प्रावधान करते हुए ₹ 25.00 लाख की स्वीकृति जारी की गयी। धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अनिवार्य रूप से किया जाना था। विश्वविद्यालय द्वारा उपकरणों की क्रय प्रकिया दिसम्बर 2020 में की गयी किन्तु पुनः विश्वविद्यालय द्वारा रूचि नही ली गयी और शिथिलता बरती गयी परिणामस्वरूप मार्च 2021 तक परियोजना हेतु चिन्हित 52 उपकरणों के सापेक्ष मात्र 18 उपकरण ही धनराशि ₹ 24.87 लाख व्यय करके क्रय किए जा सके थे और प्रश्नगत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित अवशेष धनराशि का उपयोग करने में पुनः विफल रहा। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना के समय पर पूर्ण करके स्थानीय जनता विशेषकर कृषको को उसका लाभ पहुँचाने हेतु शासन द्वारा हर संभव प्रयास किया गया किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक बार परियोजना में कोई रूचि नही ली गयी।

आगे जांच में यह भी प्रकाश में आया कि शासन द्वारा धनराशि का आवंटन वर्ष 2018–19 में हुआ था। इन तीन वर्षों (2018–21) में विश्वविद्यालय को परियोजना के कई महत्वपूर्ण कार्य चरणबद्ध तरीके[3] से पूर्ण कर लेने थे। किन्तु प्रश्नगत निर्धारित कोई भी कार्य विश्वविद्यालय द्वारा नही किए गए। परिणामस्वरूप कृषि की उक्त अतिमहत्वपूर्ण परियोजना विश्वविद्यालय द्वारा रूचि न लिए जाने के कारण शिथिलता की भेंट चढ गयी और स्थानीय जनता विशेषकर कृषक एवं छात्र परियोजना के लाभ से वंचित रहे। साथ ही यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय था कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परियोजना की प्रगति की भ्रामक सूचनाएं शासन को प्रेषित की गयीं जो कि गंभीर प्रकरण था। अन्ततः परियोजना को असफल करने वाले सम्बन्धितों की जांच करके उनके बिरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन के पत्र दिनांक 24.02.2021 के द्वारा कुलपति को निर्देश जारी किए गए, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा शासन के उक्त निर्देशों की अनदेखी की गयी और न तो कोई जांच की गयी एवं न ही किसी के बिरूद्ध कोई कार्यवाही ही की गयी। इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट था कि निकट भविष्य में भी इस परियोजना को गति देने की कोई संभावना नही थी।

उक्त उपकरणों के व्यय सम्बन्धी बिलों एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अधिकांश भुगतान उपकरणों के बगैर स्थापित (18 मे से 11 गैर स्थापित) एवं मानव संसाधन को बगैर प्रशिक्षित किए ही कर दिए गए थे जो अनुचित था। आपूर्तित उपकरणों के गारण्टी / वारण्टी सम्बन्धी अभिलेखों से स्पष्ट था कि अधिकांश उपकरणों की वारण्टी आदि भी समाप्त हो रही थी।

---

[3]प्रथम वर्ष बासमती राइस म्यूजियम, कै[illegible]र, सर्वे आफ बासमती राइस, दूसरे वर्ष में बासमती क्वालिटी एनालिसिस, [illegible]नेन्स, पेस्टीसाइड कम करने हेतु विश्लेषण, मालेक्यूलर एनालिसिस, प्रशिक्षण [illegible] में डेवलपमेन्ट आफ नालेज पोर्टल एवं बासमती राइस का साहित्य।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

क्र0सं0	उपकरण का नाम	संख्या	धनराशि ₹	स्थापना की स्थिति
1	110 एमएम डिस, 6 डिजिट एलईडी	01	23999.00	
2	आटोमैटिक पीएच मीटर	01	9500.00	
3	स्काइंसटेक हारिजेन्टल हैमिनर फ्लो कैबिनेट	01	76500.00	स्थापित
4	रेफ्रिजरेटेड सेन्ट्रीफ्यूज विद एलसीडी	01	283200.00	स्थापित
5	ब्रायोसाइंस इलेक्टिानिक वेइंग 220 जीएम	01	78300.00	स्थापित
6	आटोक्लेव वर्टिकल	01	110000.00	स्थापित
7	बीओडी इन्क्यूबेटर	04	300000.00	स्थापित
8	डिस्ले सेकिंग इन्क्यूबेटर	01	107998.00	स्थापित
9	थर्मो फिसर साइंसटिफिक डबल स्पेक्टोमीटर	01	470000.00	...
10	डीसी मोटर वर्टेक्स	01	16499.00	.....
11	ह्राट एअर ओवन	01	65000.00	.....
12	माइल्ड स्टील माइक्रो प्रोसेसर	01	19719.00	.....
13	वाटर प्यूरीफायर सिस्टम	01	490000.00	स्थापित
14	एलसीडी लाइट आदि	05	95390.00	.....
15	थ्रफिजरेटर	02	86000.00	.....
16	पीसीबी	03	99000.00	.....
17	लैपटाप	01	76000.00	.....
18	डेस्कटाप	01	79900.00	.....
	योग		2487005.00	

उक्त तालिका में जिन सात उपकरणों को स्थापित दिखाया गया था वह भी एक कक्ष में भण्डारित थे। अधिकांश उपकरण जैसे बीओडी इन्क्यूबेटर, आटोक्लेव आदि जिनके संचालन हेतु विभाग के विद्युत लोड को भी बढाया जाना चाहिए जिस हेतु सम्प्रेक्षावधि तक कोई कार्य नही किया गया था।

इस प्रकार ₹ 5.15 करोड की प्रश्नगत परियोजना विश्वविद्यालय द्वारा रूचि न लिए जाने, व्यापक शिथिलता बरतने एवं शासन के निर्देशों की अनदेखी करने के कारण निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगभग विफल हो चुकी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर, 2021) गया कि विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न महाविद्यालयों के कक्षों/प्रयोगशालओं को पूर्व से ही निर्धारित लोड के आधार पर विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा उपकरणों के प्राप्ति के पश्चात शीघ्र/अतिशीघ्र स्थापित कराकर उनकी निष्पादन क्षमता की जांच परख हेतु कार्यशील अवस्था में रखा गया है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि भारी विद्युत खपत वाले उपकरणों के क्रय होने पर विद्युत लोड को पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक था। जहॉ तक उपकरणों की स्थापित करने का प्रश्न है तो विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं अपने उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में अधिकतर कक्षों में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हे सकुशल स्थापित किया जाना संभव नही था। शासन के प्रश्नगत पत्र के अनुपालन में मुख्य अन्वेषक के विरूद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नही दिया गया।

बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेन्टर आफ एक्सीलेन्सी आफ बासमती राइस की ₹5.15 करोड की परियोजना में विश्वविद्यालय द्वारा

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

रूचि न लिए जाने, व्यापक शिथिलता बरतने एवं शासन के निर्देशों की अनदेखी करने के कारण निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त न कर पाने का उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (अ)

प्रस्तर सं0–07 1.25 लाख वर्गमीटर (12.419 हे0) वन क्षेत्र भूमि का अवैधानिक हस्तानान्तरण।

शासनादेश संख्या–4041/XIV दिनांक 15.10.1954 के अनुसार अपर गंगा कैनाल (मेन) मील 0–181 तक की दोनों पटरियां संरक्षित वन क्षेत्र घोषित हैं। संरक्षित वन क्षेत्र में स्थाई कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए/कोई भी गैर वानिकी कार्य किये जाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत भारत सरकार बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। इसके अलावां किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, नहीं देगा–कि किसी वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर अन्यथा किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए।
जिसके उल्लघंन या परमिट की कमी को एक दंण्डनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा गया है।
शासनादेश संख्या 61/1164/17–27–सिं–3139 एल/17 दिनांक 06 अगस्त 2018 के अनुसार स्थाई कृषि सम्बन्धी प्रदर्शनों एवं शोध कार्यों के लिये उपलब्ध करायी गयी प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर–II की स्थापना हेतु 12.419 हेक्टेअर भूमि ग्राम चित्तौड़ा परगना जौली जानसठ तहसील जानसठ, मुजफ्फरनगर के खसरा नम्बर 1 मि क्षेत्रफल 5.720 हेक्टेयर ग्राम खड़तौली स्थित खसरा न0 273,276,277,278,279,280,281, 282,285,286,289,290,291,294,295,298,299 सहित क्षेत्रफल 5.339 हेक्टेअर व बाग मिल्कियत सरकार 1.360 हेक्टेअर कुल भूमि 6.699 हेक्टेअर (5.720+6.699=12.419 हेक्टेअर) का निःशुल्क आवंटन अगस्त 2018 में किया गया। आवंटित भूमि का हस्तानान्तरण दिनांक 01 अक्टूबर 2018 को विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया गया।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, के नियंत्रणाधीन कृषि विज्ञान केन्द्र चित्तौड़ा की स्थापना, हेतु आवंटित एवं विश्वविद्यालय को हस्तानांतरित उपरोक्त गाटा संख्या सहित समस्त 12.419 हे0 भूमि, शासनादेश संख्या–4041/XIV दिनांक 15.10.1954 के अनुसार अपर गंगा कैनाल (मेन) मील 0–181 के अंतर्गत संरक्षित वन क्षेत्र घोषित एरिया के प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित है, जिसके प्रक्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा बिना शासन के संज्ञान में लाए ही केन्द्र के आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा प्रशासनिक भवन, कृषक छात्रावास, आवासीय भवनों, गोदाम, इम्पलिमेन्ट शैड, मेला ग्राउन्ड, बाउन्ड्रीवाल, ट्यूबवेल, तथा सम्पर्क मार्ग आदि का कार्य तथा कुल भूमि 1.25 लाख वर्गमीटर (12.419 हे0) के सापेक्ष 40954.93 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर फसल हेतु तथा 4311.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर पोन्ड हेतु निर्धारित किया गया है, शेष क्षेत्रफल का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर, मार्ग, एवं अन्य यूटिलीटी सर्विस हेतु ले–आउट प्लान में दर्शाया गया है। हस्तांतरित भूमि के प्रक्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य किये जाने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बगैर अवैधानिक रूप से भूमि का हस्तानान्तरण कर लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा हस्तान्तरित भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने हेतु भूमि हस्तानान्तरण की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत फरवरी 2021में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित एरिया के प्रक्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र मॉगे जाने पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया है। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि सम्बन्धित प्रकरण के संज्ञान में लाया पर भारत सरकार वन एवं

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन दिया गया था, परन्तु सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा आपत्तियॉ दर्ज करते हुए भूमि के किसी भी प्रकार के उपयोग में लाए जाने हेतु अनापत्ति आदेश देने से मना कर दिया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि गैर वानिकी कार्य हेतु नवसृजित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने सम्बंधित प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया जाना चाहिये था कि संबंधित भूमि वन संरक्षित क्षेत्र घोषित है। अतः परिणामस्वरूप जहॉ एक ओर स्थापित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का खतरा भी पैदा हुआ है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (अ)

प्रस्तर स0–08 स्रोत पर काटे जाने वाले टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 एवं लेबरसेस की धनराशि रू0 141.00 लाख के करों की कटौतियॉ सुनिश्चित नहीं किया जाना।

जी0एस0टी0 एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि बिक्री के समय ग्राहक से एकत्र किया जाता है, और व्यवसायी/पेशेवर द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। जी0एस0टी0 व्यय और लागत को जोड़ता है, जबकि टी0डी0एस0 आयकर की अंतिम गणना होने तक अस्थायी रूप से आय में कमी करता है। टी0डी0एस0 एक श्वेत अर्थव्यवस्था बनाने का एक प्रयास है, और यह कर रिटर्न दाखिल होने तक सरकार को अस्थायी धनराशि प्रदान करता है।

दिनांक 01 अक्टूबर 2018 को जारी अधिसूचना संख्या 50/2018 केन्द्रीय कर दिनांक 13 सितम्बर 2018 को लागू है जिसके अनुसार 01 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 एवं 01 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 सहित कुल 02 प्रतिशत जी0एस0टी0 स्रोत पर काटा जाना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार आयकर अधिनियम 194 (सी) के अनुरूप स्रोतों पर आयकर के नियमानुसर 02 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 की कटौती किये जाने का प्राविधान है। इसी क्रम में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या 28) दिनांक 19 अगस्त 1996 के अनुसार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम , 1996 के प्रयोजनों के लिए उपकर का उद्ग्रहरण और उद्ग्रहरण संग्रहरण किसी नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अनधिक किन्तु एक प्रतिशत से अन्नधिक ऐसी दर से किया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाले बृहद निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को समय–समय पर उपलब्ध करायी गई धनराशि संलग्न सारिणी–01 एवं 02 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को भुगतानित धनराशि के सापेक्ष स्रोत पर नियमानुसार निर्धारित दरों से जी0एस0टी/टी0डी0एस0/लेबरसेस आदि करों की धनराशियॉ की कटौती नहीं की गई।

@2%टी0डी0एस0

(8,38,19,000+19,81,86,000=28,20,05,000x@2%=56,40,100),@ 2%जी0एस0टी0,

(8,38,19,000+19,81,86,000=28,20,05,000x@2%=56,40,100),(1प्रतिशत सी0जी0एस0टी0,01प्रतिशतएस0जी0एस0टी0)

@01%लेबरसेस(8,38,19,000+19,81,86,000=28,20,05,000x@1%=28,20,051) सहित कुल कटौतियॉ (56,40,100+ 56,40,100+28,20,051= 1,41,00,251) किया जाना था, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त कटौतियों को सुनिश्चित किये बिना बृहद निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशियॉ कार्यदायी संस्थाओं को हस्तानांतरित कर दी गई, निर्धारित करों की कटौतियॉ सुनिश्चित किये बिना कार्यदायी संस्थाओं/ठेकेदारों को धनराशि के भुगतान का अर्थ व्यक्तिगत रूप से कार्यदायी संस्थाओं/ठेकेदारों को अनौचित्यपूर्ण लाभ पहुँचाया जाना है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि जी0एस0टी0, लेबरसेस का प्राविधान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्टीमेट में किया जाता है तथा कर योग्य धनराशि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जमा किया जाता है एवं भविष्य में

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

जी0एस0टी0 / टी0डी0एस0 / लेबर सेस की कटौतियॉ नियमानुसार की जायेंगी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि स्रोत परकरों की कटौतियॉ श्वेत अर्थव्यवस्था की संयोजक हैं, जिनका रिटर्न दाखिल करने तक अस्थाई लाभ सरकार को मिलता है। परिणामस्वरूप यदि उक्त करों की सभी कटौतियॉ भुगतान के समय पर सुनिश्चित करके ही उसी समय राजकोश में जमा की जाती तो इनकरों के समायोजन होने की समयावधि तक जो लाभ शासन को मिलता उस लाभ से शासन को वंचित होना पड़ा, और अस्थाई तौर पर मिलने वाले लाभ को व्यक्तिगत तौर पर कार्यदायी संस्थाओं को प्रदान कर दिया गया। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक–1

Date	Name Of K.V.K	Work Agency	Particular	Amount
14-01-2020	Amroha	U.P Project Crop. Ltd.	-	3500000
31-03-2020	Amroha	U.P Project Crop. Ltd.	-	2000000
27-11-2020	Amroha	U.P Project Crop. Ltd.	-	2000000
05-03-2021	Amroha	U.P Project Crop. Ltd.	-	1000000
22-03-2021	Amroha	U.P Project Crop. Ltd.	-	2000000
05-07-2021	Amroha	U.P Project Crop. Ltd.	-	854000
Gross Total				11354000

Date	Name Of K.V.K	Work Agency	Particular	Amount
04-01-2020	Sambhal	UPRNN Nigam	-	3100000
31-03-2020	Sambhal	UPRNN Nigam	-	2000000
05-03-2021	Sambhal	UPRNN Nigam	-	2000000
22-03-2021	Sambhal	UPRNN Nigam	-	6249000
Gross Total				13349000

Date	Name Of K.V.K	Work Agency	Particular	Amount
06-03-2019	Hapur	U.P Jal Nigam	-	5000000
31-03-2019	Hapur	U.P Jal Nigam	-	1414000
25-01-2020	Hapur	U.P Jal Nigam	-	4080000
03-03-2020	Hapur	U.P Jal Nigam	-	2855000
Gross Total				13349000

Date	Name Of K.V.K	Work Agency	Particular	Amount
04-01-2020	Ujhani	U.P Rajya Nirman	-	3500000
31-03-2020	Ujhani	U.P Rajya Nirman	-	2000000
27-11-2020	Ujhani	U.P Rajya Nirman	-	2000000
05-03-2021	Ujhani	U.P Rajya Nirman	-	1000000
22-03-2021	Ujhani	U.P Rajya Nirman	-	2000000
05-07-2021	Ujhani	U.P Rajya Nirman	-	900000
Gross Total				11400000

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

Date	Name Of K.V.K	Work Agency	Particular	Amount
06-03-2019	Shamli	Jal Nigam	-	5000000
05-09-2020	Shamli	Jal Nigam	-	944000
27-11-2020	Shamli	Jal Nigam	-	6461000
22-03-2021	Shamli	Jal Nigam	-	944000
Gross Total				13349000

Date	Name Of K.V.K	Work Agency	Particular	Amount
04-01-2020	M.Z.N II	U.P Project Crop	-	3500000
31-03-2020	M.Z.N II	U.P Project Crop	-	2000000
5-03-21	M.Z.N II	U.P Project Crop	-	2000000
22-03-21	M.Z.N II	U.P Project Crop		5835000
Gross Total				13335000

Date	Name Of K.V.K	Work Agency	Particular	Amount
16-01-2020	B.S.R	R.E.S		3500000
23-09-2021	B.S.R	R.E.S		4183000
Gross Total				7683000

संलग्नक–2
सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रोद्यौगिकी वि0वि0 मेरठ। 2019–20

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

क्र0सं0	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	आयकर (टी0डी0एस0) / सेस कटोतियों का विवरण	कोषागार बिल संख्या एवं दिनांक
1	25228000	यू0पी0स्टेट कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 मेरठ	केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना	शून्य	सं0 24 / 18.11.2019
2	4500000	यू0पी0स्टेट कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 मेरठ	सेन्टर आफ एक्सलेन्स आन बासमती राईस	शून्य	सं0 54 / 31.03.2020
3	3000000	यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 यूनिट 33	एगो प्रोसिसिंग यूनिट की स्थापना	शून्य	सं0 56 / 31.03.2020
	32728000				
			वर्ष 2020–2021		
1	10277000	यू0पी0स्टेट कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 मेरठ	केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना	शून्य	सं0 53 / 07.12.2020
2	6000000	यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 यूनिट	इसटबेलिसमेंट आफ रेफरल अनलेटिकल	शून्य	सं0 65 / 23.01.2021
3	13950000	यू0पी0स्टेट कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 मेरठ	6 के0वी0के0 के सेन्टर आफ एक्सिलेनस	शून्य	सं0 94 / 27.03.2021
4	70459000	यू0पी0स्टेट कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 मेरठ रू0 37200000.00 यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 रू0 14000000.00 यू0पी0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास रू0 19259000.00	7 के0वी0के0 का सुदृढीकरण	शून्य	सं0 100 / 27.03.2021
5	42000000	यू0पी0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास रू0 15198000.00 यू0पी0 आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड रू0 26802000.00	7 के0वी0के0 का सुदृढीकरण	शून्य	सं0 101 / 27.03.2021
6	8000000	यू0पी0स्टेट कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 मेरठ रू0 2600000.00 यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन रू0 1400000.00 यू0पी0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास रू0 2000000.00 यू0पी0 आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड रू0 2000000.00	7 के0वी0के0 का सुदृढीकरण	शून्य	सं0 102 / 27.03.2021
7	14772000	यू0पी0स्टेट कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 मेरठ	केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना	शून्य	सं0 103 / 27.03.2021

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

		कुल योग 3,27,28,000+16,54,58,000=19,81,86,000
	165458000	

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (अ)

प्रस्तर सं0–09 कुप्रबंधन के फलस्वरूप रू0 178.77 लाख मूल्य की भूमि (3.03 हे0) का लेखे से विलुप्त किया जाना।

शासनादेश संख्या 3265/12.08.2000–4001961/99 दिनांक 4 अक्टूबर, 2000 के अनुसार गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (ऊँधम सिंह नगर) द्वारा प्रसार/अनुसंधान इकाइयों की भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति तत्काल ग्रहण कर कब्जा लेकर कार्यवाही किये जाने हेतु सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ को आदेश निर्गत किये गये। विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर मेरठ को निम्नानुसार सम्पत्ति के विवरण के अनुसार कुल भूमि का अंतकरण कर कब्जा लिया जाना था, जिसके कब्जे की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 23.10.2000 को पूर्ण कर ली गई है। विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर, जनपद मेरठ के मवाना तहसील के अन्तर्गत हस्तिनापुर में अवस्थित है।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन संचालित उक्त केन्द्र के कब्जे वाली भूमि संलग्नक एक एवं दो के अनुसार तुलनपत्र वर्ष 2019–20 में नहीं दर्शाया गया है, और कोई भी सम्पत्ति पंजिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा है तथा हस्तांतरित की गई परिसम्पत्तियों का कोई भी राजस्व निरीक्षण अधिकारी द्वारा विगत कई वर्षों से कोई आवधिक सत्यापन भी नहीं कराया गया है, जिससे यह ऑकलन किया जा सके कि इकाई द्वारा उक्त शासनादेश के अनुरूप सौंपी गई परिसम्पत्ति का रख–रखाव और उस पर कब्जे की स्थिति बरकरार है अथवा नहीं। उपरोक्त दिनांक 4 अक्टूबर सन् 2000 को निर्गत शासनादेश के अनुसार संलग्नक–1 में दिये गये विवरण में कृषि विज्ञान केन्द्र को सौंपी गई कुल भूमि 10.290 (हे0)है, जिसके सापेक्ष ऐक्सन में प्लान वर्ष–प्रति वर्ष दर्शायी जा रही कुल भूमि की स्थिति मात्र 9.20 हे0 हैं। इसी प्रकार कृषि योग्य सौंपी जाने वाली कुल भूमि का क्षेत्रफल 8.53 हेक्टेअर है, जबकि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा वर्ष–प्रतिवर्ष विगत कई वर्षों से अपनी कार्ययोजना में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल मात्र 5.50 हेक्टेअर ही दर्शाया जा रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि 8.53–5.50=3.03 हेक्टेअर कृषि योग्य भूमि कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर के कब्जे से बाहर है/लेखे से विलुप्त है। जिसका उपयोग केन्द्र द्वारा कृषि उद्यमों हेतु नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त अवस्थित 3.03 हेक्टेअर कृषि योग्य भूमि की अनुमानित सामान्य मूल्य, जनपद मेरठ के मवाना खुर्द हस्तिनापुर के सर्किल रेट वर्श 2018 से की गई तुलना के अनुसार सामान्य भूमि का मूल्य प्रति हेक्टेअर दरें रू0 59.00 लाख प्रति हेक्टेअर है अर्थात कुल मूल्य 3.03X59.00 लाख =रू0 178.77 लाख है।जो कि कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर द्वारा परिसम्पत्ति लेखों से विलुप्त की गई है। इसी प्रकार संलग्नक–2 में दिये गये विवरण के अनुसार हस्तांतरित की गई किसी भी परिसम्पत्तियॉ के सत्यापन हेतु साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जा सके। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा कृषि योग्य विलुप्त भूमि के उत्तर में बताया गया कि 3.03 हे0 भूमि पर अन्य भवन निर्माण, प्रदर्शन इकाई, वाटर हरवेटिंग, तालाब आदि के कार्य कराये गये हैं एवं कृषि योग्य भूमि हेतु कोई गाटा सं0 एलाट नहीं है तथा कुछ भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण प्रकरण न्यायालय में है। उत्तर तर्कसंगत नही है, क्योंकि ऐक्सन प्लान में दर्शाये जा रहे भवन निर्माण एवं प्रबंधन की स्थिति मात्र कुल 1810 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल तक ही सीमित हैं। जिसमें भी तालाब, वाटर हरवेटिंग, का कोई भी जिक नही है। शासन द्वारा वर्ष 2000 में हस्तानानंतरित कृषि योग्य भूमि के सापेक्ष कोई गाटा सं0 ही एलाट न हो सम्भव नही है। केन्द्र पर न तो किस गाटा सं0 पर कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और किस गाटा सं0 के कितने प्रक्षेत्र पर भवन सहित अन्य सन्निनिर्माण कार्य कराये गये है/स्थापित है इसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है, दूसरे विवाद की स्थिति में न्यायालय के निर्णय होने से पहले ही स्वयं के लेखे से भूमि का विलुप्त कर दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। परिणामस्वरूप कृषि

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

विज्ञान केन्द्र की भूमि प्रबंधन व्यवस्था कुप्रबंधित होने के कारण इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी कि विलुप्त होने वाली भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

संलग्नक–01

कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर

क्रम संख्या	उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3265/12.08. 2000–4001961/99 दिनांक 4 अक्टूबर,2000 के अनुसार हस्तांतरित एवं विश्वविद्यालय द्वारा कब्जे में ली गई परिसम्पत्तियों का विवरण।		कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर मेरठ के वार्षिक प्रगति आख्या/कार्ययोजना जनवरी से दिसम्बर 2021 के अनुसार कब्जे में दर्शायी जा रही परिसम्पत्तियों का विवरण		अंतर (हेक्टेअर में)
1.	कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	10.290	कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे0)	9.20	1.09
2.	कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल(हे0)	8.53	कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल(हे0)	5.50	3.03
3.	कृषि के अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल(हे0)	2.29	कृषि के अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल(हे0)	3.70	–1.41

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

संलग्नक–02

कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर

आदेश संख्या 3265/12.08.2000–4001961/99 दिनांक 4 अनुसार हस्तांतरित एवं विश्वविद्यालय द्वारा कब्जे में ली गई					कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर मेरठ के वार्षिक प्रगति आख्या/कार्ययोजना जनवरी से दिसम्बर 2021 के अनुसार कब्जे में दर्शायी जा रही परिसम्पत्तियों का विवरण
	संख्या	क्षेत्रफल साइज मी0	कुल क्षे0 वर्ग मीटर में	अनुमानित मूल्य	
प्रति एकड़			25 एकड़	4375000	विवरण दर्ज नही
504					विवरण दर्ज नही
26					विवरण दर्ज नही
6					विवरण दर्ज नही
14					विवरण दर्ज नही
6					विवरण दर्ज नही
3	634				विवरण दर्ज नही
2					विवरण दर्ज नही
9					विवरण दर्ज नही
2					विवरण दर्ज नही
1					विवरण दर्ज नही
61					विवरण दर्ज नही
10				50000.00	विवरण दर्ज नही
	288			35000.00	विवरण दर्ज नही
यूनिट	01	20.0X16.4	326		विवरण दर्ज नही
	01	6.4 X4.4	26.16		
	01	5.9 X4.4	25.96	2,25,000.00	
	01	4.4 X3.4	14.75		
		11.15 X6.55	73.03		
	01	7.8 X3.3	25.04		
कक्ष	01	4.2 X2.3	9.60		
कक्ष	01	8.2 X3.55	29.4	150000.00	विवरण दर्ज नही
कक्ष	01	7.2 X3.55	25.20		

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग दो (ब)

प्रस्तर संख्या–1 वित्तीय नियमों के विपरीत ₹ 1257.89 लाख की धनराशि का अनावश्यक प्रावधान कराकर नियमानुसार समर्पित न कराया जाना।

बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 141 के अनुसारSavings coming to notice after the dispatch of the final statement should be reported separately as soon as possible. All final savings must be surrendered to the Finance Department by 25th March.उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा प्रशासनिक विभाग को उक्त तिथि तक अवशेष धनराशि समर्पित कर देनी चाहिए थी।

अभिलेखों की जांच (दिसम्बर, 2021) में पाया गया की विश्वविद्यालय द्वारा उक्त बजट मैनुअल के प्रावधानों की अनेदखी करते हुए वर्ष 2019–20 में शासन को निम्नांकित मदों की धनराशि दिनांक 31.03.2020 को तथा वर्ष 2020–21 में विभिन्न मदों की धनराशि 31.03.2021 को समर्पित की गयी जो अनुचित था।

वर्ष 2019–20 रू0 लाख में

क्र0सं0				
1	31 वेतन मद	3900.00	3745.39	154.61
2	*53–सातवें वेतन का एरियर*	*148.20*	*61.06*	*87.14*
3	03–कृषक तकनीकी प्रशिक्षण	11.67	00	11.67
4	एन0पी0एस0	365.00	77.77	287.23
5	सेन्टर आफ एक्सीलेन्स आन बासमती राइस	50.00	45.00	5.00
6	कृषि विज्ञान केन्द्रों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स	150.00	00	150.00

वर्ष 2020–21 रू0 लाख में

क्र0सं0				
1	वेतन मद	4350.00	4131.39	218.61
4	सेन्टर आफ एक्सीलेन्स आन बासमती राइस	25.00	24.87	0.13
5	कृषि विज्ञान केन्द्रों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स	150.00	139.50	10.50
6	आर0के0वी0वाई परियोजना (डा0 अमित कुमार) अनु0 सं0 11	253.00	00	253.00
7	आर0के0वी0वाई परियोजना (डा0 अमित कुमार) अनु0 सं0 11	10.00	00	10.00
8	आर0के0वी0वाई परियोजना (डा0 अमित कुमार) अनु0सं0 83	130.00	60.00	70.00
	योग	4918.00	4355.76	562.24

प्रश्नगत समर्पणों की स्वीकारोक्ति प्रशासनिक विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हो सकी थी जिसके कारण उक्त धनराशि के कालातीत होने की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता। बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 32 के अनुसार The estimates should be framed on the basis of expenditure required to be incurred in the coming year on account of

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

the pay (including special pay and personal pay but excluding compensatory allowances) of the officers and the staff likely to be on duty and the actual pay to be drawn by each, irrespective of the sanctioned strength.

विश्वविद्यालय के बजट आवंटन एवं उसके सापेक्ष किए गए व्यय तथा समर्पण सम्बन्धी अभिलेखों की जांच (दिसम्बर, 2021) में पाया गया कि वेतन भत्तों आदि से सम्बन्धित धनराशि की मांग स्वीकृत पदों की संख्या के सापेक्ष की गयी जो कि उक्त बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुरूप नही था। जिसके परिणाममस्वरूप वर्ष 2020–21 में ₹218.61 लाख एवं वर्ष 2019–20 में ₹154.61 लाख अधिक प्रावधानित करा लिए गए। अधिक धनराशि प्रावधानित कराए जाने से प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं धनराशि के अभाव मे बाधित होती है।

आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2019–20 में एनपीएस हेतु ₹365.00 लाख की धनराशि प्रावधानित करायी गयी जिसके सापेक्ष मात्र ₹ 77.77 लाख ही व्यय हुए और ₹287.23 लाख बचे रह गये अर्थात् लगभग 80 प्रतिशत अधिक धनराशि अधिक प्रावधानित करायी गयी जो अनुचित था।

इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु प्रावधानित करायी गयी ₹150.00 लाख, कृषक तकनीकी प्रशिक्षण की धनराशि ₹11.67 लाख की सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् 100 प्रतिशत समर्पित दिखाना पडा।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा बजट मैनुअल के प्रावधानों एवं वित्तीय नियमों तथा समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करते हुए अनावश्यक धनराशि प्रावधानित कराकर प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अनावश्यक प्रावधानित धनराशि को तत्काल समर्पित करने की भी कोई कार्यवाही नही की यहां तक कि जो भी धनराशि साल के अन्तिम दिन समर्पित दिखायी गयी उनके स्वीकारोक्ति सम्बन्धी प्रपत्र विश्वविद्यालय के पास नही थे, जिससे धनराशि के कालातीत होने की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया *(दिसम्बर, 2021)* गया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही होगी।

बजट मैनुअल के प्रावधानों की अनेदखी कर अनावश्यक धनराशि आवंटित कराये जाने एवं उसे नियमानुसार समिर्पित न किए जाने का उक्त प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग दो (ब)

प्रस्तर संख्या–2 परिहार्य व्यय 63.28 लाख।

कार्यालय प्रधान/आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व है कि उसे सरकारी धन व्यय करते समय वही सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए जैसे कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करते समय बरतता है।

विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, मेरठ (फर्म) से उनके ही द्वारा तय किए गए दरों पर सुरक्षा गार्डों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु अगस्त 2016 में 01 जून 2016 से 31 मई 2019 तक की अवधि के लिए अनुबन्ध किया गया था। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पुनः फर्म द्वारा प्रदत्त बढी दरों पर दिनांक 03.10.2019 को अनुबन्ध कर लिया गया। प्रश्नगत फर्म को मात्र सम्प्रेक्षावधि मे ही (मार्च 2019 से मार्च 2021 तक) विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 477.31 लाख का भुगतान किया गया था।

जून 2020 के पूर्व मार्च 2019 से जुलाई 2019 के मध्य सुपरवाईजर 03 अदद, आर्म्स गार्ड 10 अदद एवं सुरक्षा गार्ड 98 अर्थात कुल 111 सुरक्षा कर्मियों की तथा माह अगस्त 2019 से मई 2020 तक सुपरवाईजर 03 अदद, आर्म्स गार्ड 16 अदद एवं सुरक्षा गार्ड 77 अदद सहित 96 सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गयी थीं। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सेवाओं हेतु प्रति माह धनराशि ₹22.72 लाख से ₹19.56 लाख के मध्य भुगतान की गयी थी।

बिल/वाउचर्स, अनुबन्ध पत्र, पत्राचार एवं समय–समय पर किए गए भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच (नवम्बर, 2021) में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त व्यय का ऑकलन कर उसे सीमित करने हेतु कोई ठोस एवं प्रभावी कदम समय से नही लिए गए। अन्ततः जून 2020 में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, चहारदीवारी का निर्माण तथा कुछ जगहों पर गेट आदि लगाने की कार्यवाही की गयी, जिसके कारण तुरन्त मितव्ययिता परिलक्षित हुयी।यदि विश्वविद्यालय द्वारा यह कदम समय से उठा लिए गए होते तो संलग्न विवरणानुसार मात्र सम्प्रेक्षावधि (अप्रैल 2019 से मई 2021) में ही संलग्न विवरणानुसार ₹63.28 लाख की बचत हो सकती थी। किन्तु दूरदर्शिता के अभाव के कारण ऐसा नही किया गया। स्पष्ट था कि विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष लगभग ₹40.00 लाख की हानि हुयी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर, 2021) कि सुरक्षा कार्यों में व्यय को कम किये जाने का निरन्तर प्रयास किए जाते रहे हैं।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा यदि सीसीटीवी कैमरे एवं बाउण्ड्रीवाल आदि जैसे आसान प्रयास पहले किए ही नही गये। यदि इस प्रकार के प्रयास जो काफी देर से किए गए समय से किए जाते तो उक्त परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग दो (ब)

प्रस्तर संख्या–04 राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना में अनियमित व्यय।

सरकारी कार्यों में निष्पक्ष एवं पारदशी निविदा प्रकिया अपनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विभाग को व्यापक तुलनात्मक दरों का लाभ प्राप्त हो सके। निविदा हमेशा पूर्ण कालिक होनी चाहिए किन्तु अल्पकालिक निविदा की दशा में निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निविदा के अल्पकालीन होने का कारण अंकित करें। यदि एक बार निविदा आमंत्रित करने पर कोई निविदा प्राप्त नही होती अथवा प्राप्त निविदाएं स्वीकार योग्य नही होतीं तो ऐसी स्थिति में दूसरी या तीसरी बार भी पूर्णकालिक निविदा ही प्रकाशित करायी जानी चाहिए।

आरकेवीवाई परियोजना के अन्तर्गत to look after the prevention and treatment aspects of various prevailing livestock diseases in this region. The farmers and livestock keepers would be direct beneficiaries by saving prevailing diseases. के उद्देश्य से Establishment of advance diagnostic laboratory for identification of live-stock diseases in western UP शासनादेश संख्या 158/12.3.2018.100(08)/2018 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा ₹ 250 लाख की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी थी। वर्ष 2018.19 में कुछ धनराशि और स्वीकृत होने के कारण उपकरण मद में ₹ 251.00 लाख 75 अंदद उपकरणों हेतु प्रावधानित कर लिए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न विवरणानुसार माह फरवरी 2020 से सितम्बर 2021 के मध्य ₹250.50 लाख के उपकरण विभिन्न फर्मो से कय कर उन्हें भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की जांच (नवम्बर, 2021) में पाया गया कि वित्तीय नियमों के अनुरूप बिना कोई समुचित आधार के अल्पकालीन निविदाएं करायी गयीं जैसे नवम्बर 2020, मार्च 2021 मे आदि। यहॉ तक तकनीकी समिति द्वारा निर्णय लेने में लगभग एक वर्ष तक का समय लिया गया जिसके कारण परियोजना विलम्बित हुयी। विश्वविद्यालय द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करके पूर्णकालिक निविदा आमंत्रित नंही की गयी वल्कि विश्वविद्यालय को व्यापक तुलनात्मक दरों के लाभ से वंचित करते हुए एकल अथवा दों निविदत्त दरों के आधार ही कई उपकरणों का कय कर लिया गया, जो अनुचित था। नमूना जांच में पाए गए प्रकरण इस प्रकार थे–

केवल एकल दरों पर कय का विवरण–

1	सेमी आटोमेटिक रोटरी माइक्रोटोम	दिसम्बर 2020	914500	828360
2	टिसू फ्लोटेशन		—	30240
3	नेकाप्सी/एटाप्सी टेबिल		—	582400
4	एटाप्सी केस		—	74592
5	एटाप्सी बाक्स		—	64512
6	माइको स्लाइट टेबिल		—	103840
7	वाटर बाथ		—	62445
8	इन्स्ट्रूमेन्ट स्अरलाइजर		—	12980
			मेसर्स मकफलो इन्जीनियरिंग	मेसर्स यू एस डी इन्टरप्राईजेज
9	सिंगल चैलन माइक्रोपिपेट 1000–10000	नवम्बर 2020	21240	
10	बयोसाफेट कैबिनेट क्लास 2 ए2			980580

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

दो दरों के आधार पर क्रय का विवरण

1	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	मार्च 2020	811415		
2	जेल डाकूऐन्टेसन सिस्टम		898800		
3	रियल टाइम पीसीआर		1733550		
4	यूवी ट्रान्सीलूमिनेटर			92276	
5	पीसीआर थर्मोसाइकिल		382750		
			मेसर्स मैकफ्लो	मेसर्स माडर्न साइन्सटिफिक	मेसर्स यूएसडी
6	सिंगल चैनल माइक्रोपिपेट 20–200	नवम्बर 2020	21240	5296	—
7	सिंगल चैनल माइक्रोपिपेट 100–1000		21240	5296	—
8	आटोमेटिक डिजिटल आटोक्लेव 100 लीटर		820808	185850	—

आगे नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 07.03.2020 को खोली गयी निविदा में एलाइजा रीडर फिल्टर बेस्ड प्लेट रीडर एवं एलाइजा वासर की कीमत दिए गए विशिष्टीकरण के अनुरूप मेसर्स जेनेटिक्स बायोटेक एसिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली की ₹ 935325.30 थी। किन्तु उक्त फर्म को आपूर्ति आदेश नही दिया गया बल्कि उसी विशिष्टीकरण का प्रश्नगत उपकरण दिसम्बर 2020 में मेसर्स मैकफ्लो इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से अधिक लगभग दुगुनी दर पर अर्थात् ₹1637250 में एकल निविदा के आधार पर क्रय किया गया जोकि पूर्णतः अनुचित एवं शासकीय धनराशि का दुरूपयोग था, क्योंकि पहली निविदा इस आधार पर निरस्त की गयी थी कि वह एकल निविदा थी। जबकि प्रश्नगत दर को बेस प्राइस मानकर एल–1 से वार्ता की जा सकती थी। किन्तु ऐसा नही किया गया।

इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट था कि उपकरणों के क्रय में व्यापक अनियमितताएं की गयीं।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर, 2021) कि उपकरणों के क्रय हेतु निविदाएं तीसरी बार प्रकाशित करायी गयीं एवं एकल निविदा के अतिरिक्त कोई विकल्प नही था।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि निविदा प्राप्त न होने की स्थिति में उन्हें पूर्णकालिक करने एवं और व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी जो नही किया गया बल्कि अल्पकालीन निविदाएं ही की गयीं जिसके कारण ऐसा हुआ, और विभाग को व्यापक तुलनात्मक दरों के लाभ से वंचित कर दिया गया।

इस प्रकार, उपकरणों के क्रय पर अनियमित व्यय एवं अधिक दरों पर क्रय करने का उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०पं० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (ब)

प्रस्तर सं0–5 पॉच कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को रू0 171.00 लाख का अनाधिकृत हस्तानान्तरण तथा हस्तानान्तरित धनराशि पर ब्याज की वसूली नही किया जाना।

शासकीय निर्माण कार्यों को सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण शासनादेश संख्या–ई–8–157/दस–2013–1074/2012, दिनांक12 फरवरी, 2013 द्वारा किया गया है। अतः किसी भी राजकीय निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने से पूर्व उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति शासन स्तर से लिया जाना चाहिये, तत्पश्चात नामित कार्यदायी संस्था से ही कार्य कराये जाने तथा उसी कार्यदायी संस्था के खाते में धनराशि अंतरित किया जाना चाहिये। आधुनिक कृषि प्रोद्योगिकी में किसानों के ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से सरदार बल्लभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के नियंत्राणाधीन नवसृजित होने वाले सात के सापेक्ष पॉच कृषि विज्ञान केन्द्र, जनपद–हापुड़, शामली, बुलन्दशहर, सम्भल, अमरोहा, बदायूँ–II एवं मुजफ्फरनगर–II के प्रशासनिक भवनों के निर्माण कार्य हेतु मॉग के सापेक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद नई दिल्ली(आई0सी0ए0आर0)/एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी एप्लीकेशन रिसर्च इन्टीट्यूट कानपुर के पत्रांक F.NO.ATARI/KVK-Works/2018-19/1803-07 dt.13.03.2019 द्वारा कुल 07 नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रति कृषि विज्ञान केन्द्र रू0 133.49 लाख की दर से प्रदान कर प्रथम किश्त के रूप में धनराशियॉ अवमुक्त की गई। शासनादेशसंख्या 975/67–कृषिअ–19–1500(15)/10टी0 सी0–5 दिनांक 5 जुलाई 2019 के अनुसार शासन के पत्र सं0–1699/67–कृषिअ–18–1500(15)/10 टी0सी0–11 दिनांक 20.08.2018 द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में उक्त जनपदों में नवसृजित किये जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त यह निर्देश दिये गये थे कि विश्वविद्यालय द्वारा उनके निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवसृजित होने वाले 07 जनपदों में से 05 जनपदों के कृषि विज्ञान केन्द्र बुलन्दशहर, सम्भल, अमरोहा, बदायूँ–II एवं मुजफ्फरनगर– II के प्रशासकीय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रति केंद्र स्वीकृत लागत कुल रू0 133.49X5=667.45 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावपर **शासन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही** कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड. डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम गाजियाबाद, के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि खाते में अंतरित कर दिया गया–

Sl.No.	Name of the KVKs	Month of Released Fund to the working Agency	Fund Released Rs. (In Lakhs)	Unauthorised Working Agency,for KVKs construction work.	**Refund month**	Working Agency nominated by the UP. Govt.
1.	बुलन्दशहर	3/19	35.00	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	1/20	आर0ई0एस0
2.	सम्भल	3/19	31.00	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	1/20	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण
3.	अमरोहा	3/19	35.00	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	1/20	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन
4.	बदायूँ–II	3/19	35.00	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	1/20	स्हकारी संघ (पैकपेड)
5	मुजफ्फरनगर– II	3/19	35.00	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	1/20	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन
6.		कुल योग	171.00			

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मार्च 2019 मे कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को अवमुक्त धनराशियॉ शासनादेश संख्या 975/67–कृषिअ –19–1500(15)/10टी0 सी0–5 दिनांक 5 जुलाई 2019 के अनुपालन में नौ माह से अधिक समय बीत जाने के बाद कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम से धनराशि वापस लेकर शासन द्वारा नामित अन्य कार्यदायी सस्थाओं के खाते में अंतरित की गई अर्थात रू 171.00 लाख की धनराशि नौ माह तक अनाधिकृत रूप से सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के खाते में पड़ी रही, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के खाते में अंतरित की गई धनराशि को वापस लेते समयरू0 171.00 लाख पर नौ माह तक मिलने वाले ब्याज की धनराशि पर निर्धारित दर से नियमानुसार प्राप्त होने वाले ब्याज की वसूली नहीं की गई, जिसे वसूलकर कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था। अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को अनौचित्यपूर्ण लाभ देते हुए रू0171.00 लाख की धनराशि नौ महीने तक बिना ब्याज के देकर अवरूद्व रखी गई और उक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की वसूली न करके राजकोष को मिलने वाली ब्याज से भी वंचित रखा गया। फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा राजकोश को हानि पहुॅचाई गई।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी शासनादेश के अनुपालन में सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को उक्त पॉचों कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि हस्तानान्तरित कराई गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दि0 5 जुलाई 2019 को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बिना स्वीकृति प्राप्त किये ही पॉच कृषि विज्ञान केन्द्रो के निर्माण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को रू0 171.00 लाख की धनराशि खाते में हस्तानान्तरित कर दी गई। परिणामस्वरूप जहॉ नौ महीने से अधिक समय तक रू0 171.00 लाख की धनराशि सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के खाते में अनाधिकृत रूप से अवरूद्व पड़ी रही और उस पर मिलने वाले ब्याज की धनराशि की वसूली नहीं किये जाने से राजकीय हानि हुई, वहीं दूसरी ओर पॉचों कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण कार्य प्रारंभ होने में नौ माह से अधिक का विलम्ब भी हुआ है और होने वाले समय के नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

भाग–दो (ब)

प्रस्तर सं0–06 हस्तानान्तरित की गई ग्राम सभा के प्रबन्धाधीन भूमि के वास्तविक सीमा प्रक्षेत्र का परिसीमन व ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना कृषि विज्ञान केन्द्र के निर्माण कार्य पर रू0 114.00 लाख का व्यय।

किसी ग्राम सभा की भूमि पर निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य शर्त है, तथा हस्तानान्तरित की गई भूमि के प्रक्षेत्र की वास्तविक सीमा को स्थापित करने के लिए परिसीमन या Demarcation Of Land राजस्व निरीक्षक अधिकारी से कराया जाना चाहिये। शासनादेश सं0 2673/67–कृषिअ–17–1500–(3)/16 टी0सी0 दिनांक–5 जनवरी, 2018 एवं संख्या 40/67–कृषिअ–18–1500–(3)/16 टी0सी0 दिनांक 25 जनवरी, 2018 के अनुसार ग्राम सभा कर्मा, परगना सलेमपुर, जनपद बदायूँ की प्रबंधाधीन 12.150 हेक्टेअर भूमि को पुर्नग्रहीत कर नवसृजित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र, बदायूँ–II की स्थापना हेतु नियंत्रणाधीन सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय मेरठ को हस्तानान्तरित कराई गई। उपलब्ध कराई गई भूमि के प्रक्षेत्र पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली (आई0सी0ए0आर0) के द्वारा वित्त पोषित स्कीम कोड सं0 0092, पूँजीगत व्यय के अंतर्गत नवसृजित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र बदायूँ–II के प्रशासकीय भवन के निर्माण कार्य हेतु आई0सी0ए0आर0 के पत्रांक F.NO.ATARI/KVK/-Works/2018-19/1803-07 दिनांक 13.03.2019 द्वारा रू0 133.49 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित कृषि विज्ञान केन्द्र बदायूँ–II की स्थापना हेतु ग्राम सभा कर्मा, परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज, जिला बदायूँ के खाता संख्या 996 के गाटा सं0 226 मि0/11.7010 हे0 में से 8.500 हे0 एवं 267 मि0/4.3530 में से 3.3530 अर्थात कुल 12.150 हे0 का हस्तांतरण दि0 26.02.2018 को किया गया है। निर्मित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र बदायूँ–II के प्रशासकीय भवन हेतु स्वीकृत लागत रू0 133.49 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सहकारी संघ (पैकपेड) सेनिर्माण कार्य कराया जा रहा है।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि ग्राम सभा कर्मा, परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज, जिला बदायूँ में नवसृजित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र बदायूँ–II के प्रशासकीय भवन का निर्माण कार्यग्राम सभाभूमि के प्रक्षेत्र परसम्बन्धित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना कराया जा रहा है। न तो हस्तानान्तरित की गई भूमि के प्रक्षेत्र की वास्तविक सीमा को स्थापित करने के लिए परिसीमन/Demarcation Of Landv राजस्व निरीक्षक अधिकारी स्तर से कराया गया है। निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत रू0 133.49 के सापेक्ष शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सहकारी संघ (पैकपेड) को क्रमाशः दिनांक–04.01.2020 को रू0 35.00 लाख, दि0 27.11.2020 को रू0 20.00 लाख, दि0 31.03.2020 को रू0 20.00 लाख, दि0 5.03.2021 को 10.00 लाख, दि0 22.03.2021 को रू0 20.00 लाख एवं दि0 05.07.2021 को रू0 09.00 लाख सहित कुल रू0 114.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किया गया है, अवमुक्त की गई सम्पूर्ण धनराशि सितम्बर, 2021 तक कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय करते हुए, निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जा सका है एवं निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना ग्राम पंचायत स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये, तथा भूमि का बिना परिसीमन कराये सम्बन्धित भूमि के प्रक्षेत्र पर निर्माण कार्य कराया जाना तर्कसंगत नही है। अतः परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत स्तर से कभी भी आपत्ति दर्ज किये जाने या किसी भी प्रकार के न्यायालीय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में कराये जा रहे निर्माण कार्य के अलाभकारी व्यय हाने की सम्भावना बनी हुई है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

भाग–दो (ब)

प्रस्तर सं0–07 रू0 132.09 लाख की लागत से निर्मित नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्र हापुड़ के प्रशासकीय भवन का समुचित उपयोग न किया जाना।

आधुनिक कृषि प्रोद्योगिकी में किसानों के ज्ञान व कौशल को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से सरदार बल्लभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के नियंत्राणाधीन नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्र, जनपद–हापुड़ के प्रशासनिक भवन का निर्माण विश्वविद्यालय के पत्रांक स0व0प0/वी0सी0 4378/2018 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा की गई मॉग के सापेक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.EC/(71)/2017दिनांक 14.01.2019 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष कुल स्वीकृत एवं अवमुक्त लागत रू0 133.49 लाख के सापेक्ष ब्यय की गई धनराशि रू0132.09 लाख थी। प्रशसनिक भवन के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम यूनिट–31 गाजियाबाद द्वारा दिनांक 09.09. 2019 को कार्य प्रारंभ कर, दिनांक 11.08.2020 को कार्य पूर्ण कर दिनांक 16.01.2021 को हस्तांतरित किया गया।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि आधुनिक कृषि प्रोद्योगिकी में किसानों के ज्ञान व कौशल को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के नियंत्राणाधीन नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्र, हापुड़ का निर्माण कार्य लागत रू0 132.09 लाख है जिसे कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम यूनिट–31 गाजियाबाद द्वारा दिनांक 09.09.2019 को कार्य प्रारंभ करके दिनांक 11.08.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा दिनांक 16.01.2021 को विश्वविद्यालय को हस्तानान्तरित किया गया है। नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन के निर्माण के हस्तानान्तरण की तिथि से कुल 06 अधिकारी/कर्मचारी अपनी सेवाए केन्द्र पर दे रहे थे एवं उपलब्ध कराये गये ब्यय विवरण के अनुसार भवन के हस्तानान्तरण की तिथि दिनांक 16.01.2021 से लेखापरीक्षा अवधि के नमूना माह मार्च 2021 तक में केन्द्र पर ब्यय धनराशि रू0 1,72,700 थी। निर्मित प्रशासनिक भवन पर विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद की 46 वीं बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2021 का कार्यवृत्त प्रस्ताव संख्या 46.9 के अतिरिक्त बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 06 के अनुसारस्वयं माननीय विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिशद/बोर्ड के सदस्य, डा0 राजेश कुमार उपनिदेशक, पशुपालन विभाग मेरठ, मंण्डल मेरठ द्वारा प्रबन्ध परिषद की 46 बैठक में दिनांक 03जुलाई 2021 को अवगत कराया कि कृषि विज्ञान केन्द्र हापुड़ प्रायः बन्द पड़ा रहता है जिसके कार्यवाही में माननीय कुलपति महोदय ने परिषद में सम्बन्धित कृषि विज्ञान केन्द्र के आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया, परंतु बन्द पड़े कृषि विज्ञान केन्द्र की कोई भी निरीक्षण आख्या लेखापरीक्षा तिथि तक उपलब्ध नहीं थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा केन्द्र पर नियुक्त कुल 07 कर्मचारियों/अधिकारियों के तैनात होने के विवरण सहित केन्द्र पर रू0 1,72,700 के ब्यय विवरण प्रस्तुत किये गये,परंतु नवनिर्मित प्रशासकीय भवन के बन्द पड़े रहने के औचित्य पर कोई समुचित उत्तर नहीं दिया जा सका न ही बन्द पड़े केन्द्र के कर्मचारियों की केन्द्र पर उपस्थिति सम्बन्धी और न ही कोई निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की जा सकी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भवन का समुचित उपभोग किया जा रहा है। परिणामस्वरूप स्पष्ट है कि नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का समुचित उपभोग नहीं किया जा रहा है तथा केन्द्र पर ब्यय धनराशि एवं नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति संदिग्ध है जिन्हे बिना कार्य के वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

भाग–दो (ब)

प्रस्तर सं0–08 बीज विधायन प्रकिया (सीड प्रोसेसिंग) के दौरान मानक के विपरीत, निर्धारित मात्रा से अधिक 2908.33 कु0 अंडर साइज बीज का निर्गम किया जाना।

भारत सरकार द्वारा जारी बीज अधिनियम 1966 एवं उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के आदेश सं0– बी0प्र0 सं0मु0 / तक0 / का0ज्ञ0 / के0 / 6784 दिनांक 13.12.2016 के अनुसार बीज विधायन कार्य (सीड प्रोसेसिंग) निर्धारित आकार वाली जाली का प्रयोग करते हुए कराया जायेगा। विधायित बीज में बॉटम स्क्रीन के आकार से कम आकार वाले बीजों की मात्रा (अण्डर साइज बीज) किसी भी दशा में **वजन के आधार पर 5% से अधिक नहीं** होनी चाहिये। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, के नियंत्रणाधीन चिरौड़ी फार्म ब्लाक–ए एवं फार्म ब्लाक–बी द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की फसलों / किश्मों के बीज उत्पादन के उपरान्त विश्वविद्यालय के बीज विधायन केन्द्र पर इनटेक किया जाता है, इनटेक किये गये बीज विधायित / प्रोसेस करने के उपरांत किसानों व विभिन्न सरकारी संस्थाओं को निर्धारित उच्च दरों पर विक्रय किये जाते हैं। विधायन के दौरान निर्गम **अंडरसाइज** बीजों को खुली निविदा प्रकिया के दौरान सामान्य दरों पर विक्रय किया जाता है।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विश्विद्यालय के नियंत्रणाधीन बीज विधायन केन्द्र (सीड प्रोसेसिंग यूनिट) पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार बीज विधायन के उपरांत बीज, अंडरसाइज एवं झीजन निर्गम किये गये है।

A	B	C	D	E	F	G
वित्तीय वर्ष	फसल सीजन	विधायन केन्द्र पर इनटेक किये गये बीज (कु0 में)	कुल विधायित बीज की मात्रा (कु0 में)	विधायन केबाद निर्गम बीज की मात्रा (कु0 में)	विधायन के बाद निर्गम अंडरसाइज बीज की मात्रा (कु0 में)	झीजन (कु0 में) G=D-E+F
2017–18	रबी	1454.53	1454.53	1016.75	406.16	31.62
2018–19	रबी	2013.23	2013.23	1301.43	655.03	56.77
2019–20	रबी	1633.55	1633.55	1219.34	392.13	22.08
2020–21	रबी	2134.60	2134.60	1576.11	536.94	21.55
	योग=	7235.91	7235.91	5113.63	1990.26	132.02

उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्श 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की रबी की फसल / सीजन में बीज विधायन केन्द्र द्वारा कुल विधायित किये गये बीज की मात्रा 7235.31 कु0 है, जिसके सापेक्ष विधायन के बाद बीज अधिनियम 1966 के अनुसार विधायित बीज के अंडरसाइज निर्गम किये गये बीज की मात्रा 5% अर्थात वनज के आधार पर 361.76 कु0 से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। जबकि विश्वविद्यालय के विधायन केन्द्र द्वारा विधायन के दौरान निकाले गये अंडरसाइज बीज की मात्रा में यदि निर्धारित अंडरसाइज बीज की मात्रा का मानक प्रतिशत घटाते हुए गणना की जाये तो 27.51–5%=26.13 प्रतिशत अधिक अंडरसाइज बीज निर्गम किये गये हैं, जो कि कुल विधायित बीज के वनज के आधार पर 1890.57 कु0 अंडरसाइज बीज की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक निर्गम किया गया है।

इसी प्रकार सम्बन्धित वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की खरीफ की फसल में बीज विधायन केन्द्र पर इनटेक किये गये बीज व सीड प्रोसेसिंग का विवरण निम्नवत है–

A	B	C	D	E	F	G
वित्तीय वर्ष	फसल सीजन	विधायन केन्द्र पर इनटेक किये गये बीज (कु0में)	कुल विधायित बीज की मात्रा (कु0 में)	विधायन के बाद निर्गम बीज की मात्रा (कु0 में)	विधायन के बाद निर्गम अंडरसाइज बीज की मात्रा (कु0 में)	झीजन (कु0 में) G=D-E+F
2017–18	खरीफ	916.29	916.29	505.32	361.22	49.75
2018–19	खरीफ	951.20	951.20	477.56	432.12	41.52
2019–20	खरीफ	868.56	868.56	552.76	278.02	37.78
	योग=		2736.05	1535.64	1071.36	129.05

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्बन्धित वर्षों में खरीफ की फसल/सीजन में बीज विधायन केन्द्र द्वारा कु विधायित किये गये बीज की मात्रा 2736.05 कु0 है, जिसके सापेक्ष विधायन के बाद बीज अधिनियम 1966 अनुसार विधायित बीज के अंडरसाइज निर्गम किये गये बीज की मात्रा 5% अर्थात वनज के आधार पर 13 80 कु0 से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। जबकि विश्वविद्यालय के विधायन केन्द्र द्वारा विधायन के दौरा निकाले गये अंडरसाइज बीज की मात्रा में यदि निर्धारित अंडरसाइज बीज की मात्रा का मानक प्रतिश घटाते हुए गणना की जाये तो 39.16–5%= 37.20 प्रतिशत अधिक अंडरसाइज बीज निर्गम किये गये हैं, व कि कुल विधायित बीज के वनज के आधार पर 1017.81 कु0 अंडरसाइज बीज की मात्रा निर्धारित मानक अधिक निर्गम किया गया है। इस प्रकार सम्बन्धित वर्षों के फसल/सीजन में निर्धारित अंडरसाइज बीज व मात्रा 361.76कु0+136.80कु0=498.56कु0 के सापेक्ष विधायित बीज के अंडरसाइज बीज की मात्रा वनज आधार पर 1890.57कु0+1017.81कु0=2908.33 कु0 अधिक अन्डरसाइज बीज निर्गम कर दिया गया है जिससे स्पश्ट होता है कि बीज विधायन केन्द्र द्वारा बीज विधायन कार्य (सीड प्रोसेसिंग) करते समय निर्धारि आकार वाली जाली का प्रयोग नही किया गया जिससे विधायित बीज में बॉटम स्क्रीन के आकार से क आकार वाले बीजों की मात्रा (अण्डर साइज बीज) वजन के आधार पर 5%=498.56कु0 से बढ़कर वनज आधार पर 2908.33 कु0 अधिक निर्गम कर दिया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि विश्वविद्यालय के नियत्रणाधी चिरौड़ी फार्म ब्लाक ए एव बी पर उत्पादित बीज का उत्पादन जिस भूमि पर किया जाता है उसमें से कु भूमि ऊसर भूमि होने के कारण अंडरसाइज बीजो की मात्रा वर्श–प्रतिवर्ष अधिक बढ़ती जा रही हैं। उत्त तर्कसंगत नहीं है, क्योकि उसर भूमि पर किसी भी प्रकार के बीज का उत्पादन सम्भव ही नहीं है, न तो ऐ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये जा सके जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सके। दूसरे लेखापरीक्षा में बी बिधायन केन्द्र पर फार्मो द्वारा कुल उत्पादित बीज व इनटेक किये गये बीजों की साफ–सफाई व पंखे लगा जाने के बाद झीजन के अंतर की मात्रा व घटाने के उपरांत वजन के आधार पर निर्धारित मानक 5%=49 56कु0 बीज को भी घटाने के बाद अंडरसाइज बीज की मात्रा निर्धारित मानक से बढ़कर वनज के आधार प 2908.33 कु0 अधिक निर्गम कर दिया गया है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (ब)

प्रस्तर सं0–9 सेन्ट्रल स्टोर से निर्गत सामग्रियों के सापेक्ष गुणवत्ता जॉच रिर्पोटें एवं स्थापना रिर्पोटें सत्या हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाना।

भण्डार क्रय करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धातों का पालन किया जाना चाहिये। वित्तीय नियम संग्र खण्ड पॉच भाग एक के परिशिष्ट अठारह में उल्लिखित नियम–3 के अनुसार सभी वस्तुयें निरीक्षण उपरान्त ही स्वीकार्य होंगी। जिन वस्तुओं के लिए निर्दिष्टियॉ एवं जॉच पूर्व निर्धारित हो उनकी जॉच । निरीक्षण सामान प्राप्ति के पूर्व में किया जायेगा। इसी प्रकार मॉग के अनुरूप क्रय की ग सामग्रियॉ/मशीनरियो/उपकरणों को यथोचित उपयोग में लाये जाने हेतु क्रय के उपर स्थापित/इन्सटाल किया जाना चाहिये जिससे क्रय की गई सामग्रियों/मशीनरियों/उपकरणों का समुचि उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सम्प्रेक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के सेन्ट्रल स्टोर की स्टाक पंजिकाओं के अवलोकन में पा गया कि संलग्न विवरण के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में क्र की गई विभिन्न सामग्रियों को सेन्ट्रल स्टोर के माध्यम से विभिन्न विभागों/संकायों को निर्गत किया गय परंतु सेन्ट्रल स्टोर में क्रय की गई सामग्रियों के सापेक्ष गुणवत्ता जॉच रिर्पोटें एवं प्रतिस्थापना रिर्पो उपलब्ध नहीं थीं, न ही सम्बन्धित इंन्डेन्टरों द्वारा उपलब्ध करायी जा सकी, जिससे स्पष्ट होता है कि क्र की गई सामग्रियों को क्रयोपरांत न तो उनकी गुणवत्ता जॉची गई और न ही उन्हें स्थापित किया गया है

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि सामग्रियों की गुणवत्त जॉच रिर्पोटे एवं स्थापना रिर्पोटें संबंधित इन्डेन्टर के पास विभागों में रखा जाता है उत्तर मान्य नहीं । क्योंकि स्टाक में ली गई सामग्रियों की गुणवत्ता जॉच सामग्रियों के स्टाक में लिये जाने से पूर्व सुनिश्चित की जाती हैं तथा जिसकी गुणवत्ता जॉच सम्बन्धी सत्यापन रिर्पोटे/ प्रतिस्थापना रिर्पोटें सेन्ट्रल स्टोर । मॉग पत्रों के साथ ही संरक्षित की जानी चाहिये । अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

SARDAR VALLABHBHAI PATRL UNI. OF AGRI. & TECH. MEERUTCentral Store Reg. YEAR 2019-2020

Date of Receipt	Equipment Name	Firm Name	Bill No. & Date	Amount	Date of Issue	Department Name
06-03-2020	P.H. Meter-5 Point	Perfect Enterprises plot no 576 industrial area chandigarh	297 /28-02-2020	24848.99=	21-03-2020	Agronomy
06-03-2020	Grain Moisture Meter	Popular Science Apparatus Workshop pvt. Ltd. Ambala Cantt	737 /26-02-2020	20250=	21-03-2020	Agronomy
19-03-2020	Handheld Soil Moisture Meter With Digital Soil P.H. Meter	Gera Ventures Tilk Nagar Delhi	1247/ 24-02-2020	7157=	21-03-2020	Agronomy
31-12-2019	Hot Air Oven	Apex Scientific Ambala Haryana	179/21-11-2019	22000=	01/01/2020	Animal Nutrition
31-12-2019	Soxhlet Extraction unit	Accumax	304/06-12-2019	24400=	01-01-2020	Animal Nutrition
31-12-2019	Distillation Unit	Macro scientific Works Delhi	458/ 02-12-2019	20530=	01-01-2020	Animal Nutrition
31-12-2019	Refrigrator	Mittal & Mittal Asociats Delhi	1442/11-12-2019	19799=	01-01-2020	Animal Nutrition

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

13-02-2020	P.H. Meter	Gera venture Delhi	1105/03-02-2020	9999=	29-02-2020	Animal Nutrition
29-02-2020	Hot Plate 450x300mm	Modern scientific Meerut	222/20-02-2020	44781=	29-02-2020	Animal Nutrition
31-12-2019	Double Beam UV-VIS Spectrophotometer	Systronics india Ltd. Ahmedabad	210220010164/17-12-2019	430650=	03-01-2020	IRRI Lab
31-12-2019	Electronic Weighing Balance	Mercury Lab Planners New Delhi	629/ 25-12-2019	71199=	03-01-2020	IRRI Lab
23-01-2020	Cole Parmer Benchtop P.H. Meter	Mercury Lab Planners New Delhi		24899=	23-01-2020	IRRI Lab
04-02-2020	Hot Air Oven	M.K. Scientific Instrument Delhi	627/31-01-2020	48495=	14-02-2020	Vet. L.P.M.
04-0202020	Weighing Balance	Next Era Technology Delhi	62/ 29-01-2020	66300=	14-02-2020	Vet. L.P.M.
24-02-2020	Vortex Mixer	ESAW Inc. ambala	212/25-01-2020	8399=	24-02-2020	Vet. L.P.M
24-02-2020	Fluke pti 120 Tharmal Imager	The Modex Company Dehradun	463/10-02-2020	88999=	24-02-2020	Vet. L.P.M

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

15-6-20	Magnetic stirrer multispin	Aritech Cnemazone Pvt. Ltd. Haryana	1480/5-3-20	23468=	15-6-20	LPM College vet.
5-12-20	Bence top universal Refriferated Lab genius	Symbio Scientific Pvt Ltd. New delhi	00690/30-11-20	230500=	05-12-20	LPM Colle of vet.
5-12-20	Digital P.H and conductivity meter	Modern scientific Industries Meerut	132/26-10-20	29382=	5-12-20	LPM Colle of vet.
22-12-20	Uv vis spectrophotometer	Biogen scientific Meerut	042/25-11-20	523000	22-12-20	LPM Colle of vet.
18-1-21	Deep freezer – 20c	Goyal Enterprises Meerut	177/11-1-21	68143.80=	18-1-21	LPM Colle of vet.
18-1-21	Laminar air flow Vertical	Goyal Enterprises Meerut	177/11-1-21	58296.20=	18-1-21	LPM Colleg of vet.
18-1-21	BOD Incubator	Goyal Enterprises Meerut	177/11-1-21	78331.42	18-1-21	LPM Colleg of vet.
18-1-21	Digital Autoclave	Goyal Enterprises Meerut	177/11-1-21	93754.28	18-1-21	LPM Colleg of vet.
18-1-21	Biochemistry analyzer Semi automatic	Goyal Enterprises Meerut	177/11-1-21	129424.46	18-1-21	LPM Colleg of vet.
18-1-21	Platform Balance Animal weighing	Goyal Enterprises Meerut	177/11-1-21	86321.90	18-1-21	LPM College of vet.
15-6-20	Dry military Compass	Dutta education store Bareily	358/18-3-20	4999.90=	01-7-20	College of Tech. Work shop
15-6-20	Micro Controller Based Visible Grapkic L.C.D	Systronic India Ltd. Gujrat	12012373/16-6-20	132750=	16-6-20	soil science Dept.
13-7-20	Microcontroller Based Flame Photometer	Panacea Instruments Pvt. Ltd New Delhi	056/7-7-20	79000=	15-7-20	Soil Science
27-2-21	Bio safe safety cabinet	Yark scientific Ind. Gzb.	291/22-2-21	360000=	27-2-21	PI. RKVY VCC
27-2-21	Incabators	Yark scientific Ind. Gzb.	291/22-2-21	61740=	27-2-21	PI. RKVY VCC

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

2-3-21	Zoll medical automatic external	Hospimax Healtechcare Pvt Ltd Delhi	3747/22-2-21	449800=	3-3-21	PI. RKVY VC
2-3-21	Medical Lcd Display Syringe infusion Pump(3)	Alliance Medicaid Punjab	G-1326/16-2-21	88500=	03-03-21	PI. RKVY VC
16-3-21	Gel documentation system	Biogen Scitific Meerut	070/12-03-21	454572=	16-03-21	PI. RKVY VC
16-03-20	Micro Haematocrit	Biogen Scitific Meerut	069/12-03-21	33238=	16-03-21	PI. RKVY VC
16-03-20	Laminar Air Flow	Biogen Scitific Meerut	069/12-03-21	62762=	16-03-21	PI. RKVY VC
16-03-20	Hot Air Oven	Biogen Scitific Meerut	069/12-03-21	51714=	16-03-21	PI. RKVY VC
19-03-21	PH Meter(4)	Biogen Scitific Meerut	79/17-03-21	74666=	19-03-21	PI. RKVY VC
19-03-21	Analytical Valance(2)	Biogen Scitific Meerut	79/17-03-21	41238=	19-03-21	PI. RKVY VC
20-03-21	Urine Analyizer	Symbio Sci.Pvt.Ltd.New Delhi	1091/19-03-21	83898=	20-03-21	PI. RKVY VC
20-03-21	Clinical Hematolgy Analyzer	Symbio Sci.Pvt.Ltd.New Delhi	1091/19-03-21	483050=	20-03-21	PI. RKVY VC
20-03-21	BOD Incubator	Symbio Sci.Pvt.Ltd.New Delhi	1091/19-03-21	169491=	20-03-21	PI. RKVY VC
20-03-21	Biochemical Analyzer	Symbio Sci.Pvt.Ltd.New Delhi	1091/19-03-21	665254=	20-03-21	PI. RKVY VC
20-03-21	PCR Machine	Symbio Sci.Pvt.Ltd.New Delhi	1091/19-03-21	326271=	20-03-21	PI. RKVY VC
20-03-21	Refrigrated Microcentrifuge	Symbio Sci.Pvt.Ltd.New Delhi	1091/19-03-21	193220=	20-03-21	PI. RKVY VC
20-03-21	On Line UPS(2)	Symbio Sci.Pvt.Ltd.New Delhi	1091/19-03-21	364406=	20-03-21	PI. RKVY VC
25-03-21	Vet. Dignostic Ultrasond Machine	Biogen Scitific Meerut	082/25-03-21	1080000=	25-03-21	PI. RKVY VC
27-03-21	Instument Sterilizer	Biogen Scitific Meerut	85/25-03-21	18600=	27-03-21	PI. RKVY VC
27-03-21	Electrophorsis Apparatus	Biogen Scitific Meerut	86/25-03-21	91560=	27-03-21	PI. RKVY VC
27-03-21	Ultra Voilet Camp	Biogen Scitific Meerut	84/25-03-21	219047=	27-03-21	PI. RKVY VC

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

31-03-21	Microscope(8)	Symbio Sci.Pvt.Ltd.New Delhi	1150/30-03-21	1711200=	31-03-21	PI. RKVY VC
20-03-21	Merilyzer	Nature Bio Science Mathura	25/20-03-21	272500=	20-03-21	Vet. Medici
13-07-20	Acer Computer I7 8700 (1)	S.R.Solution New Delhi	7777872/60/11-6-20	60500=	13-07-20	Dean AG.
14-10-20	Acer Computer I5 9400 (1)	Amazing Deals Sikndra Road Agra	142/03-10-20	39868=	14-10-20	Soil Science Dr. U.P Shai
06-01-21	Laptop Dell I7(1)	Odissi System New Delhi	01098/26-12-20	74951=	06-01-21	Soil Science Dr. U.P Shai
22-01-21	Acer Laptop I5(2)	Auto Feb Corporation Meerut	258/13-01-20	109777=	22-01-21	Dir Extensio
19-03-21	Laptop H.P 4-dv0058tu (1)	Computer Parivar Meerut	2451/13-03-21	76500=	19-03-21	F.C Office
26-03-21	H.P. Laptop15-ck 2018 tu (1)	Startech Computer Meerut	149/25-3-21	44068=	26-03-21	Dr M.K.Shuk Vet.College
27-03-21	Samsung Laptop 57(1)	Startech Computer Meerut	150/26-03-21	55084=	31-03-21	V.C Offoce
12-03-21	Printer Brother dcp-l12520d(1)	Tej Infotech Meerut	419/08-03-21	19500=	12-03-21	Commercial Biotech
12-03-21	Laser Colour Printer Brother (1)	Tej Infotech Meerut	430/12-03-21	24949=	15-03-21	Dr M.K.Shuk Vet.College

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

SARDAR VALLABHBHAI PATRL UNI. OF AGRI. & TECH. MEERUT YEAR 2019-2020

21-09-2019	Computer HP-400(1)	Shri Sai Computer New Delhi	165/10-09-2019	66746	26-09-2019	V. office
26-12-2019	Computer system Lenovop330s (3)	Gigaspeed Communication chandigarh	220/18-12-2019	122985=	27-12-2019	Basic science
31-12-2019	Acer computer M-4660g(1)	Kamal Entrtptises New Delhi	020/21-12-2019	42470=	31-12-2019	V.C office
27-02-2020	Acer computer-200(2)	Royl interprises Chandigarh	248/20-02-2020	68827=	07-03-2020	V.C office
27-02-2020	Acer computer I5 8400(1)	Ai Infotech Delhi	939/25-01-2020	42201=	03-03-2020	Horticulture
04-03-2020	Acer computer I5 8400(1)	Alpic Infotech Agra	528/21-02-2020	40758=	04-03-2020	Central Library
17-12-19	H.P. Printer M1005(1)	Startec Computer P.L Sharma Road Meerut	123/12-12-2019	13983=	17-12-19	V.C. office
26-12-19	Pentum printer m6502(2)	Massif Markting Mumbsi	04585/21-12-19	18625=	27-12-19	Basic Science
11-03-20	H.P.printer 136A (1)	HindiSistan Electronic Corp. P.L sharma Road Meerut	3101/6-3-20	14398=	11-03-20	HOD Horticulture
22-3-20	Eco Tank Printer Inkjet (1)	Computer Infotech Division Agra	5116877-9875818/20-12-20	6731=	30-06-202	Animal Nutrition

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

13-07-20	Acer Computer I7 8700 (1)	S.R.Solution New Delhi	7777872/60/11-6-20	60500=	13-07-20	Dean AG.
14-10-20	Acer Computer I5 9400 (1)	Amazing Deals Sikndra Road Agra	142/03-10-20	39868=	14-10-20	Soil Science Di U.P Shai
06-01-21	Laptop Dell I7(1)	Odissi System New Delhi	01098/26-12-20	74951=	06-01-21	Soil Science Di U.P Shai
22-01-21	Acer Laptop I5(2)	Auto Feb Corporation Meerut	258/13-01-20	109777=	22-01-21	Dir Extension
19-03-21	Laptop H.P 4-dv0058tu (1)	Computer Parivar Meerut	2451/13-03-21	76500=	19-03-21	F.C Office
26-03-21	H.P. Laptop15-ck 2018 tu (1)	Startech Computer Meerut	149/25-3-21	44068=	26-03-21	Dr M.K.Shukla Vet.College
27-03-21	Samsung Laptop 57(1)	Startech Computer Meerut	150/26-03-21	55084=	31-03-21	V.C Offoce
28-01-21	Printer Brother dcp-l 3551(1)	Tej Infotech Meerut	332/21-01-21	38880=	28-01-21	Vet. Pathology
12-03-21	Printer Brother dcp-l12520d(1)	Tej Infotech Meerut	419/08-03-21	19500=	12-03-21	Commercial Biotech
12-03-21	Laser Colour Printer Brother (1)	Tej Infotech Meerut	430/12-03-21	24949=	15-03-21	Dr M.K.Shukla Vet.College

SARDAR VALLABHBHAI PATRL UNI. OF AGRI. & TECH. MEERUTP YEAR 2019-2020

Date of Receipt	Equipment Name	Firm Name	Bill No. & Date	Amount	Date of Issue	Department Name
13-02-20	Werpool Refrigrator 300L	Mittal Agencies New Delhi	3859/29-01-20	29998=	05-02-20	Soil Science
05-12-19	Office Table	Sheel Safe Ind. Meerut	239/08-11-19	9192=	05-12-19	V.C Office
11-03-20	Ex.Table	Balka Furniture New Delhi	543/30-10-19	26398=	11-03-20	L.B.S Hostal
11-06-19	Student Chair	Kishan Steel Art Meerut	255/25-03-19	276750=	18-06-19 To 22-06-19	All Hostal
18-07-19	Student Study Chair	Kishan Steel Art Meerut	79/12-07-19	225500=	18-07-19	I.B.S Hostal
11-03-20	Student Chair With Arm	Sheel Safe Ind. Meerut	368/06-03-20	51802=	11-03-20	Horticulture
04-05-19	A.C Carrier	Pioneer Elctronics Rajkot	0187/26-04-19	35190=	04-05-19	Entomology
18-04-19	Takhat	Tirupati Enterprices Meerut	19/28-03-19	488670=	18-04-19 T	All Hostal
26-09-19	Takhat	Tirupati Enterprices	07/21-08-19	590700=	26-09-19	L.B.S. Hostal

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

		Meerut				
31-05-19	Dianing Chair	Sheel Safe Ind. Meerut	38/14-05-19	135736=	01-06-19	All Hostal
18-07-19	Dianing Chair	Sheel Safe Ind. Meerut	96/10/07/19	75520=	18-07-19	L.B.S. Hostal
10-07-19	Voltas A.C. 5 Star	Voltriq India Pvt. Ltd. Delhi	0390/04-07-19	61549=	10-07-19	Soil Science
25-11-19	A.C 2 Ton	Noval Services Gurgaon	1901/20-11-19	100778=	25-11-19	V.C.C
23-10-19	Water Cooler	Laxmi Sales Corpo. New Delhi	221/09-10-19	78960=	23-10-19	L.B.S Hostal
24-01-20	Water Cooler	J.S.Services Bareilly	238/04-01-20	27499.99	17-02-20	Vet Medicine
05-07-19	Mictrotek Invertor Battery	Impulse Microtek Pvt.Ltd. Lucknow	103/28-05-19	96798=	05-07-19	K.V.K.Gautam Budh Nagar
13-11-19	Dianing Table	Balka Furniture Delhi	490/18-08-19	177080=	13-11-19	All Hostal
27-02-20	Photocopier Machine	Balaji Enterprises Meerut	458/22-02-20	253728=	07-03-20	V.C. Office
27-02-20	Photocopier Machine	Balaji Enterprises Meerut	459/22-02-20	185950=	27-02-20	Exam Cell Ag. College
03-03-20	Sitted Chest Press,Sholder Press Hammer,Adjestable Banch	Soniya Sports Meerut	228/02-03-20	82600=	03-03-20	Indor Stadium
03-08-20	Oly Weight	Verdhman Sports Meerut	72/29-02-20	14160=	03-03-20	Indor Stadium
11-03-20	High Back Chair	Balka Furniture Delhi	543/30-10-19	6400=	11-03-20	L.B.S Hostal
11-03-20	Low Back Chair	Balka Furniture Delhi	544/30-10-19	26080=	11-03-20	L.B.S. Hostal
22-03-20	Digital Teaching Divice	Globus Infocom Lim. Gautam Budh Nagar	2512/17-03-20	1488000=	14-09-20 to 26-06-21	All College

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

SARDAR VALLABHBHAI PATRL UNI. OF AGRI. & TECH. MEERUT YEAR 2020-2021

Date of Receipt	Equipment Name	Firm Name	Bill No. & Date	Amount	Date of Issue	Department Name
11-11-20	Double door Refrigrator 300L	Y.K Enterprises Meerut	57/29-10-20	39475=	11-11-20	Vet. L.P.M
19-03-21	Battery Luminous	Maa Vaishno Enterprises Ghaziabad	1553/16-03-21	24992=	20-03-21	Vet. Medicine
20-03-21	Battery+ Invertor	Kesar Enterprises Meerut	1088/20-03-21	39600=	20-03-21	V.C.C
27-03-21	Battery+ Invertor 700va	S.J Enterprises Meerut	86/27-03-21	15500=	27-03-21	MAITRI Project
18-03-21	Steel Almirah	K.K Enterprises Meerut	437/07-03-21	249000=	18-03-21	Registrar office
07-01-20	Almirha	Karan Electricals Meerut	2585/01/01/20	18600=	07-01-20	Horticulture
27-03-21	Steel Almirha 02 +File Cabinet 01	Kishan Steel Art Meerut	128/26/03/21	45784=	27-03-21	Soil Science
27-03-21	Steel Almirha 01+File Cabinet 01	Kishan Steel Art Meerut	127/26/03/21	38822=	27-03-21	Soil Science
13-07-20	A.C 1.5 Ton	Khemchand System Pune	026/15-06-20	53710=	13-07-20	Dean Ag.Office
27-03-21	1.5 ton A.C	Namokar Pvt.Ltd.Meerut	364/26/03/21	99000=	27-03-21	Plant Pathlogy
24-03-21	Photocopier Machine	Navyas Service System Lucknow	538/18-03-21	195250=	24-03-21	Exam Cell Co.Of Vet.
27-03-21	Photocopier Machine	Print India Enterprices Delhi	125/23-09-21	218000=	27-09-21	Registar Office
15-06-20	Projector	Kara Business Advisory South Delhi	294/20-03-20	237395=	16-06-20	V.C.C Vet Col.
15-06-20	Amplifir	Krishana Sales & Service Gwalior	108/19-03-20	24985=	16-06-20	V.C.C Vet Col.
15-06-20	Ahuja wsl 2500r	Jai Balaji Marketig Gwalior	25/19-06-20	33999.98	16-06-20	V.C.C Vet Col.

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

15-06-20	Spekar Ahuja	Jai Balaji Marketing	294/19-06-20	5899=	16-06-20	V.C.C Vet Col.
15-06-20	Mixer Ahuja	Jai Balaji Marketig	293/19-06-20	6749.99	20-08-20	V.C.C Vet Col.
14-08-20	PA Speaker	Jai Balaji Marketig Gwalior	26/19-03-20	24999.96	20-08-20	V.C.C Vet Col.
05-02-21	Ambulance	Force Motor Pvt.Ltd. Pithmpur Dhar	3200005444/13-01-21	1646975=	05-02-21	Dr.Amit Verma Vet Col.
26-02-21	John Deere Trector 05	John Deere India Pvt.Ltd. Dewas	804528347-51/28-01-21	3222165=	01-03-21 to 14-07-21	K.V.K Sharanpur ,Muradaabad,Nagina,Pelibet ,Muzzafarnagar
23-02-21	Sonalika Trector	International Tractors Ltd. Jalandhar	49526/16-03-21	638185=	08-04-21	Landscaping Section
25-03-21	Hydrolic Tractor Trailer	Prime System Bijnor	06/25-03-21	198000=	25-03-21	L.R.C.
26-03-21	Thresher	Darshan Singh &Sons Karnal	218/25/03/21	189285=	26-03-21	Genetics and Plant Breeding
18-03-21	Refrigrator	Navlok Electonics Meerut	2143/16-03-21	19600=	18-03-21	Vet.Gynocology
27-03-21	Refrigrator LG	Namokar Pvt.Ltd. Meerut	365/27-03-21	86000=	27-03-21	Plant Pathlogy
12-03-21	Projector Ben Q	Horizon Technology Noida	1625/06-03-21	25965=	12-03-21	MAITRI Project
16-03-21	Multi media Projector	Prayas Ind. Amritsar	274/10-03-21	32100=	16-03-21	NAHEP Project Vet.Col.
20-03-21	Multi media Projector	Tirupati Quadraluman and Association	150/18-03-21	200000=	20-03-21	Vet Medicine
15-03-21	Nikon Camera	Univershal rading co. Mohali	403/04-03-21	32625=	17-03-21	Vet Pathlogy
27-03-21	Nikon Camera	Camyzone Meerut	266/26-03-21	95350=	27-03-21	Plant Pathlogy
19-03-21	Table Tannis	Raar trading co.Gurgoun	118/15-03-20	72000=		
22-03-21	Cleaning Machine	Krugar and Brentt Equpment Pvt.Ltd Delhi	421-22-03-21	99200=	22-03-21	Central Library
31-03-21	Rotavetor	Tirth Agro Tech.Pvt.Ltd.Gondal	2021016972/25-03-21	93015=	31-03-21	L.R.C
31-03-21	Samsung	**Bhasin Brother**	08049/31-03-	55000=	31-03-	**V.C. Office**

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

	LED	**Meerut**	21		21	

कुलसचिव
सं०व०पं० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (ब)

प्रस्तर सं0–10 लैब टेस्टिंग में फेल पाए गये रू0 62.20 लाख मूल्य के अप्रमाणित बीजों का विक्रय कर किसानों को होने वाली आय को हानि पहुँचाया जाना।

वर्ष 2016–17 के आम बजट में केन्द्र सरकार ने किसानों की दशा सुधारने के लिए उनकी आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सरकार का पूरा दबाव उत्पादकता के साथ पैदावार बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्वि करने पर रहा है। उत्तम गुणवत्ता वाले बीजो की उत्पादकता का प्रतिशत अत्यधिक होती है अतः प्रमाणित बीज अच्छी पैदावार का आधार होता है, प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहॉ एक ओर पैदावार अच्छी होती है वहीं दूसरी ओर समय एवं लागत की बचत होती है। अप्रमाणित, अशुद्व एवं खराब बीज बोने से किसानों को भविष्य में पैदावार होने वाली फसलों के उत्पादन एवं विक्रय दर पर सीधा असर डालती है।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन बीज विधायन केन्द्र द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार विक्रय वर्श 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में मात्रा 1238.69 कु0 एवं मूल्य 62,19,729 के बीज जिन्हे उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विभिन्न लाटों से लिए गये सैम्पल जो कि प्रयोगशाला में अमान्य पाये गये हैं उन्हे कृशकों/सरकारी संस्थानों/बीज उत्पादक फर्मो को विक्रय कर दिया गया। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा लैब परीक्षण के दौरान ओ0डी0वी0 (मिश्रित बीज) के कारण अमान्य पाये गये आधारीय बीजों को प्रमाणित वर्ग में विक्रय हेतु अनुमति प्राप्त कर किसानों को विक्रय किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जिन लाट सं0 के बीजों को प्रमाणीकरण प्रक्रिया में अमान्य कर दिया था उनमें ओ0डी0वी0 मात्र दो लाट सं0 वाले ही बीज थे उन बीजों को दोबारा प्रमाणीकरण वर्ग में विक्रय हेतु अनुमति के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे न तो ऐसी किसी प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई शासनादेश उपलब्ध कराये जा सके। शेष अन्य कारणों से जिन लाट सं0 के सैम्पल जो प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान फेल पाये गये थे, उन बीजों किस आधार पर विक्रय किया गया इस तथ्य का कोई उत्तर इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान अमान्य पाए गए बीजों को जिन कृषको को विक्रय किया गया उसका सीधा असर उनके उत्पादन और उत्पादित होने वाली फसल की विक्रय दरों पड़ा जो किसानों के लिए अपूर्णीय क्षति है। अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा लैब टेस्टिंग में फेल पाए गये अप्रमाणित बीजों का विक्रय कर किसानो को फसल विक्रय से होने वालीआय में हानि पहुँचायी गयी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वर्ष	फसल का नाम	फसल की प्रजाति	अविधायित बीज की मात्रा (कु0)	विधायित बीज की मात्रा (कु0)	छानस (कु0)	मिश्रण (कु0)	विधायन क्षति (कु0)	बीज का वर्ग	प्रमाणीकरण प्रक्रिया में अमान्य पाये गये बीज की लॉट सं0	अमान्य विक्रय किये गये बीजों की विक्रय तिथि	विक्रय की मात्रा (कु0)	दर (रू0/कु0)	क्रय की जाने वाली संस्था का नाम	विक्रय से प्राप्त धनराशि (रू0)	गेहूँ, सरसों एवं धान छानस की मात्रा (कु0)	छानस विक्रय दरें (रू0/कु0)	धनराशि (रू0)	विक्रय उपरान्त शेष बची मात्रा का आगामी वर्ष में नीलामी द्वारा विक्रय (कु)	दरें (रू0/कु0)	धनराशि (रू0)
रबी 2016–17	गेहूँ	डी.पी. डबलू. 621–50	115.87	80.45	33.20	1.00	1.22	टी.एल.	02	04.10.17	80.45	3300	कृषक	265485	39.75	1100	43725	0.00	-	-
	गेहूँ	डी.बी. डबलू. 88	17.75	11.20	6.55	0.00	0.00	टी.एल.	01		11.20	3300	कृषक	36960						
	सरसों	पूसा बोल्ड	18.72	9.57	8.56	0.00	0.59	टी.एल.	TL 03									0.00	-	-
	गेहूँ	डी.बी. डबलू. 17	167.12	121.80	38.84	0.00	6.48	ब्रेडर	07	23.10.17	4.50	7500	कृषक	33750	8.56	2100	17976			16021.2
											72.20	5670	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	409374	237.95	1100	261745	5.07	3160	
																		49.10	1521	74681.1
	गेहूँ	डी.बी. डबलू. 16	72.32	41.60	28.80	1.00	0.92	ब्रेडर	08		41.60	5670	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	235872				0.00	-	-
	गेहूँ	डी.बी. डबलू. 71	50.13	29.20	19.20	0.80	0.93	ब्रेडर	04	16.10.17	20.60	5670	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	116802				8.60	1521	13080.6

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

	गेहूँ	डी.बी. डबलू. 90	100.75	73.60	24.40	1.00	1.75	ब्रेडर	05		73.60	5670	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	417312				0.00	-	-
	गेहूँ	डी.बी. डबलू. 88	150.08	98.40	45.31	1.00	5.37	ब्रेडर	06		98.40	5670	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	557928				0.00	-	-
	गेहूँ	पी.बी. डबलू. 590	125.31	68.70	51.40	1.00	4.21	प्रमाणित	03	13.11.18	36.65	3300	कृषक	120945				33.05	1521	50269.05
	गेहूँ	पी.बी. डबलू. 226	164.64	129.60	30.00	1.00	4.04	प्रमाणित	4II		129.60	3300	कृषक	427680				0.00	-	-
रबी 2017–18	गेहूँ	पी.बी. डबलू. 226	120.74	91.54	25.70	1.50	2.00	टी.एल.	TL 07	16.10.18	91.54	3300	कृषक	302082	141.44	1751	247661.4	0.00	-	-
	गेहूँ	डी.बी. डबलू. 71	65.22	46.85	15.20	1.57	1.60	टी.एल.	TL 06		46.85	3300	कृषक	154605				0.00	-	-
	गेहूँ	पी.बी. डबलू. 226	113.77	74.40	34.40	1.20	3.77	टी.एल.	TL 05		74.40	3300	कृषक	245520				0.00	-	-
	गेहूँ	डी.पी. डबलू. 621–50	91.99	72.80	17.02	0.80	1.37	ब्रेडर	BS 04		72.80	6520	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	474656				0.00	-	-
	गेहूँ	डी.बी. डबलू. 17	52.36	39.60	9.12	3.20	0.44	ब्रेडर	BS 03		39.60	6520	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	258192				0.00	-	-

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110

गेहूँ	डी.बी. डबलू 90	35.00	24.70	6.80	2.00	1.50	ब्रेडर	BS 02		24.70	6520	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	161044				0.00	-	-
गेहूँ	डी.बी. डबलू 88	159.81	123.60	33.20	1.47	1.54	ब्रेडर	BS 01		123.60	6520	सरकारी संस्थान/ बीज उत्पादक फर्म	805872				0.00	-	-

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग 2 (ब)

प्रस्तर–11 ₹ 917.98 लाख की धनराशि के अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया ज एवं बैलेंश शीट में अस्थायी अग्रिमों का शीड्यूल न बनाया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 249 के अनुसार प्रदत्त अस्थायी अग्रिमों समायोजन अग्रिम प्रदान किये जाने के तीन माह के भीतर अथवा अधिकतम वित्तीय वर्ष समाप्ति तक करा लिया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित अग्रिम की वसू की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इकाई द्वारा प्रस्तुत लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निम्नलिखित (विवर संलग्न) अस्थायी अग्रिमों का समायोजन सम्प्रेक्षा तिथि तक नहीं किया गया था:–

Sl. No.	Name of Accounts	Amount of Advances
1.	Education Accounts	9434256.00
2.	FARM Accounts	473840.00
3.	General Accounts	651000.00
4.	Director of extension Accounts	57879122.00
5.	ICAR Project, UPCAR/RKVY Project, ICAR DEVE Grant	23359446.00
Total		91797664.00

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में विभिन्न कार्यों/योजनाओं हेतु अग्रिम प्रदान किया गया था किन्तु बैलेंश शीट में उसका शीड्यूल नहीं बनाया गया था जिससे समस्त अग्रिम की धनराशि का सत्यापन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि यथाशीघ्र समायोजन कराया जायेगा। अग्रिमों के शीड्यूल न बनाये जाने के सम्बन्ध में पूँछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

इकाई द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा अस्थायी अग्रिमों के दिये जाने हेतु कोई व्यवस्थित प्रक्रिया विकसित नहीं है तथा जिस कार्य हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी गयी है

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

क्या वह कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया अथवा नहीं, उसका पर्यवेक्षण एवं निगर नहीं की जा रही है। इकाई द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा वित्तीय नियं की अवहेलना करते हुए धनराशि ₹ 917.98 लाख के अस्थायी अग्रिम का समायोजन सम्प्रेक्षा ति तक नहीं किया गया है एवंबैलेंश शीट में अस्थायी अग्रिमों का शीड्यूल भी नहीं बनाया जा रहा है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

क्र0 सं0	अग्रिम लेने वाले का नाम	अग्रिम धनराशि की दिनांक	अग्रिम की धनराशि	प्रयोजन
एजूकेशन एकाउन्ट				
1.	डा. नीलेश	24.04.2019	477624.00	निर्माण कार्य
2.	डा0 राज कुमार	24.04.2019	20000.00	ट्रायल स्टूडेन्ट
3.	डा0 राज कुमार	24.04.2019	15000.00	ट्रायल स्टूडेन्ट
4.	श्री अतुल कुमार पी.ए.	07.05.2019	13875.00	स्टेटस रिपोर्ट
5	डा. नीलेश	05.08.2019	1432872.00	निर्माण कार्य
6	डा0 सत्य प्रकाश	07.08.2019	10000.00	इम्प्रेस्ट
7	डा.जैवीर सिंह	28.08.2019	728000.00	वी.सी.होम
8	डा.जैवीर सिंह	13.09.2019	645000.00	आर.एन्ड एम.
9	डा0 एन0एस0राना	02.11.2019	10000.00	इम्प्रेस्ट
10	के.वी.के. अमरोहा	04.11.2019	20000.00	किसान मेला
11	के.वी.के गाजियाबाद	04.11.2019	20000.00	किसान मेला
12	के.वी.के नगीना	04.11.2019	20000.00	किसान मेला
13	के.वी.के हासिमपुर	04.11.2019	20000.00	किसान मेला
14	के.वी.के रामपुर	04.11.2019	20000.00	किसान मेला
15	के.वी.के.बुलन्दशहर	04.11.2019	20000.00	किसान मेला
16	डा0 बिजेन्द्र सिंह	05.11.2019	1000.00	पोस्टेज
17	डा0 डी0ण्स0साहू	07.11.2019	10000.00	वर्कर
18	डा0 आर0एस0सैंगर	07.11.2019	20000.00	किसान मेला
19	श्रीमत किरन	03.12.2019	210000.00	स्कालरशिप
20	श्री विकास चन्द्र	05.02.2020	30000.00	फाईनान्स मीटिंग
21	डी.एस.डब्ल्यू.आफिस	15.04.2020	180000.00	स्कालरशिप
22	डा.नीलेश	08.06.2020	1617219.00	सब स्टेशन
23	डी.एस.डब्ल्यू.आफिस	02.07.2020	55000.00	स्कालरशिप
24	डा0 बी0आर0सिंह	14.07.2020	10000.00	इम्प्रेस्ट
25	डी.एस.डब्ल्यू.आफिस	24.09.2020	180000.00	फेलोशिप
26	डा0 सुनील मलिक	24.09.2020	1000.00	पोस्टेज
27	ओम प्रकाश ड्राइवर	26.09.2020	10000.00	कार रिपेयर
28	डा0 सुनील मलिक	19.10.2020	10000.00	इम्प्रेस्ट
29	डा.जैवीर सिंह	02.12.2020	1264000.00	आर. एन्ड एम.
30	डी.एस.डब्ल्यू.आफिस	03.12.2020	150000.00	फेलोशिप
31	डा0 आर0एस0सैंगर	11.01.2021	1700.00	डिस्पैच
32	डा0 आर0के0सेन	22.02.2021	30000.00	फाईनान्स मीटिंग
33	प्रो0समशेर	04.03.2021	10000.00	इम्प्रेस्ट
34	श्री शिवेन्द्र सिंह	08.04.2021	20000.00	स्कीनिंग
35	डा. नीलेश	27.05.2021	2061966.00	निर्माण कार्य
36	श्री एस. के.मौयझ	25.06.2021	40000.00	बी.ओ.एम.
37	डा.एल.के.गंगवार	30.06.2021	10000.00	इम्प्रेस्ट

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

38	श्री एस. के.मौर्या	24.07.2021	20000.00	मीटिंग
39	ओम प्रकाश ड्राइवर	30.07.2021	20000.00	कार रिपेयर

योग			9434256.00	
		फार्म एकाउन्ट		
1	डा0 अली हुसैन	28.07.2017	15950.00	ओ.आई.सी. नगीन
2	डी.एन.मिश्रा	28.07.2017	15950.00	ओ.आई.सी. नगीन
3	डा0 डी0के0लाल	03.01.2018	5000.00	इम्प्रेस्ट
4	डा0 डी0के0लाल	03.01.2018	5000.00	इम्प्रेस्ट
5	श्राजेश्वर दयाल	10.01.2018	10000.00	प्रिन्टर
6	डा.तसीन कुमार	14.02.2019	10000.00	ओ.आई.सी. नगीना
7	डा0 अनिल सारस्वत	26.11.2019	5000.00	इम्प्रेस्ट
8	राम कुमार	04.12.2019	5000.00	इम्प्रेस्ट
9	डा0 राजेन्द्र कुमार	31.03.2020	14495.00	प्रिन्टर
10	डा0 शिवा सिंह	31.03.2020	40000.00 20000.00	इम्प्रेस्ट
11	डा0 एस.बी.सेठ	31.03.2020	40000.00 20000.00	इम्प्रेस्ट
12	डा0 डी0एन0मिश्रा	31.03.2020	40000.00 20000.00	इम्प्रेस्ट
13	डा0 हारून कटियार	31.03.2020	5000.00	इम्प्रेस्ट
14	डा0 आर0बी0यादव	31.03.2020	5000.00	इम्प्रेस्ट
15	डा0 अरविन्द कुमार	31.03.2020	5000.00	इम्प्रेस्ट
16	अशोक कुमार	31.03.2020	5000.00	इम्प्रेस्ट
17	डा0 ब्रिजेन्द्र सिंह	31.03.2020	13085.00	डी.ए.पी./यूरिया
18	आइ.सी.नगीना	22.03.2021	75000.00	ग्रान्ट
19	डा0 मुकेश कुमार	17.08.2021	9680.00	शीड
20	डा0 शिव सिंह	17.08.2021	80000.00	पर्चेज
21	डा0 मुकेश कुमार	17.08.2021	9680.00	शीड
योग			473840.00	

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

General Accounts				
1	OICKVK Nagina	29.11.2017	20000-00	FTT Adv
2	OICKVK Rmapur	29.11.2017	20000-00	FTT Adv
3	OICKVK Ujhauni	29.11.2017	40000-00	FTT Adv
4	OICKVK Badaun	16.02.2019	26000-00	FTT Adv
5	OICKVK Rampur	16.02.2019	26000-00	FTT Adv
6	OICKVK Nagina	16.02.2019	26000-00	FTT Adv
7	OICKVK Barielly	16.02.2019	26000-00	FTT Adv
8	OICKVK Rampur	27.03.2021	33000-00	FTT Adv
9	OICKVK Gaziabad	27.03.2021	66000-00	FTT Adv
10	OICKVK Nagina	27.03.2021	33000-00	FTT Adv
11	OICKVK Hashimpur	27.03.2021	66000-00	FTT Adv
12	OICKVK BSR	27.03.2021	66000-00	FTT Adv
13	OICKVK Shamli	27.03.2021	66000-00	FTT Adv
14	OICKVK Amroha	27.03.2021	33000-00	FTT Adv
15	OICKVKBulandshahar	16.02.2019	26000-00	FTT Adv
16	OICKVKGaziabad	16.02.2019	52000-00	FTT Adv
17	OICKVK Shamli	16.02.2019	26000-00	FTT Adv
Total			651000.00	
Director of extention Accounts				
1	OICKVK Nagina	15.03.2017	299900.00	Construction,Works
2	OICKVK Nagina	21.03.2017	30018.00	Battery
3	OICKVK Nagina	21.03.2017	10927.00	Purchage
4	OICKVK Nagina	25.03.2017	21374.00	Purchage
5	OICKVK BSR	30.03.2017	7903.00	BSR
6	OICKVK Boghra	01.09.2017	50000.00	Permanent Adv.
7	PINICRA	20.09.2017	50000.00	Imprest
8	OICKVK Shamli	13.07.2018	1000000.00	Construction,Works
9	Dr. Balraj Singh	21-07-2018	100000.00	Imprest
10	OICKVK Shambhal	13.08.2018	100000.00	Imprest
11	O. Inch. KVK MZN-II	05-03-2019	100000.00	Imprest
12	UPPJN GBD	06.03.2019	5000000.00	Construction,Works
13	Dr. Jaibir Singh	04-01-2020	3500000-00	Construction,Works
14	Dr. Jaibir Singh	04.01.2020	3100000.00	Construction,Works
15	Dr. Jaibir Singh	04-01-2020	3500000-00	Construction,Works
16	Dr. Jaibir Singh	04-01-2020	3500000-00	Construction,Works
17	Dr. Jaibir Singh	16.01.2020	3500000.00	Construction,Works
18	Dr. Jaibir Singh	31.03.2020	2000000.00	Construction,Works
19	Dr. Jaibir Singh	31.03.2020	2000000.00	Construction,Works

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

20	Dr. Jaibir Singh	31.03.2020	2000000.00	Construction,Wor
21	Dr. Jaibir Singh	31.03.2020	2000000.00	Construction,Wor
22	O.Inch.KVKMBD-II	20-06-2020	1 00000.00	Imprest
23	UPPJN GBD	05.09.2020	944000.00	Imprest
24	UPPCL-33 Dr.Jaiveer Singh	27-11-2020	2000000-00	Construction,Wor
25	UPPCL-33 Dr.Jaiveer Singh	27.11.2020	2000000.00	Construction,Wor
26	UPPJN GBD	27.11.2020	6461000.00	Construction,Wor
27	Dr.Jaiveer Singh	05.03.2021	1000000.00	Construction,Wor
28	Dr.Jaiveer Singh	05.03.2021	2000000.00	Construction,Wor
29	Dr.Jaiveer Singh	05.03.2021	1000000.00	Construction,Wor
30	Dr.Jaiveer Singh	05.03.2021	2000000.00	Construction,Wor
31	Dr.Jaiveer Singh	22.03.2021	2000000.00	Construction,Wor
32	Dr.Jaiveer Singh	22.03.2021	6249000.00	Construction,Wor
33	Dr.Jaiveer Singh	22.03.2021	2000000.00	Construction,Wor
34	Dr.Jaiveer Singh	22.03.2021	5835000.00	Construction,Wor
35	UPPJN GBD	22.03.2021	944000.00	Construction,Wor
36	Dr.Jaiveer Singh	05.07.2021	854000.00	Construction,Wor
37	Dr.Jaiveer Singh	05.07.2021	900000.00	Construction,Wor
38	Dr.Jaiveer Singh	23.09.2021	4183000.00	Construction,Wor
Total			57879122.00	
		ICAR Project		
1	UP Seed Corp. Dr. Lodhi	09.04.2019	3000.00	Patching
2	Dr. Rajendra Singh	13.09.2019	112425.00	Resurch
3	Dr. Rajendra Singh	10.08.2020	91800.00	Testing
4	Sri Suresh Chandra F.A.	22.03.2021	26196.00	Checked
5	Dr. Rajendra Singh	23.03.2021	50025.00	Trail
6	Dr.Jaiveer Singh	25.03.2021	6370500.00	R&M
		UPCAR/RKVY Project		
7	Dr.Jaiveer Singh	14.01.2021	1007000.00	R&M
8	Dr.Jaiveer Singh	31.03.2021	996000.00	R&M
9	Dr.Jaiveer Singh	31.03.2021	465000.00	R&M
		ICAR DEVE Grant		
10	Dr.Jaiveer Singh	29.02.2020	830000.00	R&M
11	Dr.Jaiveer Singh	20.03.2020	899000.00	R&M
12	Dr.Jaiveer Singh	20.03.2020	924000.00	R&M
13	Dr.Jaiveer Singh	20.03.2020	2887000.00	R&M
14	Dr.Jaiveer Singh	20.03.2020	3973000.00	R&M
15	Dr.Jaiveer Singh	20.03.2020	3629500.00	R&M
16	Dr.Jaiveer Singh	31.03.2020	1000000.00	R&M
17	Dr. Sunil Malik	20.02.2020	40000.00	Training
18	Dr. Rajendra Singh	20.03.2021	55000.00	Training
Total			23359446.00	
Grand Total			91797664.00	

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (ब)

प्रस्तर सं0–12 शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु नैक (NAAC) से मूल्यांकन कराये बिना, विश्वविद्यालय द्वारा रू012803.69 लाख का अनुदान प्राप्त किया जाना।

शासनादेश संख्या 1083/70–01–2013 दिनांक 3 सितम्बर 2013 के अनुसार उ0 प्र0 सरकारद्वारा उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ, प्रासंगिक व अर्थपरक बनाये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशार्निदेशों में शासन के एजेन्डा वर्श 2013–14 में उच्च शिक्षण संसाथनों का नैक (NAAC) से मुल्यांकन कराकर उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाना शामिल है। उच्च शिक्षण संस्थाओं के गुणवत्ता के मूल्यांकन का आधार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा प्राप्त ग्रेडिंग (A,B,C) से होता है। यह संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित स्वायत्तशाषी संस्था है जिसके द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के सुनिश्चियन एवं मापदण्ड निर्धारित किये जाने का कार्य किया जाता है। नैक संस्था समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन को सर्वोच्च प्राथमिकता की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का आशय प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना यू0जी0सी0 (Mandatory Assessment And Accreditation Of Higher Education Institution Regulation, 2012) दिनांक 13.12.2012 को जारी की गई है, जिसके अनुसार उच्चतर शिक्षण संस्थाए जब तक पात्रता हेतु निर्धारित मानदण्ड पूरा करके मूल्यांकित नहीं हो जाती तब तक वह किसी वित्त प्रदाता संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होंगी। उक्त अधिसूचित अधिनियम की धारा 2(F) के अनुसार कोई भी संस्था मान्यता प्राप्त करने के लिए भी पात्र नहीं होगी तथा संस्थान यदि NAAC मूल्यांकन कराने से विरत रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संदर्भित विनियम की धारा–09 में की गयी ब्यवस्थानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के लिए पात्र होगा जिसके अनुसार उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। सम्बन्धित शैक्षिक संस्था का वित्तीय अनुदान रोका जा सकता है और उसे किसी वित्तीय सहायता के लिए अनर्ह (Disqulified) घोषित किया जा सकता है अतः समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं राजकीय, अशासकीय, एवं स्ववित्तपोषित का नैक से मूल्यांकन कराये जाने की अनिवार्यता है जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हो सके तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ हो सके।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि यू0जी0सी (Mandatory Assessment And Accreditation Of Higher Education Institution Regulation, 2012)एवंशासनादेश संख्या 1083/70–01–2013 दिनांक 3 सितम्बर 2012 के लागू होने की तिथि से अद्यत तक विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन में राश्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) से कोई भी ग्रेडिंग (A,B,C) प्राप्त नही किया गया है, और न ही विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु अनिवार्य रूप से कराये जाने वाले NAAC से मुल्यांकन हेतु कोई समुचित प्रयास किया गया है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय द्वारा सम्प्रेक्षा अवधि वर्श 2019–20 एवं 2020–21 में राजकीय सहायता सामान्य वेतन एवं गैर वेतन मद मे क्रमशः रू0 5509.03 लाख एवं रू07294.66 लाख सहित 12803.69 लाख की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त की गई हैं। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि नैक से मुल्यांकन हेतु राज्यपाल उ0प्र0 के आदेश सितम्बर 2021 के अनुपालन में कमेटी का गठन नैक मुल्यांकन हेतु किया गया हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्यौकि यू0जी0सी (Mandatory Assessment And Accreditation Of Higher Education Institution Regulation, 2012)एवं शासनादेश संख्या 1083/70–01–2013 दिनांक 3 सितम्बर 2013 के लागू होने की तिथि से 09 वर्ष से अधिक समय ब्यतीत हो जाने कें बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा नैक से अर्हता नहीं प्राप्त की जा सकी है। नैक से ग्रेडिंग नही होने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाये हेतु कृत संकल्प दिखाई नही देता है,बावजूद इसके वर्ष–प्रतिवर्ष वित्तीय सहायताए/अनुदान की धनराशि लगातार शासन से प्राप्त की जा रही है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

भाग – दो (ब)

प्रस्तरः–13 अवशेष धनराशि ₹ 11.70 लाख को परियोजना की धनराशि पर अर्जित ब्याज व समर्पण न करके दूसरे परियोजना में विवर्तन करने हेतु प्रस्तावित किया जाना।

उ0प्र0 शासन कृषि अनुभाग–3 के पत्र संख्या 552/12–3–2018–100(08)/2018 दिनांक 0 06.2018 द्वारा सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को राष्ट्री कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में "Estabishment of goat unit fo conservation and revitalization of superior germplasm of Barbari goat परियोजनान्तर्गत व्यय हेतु धनराशि रू0 141.00 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उत्त प्रदेश शासन के पत्रांक रा0कृ0वि0यो0/156/ लेखा–80/2018–19 दिनांक 22.05.2018 द्वार जिसमें 40 प्रतिशत राज्यांश एवं 60 प्रतिशत केन्द्रांश के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित क गयी थी। मंत्रालय/विभाग के पत्र संख्या 552/12–3–18–100(08)/2018 दिनांक 01.06 2018 धनराशि रू0 84.60 लाख तथा पत्र संख्या 552/12–3–18–100(08)/2018 दिनांक 07.12.2018 द्वारा रू0 56.40 लाख जो कुल धनराशि रू0 141.00 लाख उक्त परियोजना हेतु स्वीकृति की गयी थी। प्रोजेक्ट के प्रपोजल के अनुसार परियोजना को एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जाना था।

उ0 प्र0 शासन कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ के पत्र संख्या 319/67–कृषिअ–18–1500 (15)/10 टीसी–।।। द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत राश्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सी. एण्ड डी. एस. जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। वर्ष 2018–19 में परियोजना परिपालन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार निम्नवत व्यय किया गया।

Sl. No.	Sanctioned Cost (Rs. In Lacs)	Work Statement	Expenditure (Rs. In Lacs)	Unutilized Amount (Rs. In Lacs)
1.		**Construction**	84.60	
2.		**Equipment:-** 1. Gem-06 Nos. 2. Tendar-19 Nos. 3. Advertisement	2.75 24.87 2.18	
3.		**Animals:-** (50 goats and 5 bucks)	4.93	
4.		**Recurring:-**(including training 02 and 06 N 2021, 23 participants)	9.97	
Total	141.00	--	129.30	11.7

समीक्षा बैठक दिनांक 21.06.2021 द्वारा उक्त परियोजना की कुल आवंटित धनराशि रू 141.00 लाख के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0129.30 लाख एवं अवशेश रू0 11.70 लाख का सम्पूर्ण विवरण निदेशक शोध कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। परियोजना अन्वेषक द्वारा सूचित अवशेष धनराशि रू0 11.70 लाख को डा0 नीलेश चौहान परियोजना अन्वेषक को स्वीकृत नवीन परियोजना "Strengthening and Modemization of Food Processing Unit" में सम्मिलित करते हुए यथाशीघ्र सांपत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि प्रश्नगत परियोजना जब दिनांक 31. 2019 को हस्तगत हो गयी तो अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर देना चाहिए, जब समर्पण न करके अवशेष धनराशि बचत खाता में ही रहने दिया गया, ब्याज का कितना अ हुआ उसका विवरण सम्प्रेक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। समीक्षा बैठक दिनांक 21.06.2(द्वारा अवशेष धनराशि का सम्पूर्ण विवरण निदेशक शोध कार्यालय में उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि दिनांक 21.(2021 द्वारा उक्त परियोजना की कुल आवंटित धनराशि रू 141.00 लाख के सापेक्ष ब्र धनराशि रू0129.30 लाख एवं अवशेष रू011.70 लाख का सम्पुर्ण विवरण निदेशक शो कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया। इसी कम में समीक्षा बैठक दिनांक 21.06.20; परियोजना अन्वेषक द्वारा सूचित अवशेष धनराशि रू0 11.70 लाख को डा0 नीलेश चौहा परियोजना अन्वेषक को स्वीकृत नवीन परियोजना "Strengthening an Modemization of Food Processing Unit" में सम्मिलित करते हुए यथाशीघ्र मांगप प्रेषित करने के निर्देश जारी किये गये तथा इसकी सूचना शोध निदेशालय द्वारा ई–मेल व माध्यम से दिनांक 25.06.2021 को कृषि निदेशक कृषि निदेशालय, कृषि भवन लखनऊ क प्रेषित कर दिया गया।

इकाई द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा अवशेष रू011.70 लाख को अभी तक शासन को समर्पण न करके अवशेष धनराशि बचत खाता में ही रहने दिया गया एवं नही अवशेष धनराशि का किसी परियोजना में सम्मिलित कर उपयोग किया गया। ब्याज का अर्जन कर उसका लाभ लिया गया। अतः विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही वित्तीय नियमानुसार नही है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग – दो (ब)

प्रस्तर–14 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु संबंधित पंचायत/नगर पंचायत/पंचायत आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना ही रू0 934.29 लाख का अपरिहार्य व्यय किया जाना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद, कृषि अनुसंधान भवन–1 पूसा, नई दिल्ली के आदेश के क्रम में निदेशक, KVK, Agricultural Technology Application Research Institute GT Road, Rawatpur, Kanpur द्वारा आदेश संख्या ATARI/KVK-Works/2018-19/1803-07 दिनांक 13.03.2019 के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अन्तर्गत निम्नलिखित कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृत किया गया था।

क0 सं0	के0वी0के0 का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)
1.	अमरोहा	प्रशासनिक भवन	133.49
2.	शामली	प्रशासनिक भवन	133.49
3.	बदायूँ–2	प्रशासनिक भवन	133.49
4.	बुलन्दशहर	प्रशासनिक भवन	133.49
5.	हापुड़	प्रशासनिक भवन	133.49
6.	सम्भल	प्रशासनिक भवन	133.49
7.	मुजफ्फरनगर	प्रशासनिक भवन	133.35
		योग	934.29

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए जो प्रशासनिक भवन निर्माण किये गये उनकी कार्य प्रगति रिपोर्ट, (वित्तीय एवं भौतिक) नहीं बनायी गयी है। निर्माण कार्य भी समय से पूर्ण नहीं किया गया है और न ही कार्य को पूर्ण करने के लिए वर्क एक्सटेंशन लिया गया है।कार्यों की गुणवत्ता के आंकलन हेतु टेस्टिंग रिपोर्ट सक्षम संस्था द्वारा नही कराया गया था। प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु संबंधित पंचायत/नगर पंचायत/पंचायत आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्यों की गुणवंत्ता के आंकलन हेतु टेस्टिंग रिपोर्ट सक्षम संस्था द्वारा करा लिया जायेगा एवं संबंधित पंचायत/नगर पंचायत/पंचायत आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा।

इकाई द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए जो प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया गया है, उनकी गुणवत्ता के आंकलन हेतु टेस्टिंग रिपोर्ट सक्षम संस्था द्वारा नही कराया गया है एवं न ही संबंधित पंचायत/नगर पंचायत/पंचायत आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है। इस प्रकार इकाई द्वारा रू0 934.29 लाख का अपरिहार्य व्यय किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

भाग – दो (ब)

प्रस्तर–15 विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य रोकड़ बही का रख–रखाव न किया जाना एवं मुख्य रोकड़ बही का कोषागार समाधान विवरण से मिलान न कराये जाने से वित्तीय स्थिति का आंकलन स्पष्ट न होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–एक के प्रस्तर 27 ए के अनुसार किसी भी विभाग/संस्थान में एक मुख्य रोकड़बही का रख–रखाव किया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे किसी भी विभाग–संस्थान के लेन–देनों का सम्पूर्ण लेखा–जोखा प्रस्तुत किया जा सके और उसका सही आंकलन किया जा सके। वित्तीय हस्त पुस्तिका नियम 6 के अनुसार किसी भी निकाय या संस्था में प्रतिदिन होने वाले लेन–देनों की प्रविष्टि रोकडबही में दर्ज करनी चाहिए एवं माहवारी/वार्षिक सारांश बनाकर आहरण वितरण अधिकारी से सत्यापित कराया जाना चाहिए।

सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मेरठ द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मुख्य रोकड़बही का रख–रखाव नहीं किया गया है।

कम संख्या	माह	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21
1.	अप्रैल	54315548.98	65893863.00
2.	मई	52344259.82	53901981.00
3.	जून	84655448.06	60288095.00
4.	जुलाई	30426676.00	92657689.00
5.	अगस्त	124887751.00	16468795.00
6.	सितम्बर	38652539.00	91274202.00
7.	अक्टूबर	133728887.00	108031812.00
8.	नवम्बर	72994566.00	42639390.00
9.	दिसम्बर	75678276.00	84894514.00
10.	जनवरी	61175134.00	68084910.00
11.	फरवरी	71030980.00	82258664.00
12.	मार्च	159771591.00	350820439.11

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा उत्तर में बताया गया कि मुख्य रोकडबही बनाकर आगामी लेखापरीक्षा में अवगत करा दिया जोयगा।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

सम्प्रेक्षा में पूंछा गया कि मुख्य रोकड़बही के बिना विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का आंकलन किस प्रकार से किया जा रहा है, एवं विश्वविद्यालय के अन्तर्गत समस्त लेनदेनों पर वित्तीय नियंत्रण किस प्रकार रखा जा रहा है। इस संबंध में इकाई द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

इकाई द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष मुख्य रोकड़बही का रख–रखाव नहीं किया गया है। दर्ज प्रविष्टियों एवं बनाये गये माहवारी/वार्षिक सारांश को आहरण वितरण अधिकारी से सत्यापित कराया जाना चाहिए एवं जब निकाय के अपने खातों के अनुसार तथा बैंक के विवरण के अनुसार शेषों में अंतर हो तो प्रत्येक बैंक खातों का बैंक समाधान विवरण बनाकर अंतर के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो लेखा समायोजन किया जाना चाहिए। निकाय द्वारा बैंक खाते का समाधान विवरण उपरोक्त संप्रेक्षा आपत्ति के संदर्भ में उत्तर स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखांकन की शुद्धता के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर निकाय की बैंक रोकड़ बही तथा बैंकों द्वारा प्रदत्त लेखा विवरणों से मिलान किया जाना चाहिए तथा यदि कोई त्रुटि होतो उसका समाधान किया जाना चाहिए। यदि इकाई द्वारा मुख्य रोकड़बही बनायी गयी होती तो उसमें दर्ज प्रविष्टियो को बैंक समाधान एवं कोषागार समाधान विवरण से मिलान करने पर अंतर की राशि परिलक्षित होती। इस प्रकार इकाई द्वारा वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग – दो (ब)

प्रस्तरः–16 विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा बिना बजट प्राविधान के सक्षम प्राधिकारी स्तर से स्वीकृति प्रदान कर ICAR Development Grant, (SC-ST Sub Plan) मद से रू0 125 लाख की पुस्तकों का अनियमित रूप से क्रय किया जाना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पत्र संख्या Agrll.Edn./1(10)/2020-EP&HS Dated 11.03.2021 के द्वारा Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste – Sub Plan (SC – SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2020-21. विश्वविद्यालय को वास्तविक धनराशि रू0 3453377.00 जारी की गयी। "Scheduled Caste – Sub Plan के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की गयी थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा "Scheduled Caste – Sub Plan के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से दिये गये मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करने की अनुमति नहीं थी, प्लान में पुस्तकों के क्रय हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया था।

सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में केन्द्रीय पुस्तकालय प्रभारी द्वारा नवीनतम प्रकाशन के बजाय एक से आठ वर्ष तक की पुराने प्रकाशन की ICAR Development Grant, (SC-ST Sub Plan) के अन्तर्गत जारी आवंटित धनराशि से अवशेष धनराशि रूपये 1.25 लाख की विभिन्न विषयों की कुछ पुस्तकें सरकारी संस्थान (Directorate of Knowledge Management in Agricultural, ICAR, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road Opp. Rani Bhaan New Delhi) से प्रत्यक्ष रूप में जाकर क्रय कर ली गयी। एक से अधिक एसेसन रजिस्टर बनाया गया था। विभिन्न विभागों/संकायों से मॉग पत्र प्राप्त किये बिना ही आवश्यक्ता के विपरीत पुस्तकों का शीघ्र क्रय कर लिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों के स्तर से यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में ICAR Development Grant,(SC-ST Sub Plan) के अन्तर्गत जारी आवंटित धनराशि में से अवशेश धनराशि रूपये 1.25 लाख से केन्द्रीय पुस्तकालय नवीनतम प्रकाशन की विभिन्न विशयों की कुछ किताबें सरकारी संस्थान (Directorate of Knowledge Management in Agricultural, ICAR, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road Opp. Rani Bhaan New Delhi) से प्रत्यक्ष रूप में जाकर क्रय कर ली जाये। सम्प्रेक्षा में पूंछा गया कि यदि नवीनतम प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी तो क्या पुराने प्रकाशन की पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु पुनः सक्षम प्राधिकारी स्तर से स्वीकृति प्राप्त की गयी थी, एक से अधिक एसेसन रजिस्टर क्यों बनाया गया एवं विभिन्न विभागों/संकायों से मॉग पत्र प्राप्त किये

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

बिना ही आवश्यक्ता के विपरीत पुस्तकों का शीघ्र क्रय कर लिये जाने का क्या कारण है इसपर इकाई द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में ICAR Development Grant, (SC-ST Sub Plan) के अंतर्गत पुस्तके क्रय हेतु कोई भी प्राविधान नहीं था। विश्वविद्यालय द्वारा व्ययावर्तन करके रू0 1.25 लाख की पुस्तकें Directorate of Knowledge Management in Agricultural, ICAR, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road Opp. Rani Bhaan New Delhi से प्रत्यक्ष रूप से जाकर क्रय कर लिये जानें की स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्रय की जाने वाली पुस्तकें नवीनतम प्रकाशन की विभिन्न विषयों की होनी चाहिए थीं, जबकि पुस्तकालय प्रभारी द्वारा नवीनतम प्रकाशन के बजाय एक से आठ वर्ष तक कीं पुरानी पुस्तकें क्रय कर ली गयी। पुस्तकालय द्वारा एक से अधिक एसेसन रजिस्टर नहीं बनाया जाना चाहिऐ एवं विभिन्न विभागों/संकायों से मॉग पत्र प्राप्त किये बिना आवश्यक्ता के विपरीत पुस्तकों का क्रय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–2 (ब)

प्रस्तर–17 (अ) विश्वविद्यालय में गैर–शैक्षणिक संवर्ग का 42 प्रतिशत पद एवं शैक्षणिक संवर्ग का 58 प्रतिशत पद रिक्त पाया जाना।

नियमानुसार किसी भी संस्था में स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही नियुक्ति होनी चाहिए ताकि कार्य के सम्पादन में किसी भी प्रकार नियुक्ति की कमी के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो। सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि गैर–शैक्षणिक संवर्गएवं शैक्षणिक संवर्ग(शिक्षणेत्तर श्रेणी) के अधिकांश पद रिक्त थे। विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर–शैक्षणिक संवर्ग एवं शैक्षणिक संवर्गकी सूची के अनुसार स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न था:–

Non Teaching Staff Position

S.N.	Post Name	Sanction Post	Filled Post	Vacant Post
1.	Comptroller	01	01	-
2.	Registrar	01	-	01
3.	Accounts officer	01	01	-
4.	Technician	01	01	-
5.	Book Binder	01	01	-
6.	Animal Attdt.	01	01	-
7.	Record Keeper /Jr.Clerk	01	01	-
8.	Asstt. Librarian	01	01	-
9.	Personal Asstt.	02	02	-
10.	Steno	04	03	01
11.	Sr. Lab Asstt.	02	02	-
12.	Computer Operator	12	09	03
	Total	**28**	**23**	**05**
13.	Public Relation Officer	01	01	-
14.	Peon /Mail Messenger	02	01	01
15.	Account Officer	01	01	-
16.	Accountant	01	01	-
17.	Clerk/ Dispatcher	15	15	-
18.	Head Assistant	02	01	01
19.	Sr. Assistant	01	01	-

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

20.	Establishment Officer	01	01	-
21.	Store Keeper/Jr. assistant	07	06	01
22.	Store Attendant	01	01	-
23.	Asstt. Librarian	01	01	-
24.	Library Asstt.	01	-	01
25.	Library Attendant	01	01	-
26.	Milk Man	01	01	-
27.	Camera Man	01	-	01
28.	Audio Video Aids Asstt.	01	01	-
29.	Steno	01	01	-
30.	Asstt. Accountant	01	-	01
31.	Technician	08	08	-
32.	Office Asstt.	03	03	-
	Total	**51**	**45**	**06**
33.	Account Officer	01	01	-
34.	Lab Assitt.	01	01	-
35.	Store Keeper	01	01	-
36.	Attendant	01	01	-
37.	Accountant	01	01	-
38.	Asstt. Accountant	01	01	-
39.	Clerk	01	01	-
	Total	**07**	**07**	-
40.	Asstt. Registrar	01	01	-
41.	Asstt. Accountant	02	01	01
42.	Lab Technician/Audio Visual Technician	17	-	17
43.	Computer Operator Grade-A	01	-	01
44.	Artist Cum Photographer	01	-	01
45.	Computer Operator Grade-2	01	-	01
46.	Steno Grade -2	01	-	01
47.	Xerox Operator	01	-	01
48.	Lab. Assistant	17	01	16
49.	Junior Clerk/Typest	03	03	-
50.	Art Room Attendant	01	-	01

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

51.	Animal Attendant	08	01	07
52.	Sweeper	05	01	04
53.	Mail Messenger	01	01	00
54.	Peon	01	01	00
55.	Jr. Clerk	02	01	01
	Total	**63**	**11**	**52**
	Grand Total	**149**	**86**	**63**

Teaching Staff Position

S.N.	Post Name	Sanctioned post	Filled post	Vacant Pos
01	Vice-Chancellor	01	01	=
02	DES/Dir. Research	01	--	01
03	Dean (Ag.)	01	-	01
04	Professor	12	08	04
05	Associate Professor	06	04	02
06	Assistant Professor	11	10	01
	Total	**32**	**23**	**09**
07	Jt.Director Research	01	-	01
08	Jt. Director Extension	01	-	01
09	Director Extension	01	-	01
10	Asso. Director(Ext.)	01	01	-
11	Dean P.G	01	-	01
12	Dean Bio-tech	01	-	01
13	Professor(bioTech)	07	02	05
14	Assoc. Professor(Bio tech)	06	04	02
15	Assoc. Professor(Ag)	12	09	03
16	Asstt.Professor(Ag.)	12	11	01
17	Asstt. Professor(Bio Tech)	08	08	-
18	SMS(Ext.)	07	04	03
19	Asstt. Director(EXT.)	01	01	-
20	Asstt. Director(Res.)	05	05	-
	Total	**64**	**45**	**19**
21	Joint Director/ Professor (Ag.)	02	01	01
22	Assoc. Professor/ Assoc.Director/SRO(Ag.)	06	05	01
23	Asstt. Professor / JRO(Ag.)	10	08	02
	Total	**18**	**14**	**04**
24	Dean (Vet.)	01	-	01
25	Professor(Vet.)	11	03	08
26	Asso. Professor(Vet.)	17	14	03
27	Asst.Professor(Vet.)	32	30	02

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

	Total	**61**	**47**	**14**
28	Professor(Vet.)	05	-	05
29	Asso. Professor(Vet.)	06	02	04
30	Asst.Professor(Vet.)	12	06	06
	Total	**23**	**08**	**15**
31	Assistant Professor/J.R.O./SMS	15	15	00
	Total	**15**	**15**	**00**
	Grand Total	**213**	**152**	**61**

उपरोक्त गैर–शैक्षणिक संवर्ग केस्वीकृत कुल 149 पदों के सापेक्ष 86 पद भरे तथा 63 पद रिक्त पाये गये। इस प्रकार 58 प्रतिशत पद भरे तथा 42 प्रतिशत पद रिक्त थे। Library Asstt., Camera man, Asstt. Accountant, Lab Technician/Audio Visual Technician, Computer Operator Grade-A, Artist Cum Photographer, Computer operator Grade-2, Steno Grade-2 & Xerox Operator आदि समस्त पद रिक्त थे। इसी प्रकार शैक्षणिक संवर्ग के उपरोक्त स्वीकृत 213 पदों के सापेक्ष मात्र 152 पद भरे तथा 61 पद रिक्त थे। इस प्रकार कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र 71 प्रतिशत पद भरे तथा 29 प्रतिशत पद रिक्त थे।

सम्प्रेक्षा में टिप्पणी किये जाने पर कि उक्त समस्त रिक्त पदों का कार्य कैसे तथा किस आधार पर सम्पादित किया जा रहा है।

इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मियों से विभागीय आबंटित कार्यों के अतिरिक्त कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्पादित कराया जा रहा है। शैक्षणिक संवर्ग एवं गैर शैक्षणिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा सृजित किये गये पदों को मा0 प्रबन्ध परिषद् की 42वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 को अनुमोदन के पश्चात् उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण कर विज्ञापन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेशित किया गया है। उ0प्र0 शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शिक्षणेत्तर श्रेणी के अधिकांश पदों के रिक्त होने तथा Library Asstt., Camera man, Asstt. Accountant, Lab Technician/Audio Visual Technician, Computer Operator Grade-A, Artist Cum Photographer, Computer operator Grade-2, Steno Grade-2 & Xerox Operator आदि समस्त पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित होना स्वाभाविक है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

इस प्रकार शैक्षणिक संवर्ग (शिक्षक श्रेणी) एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकांश पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना तथा सम्बन्धित शोध एवं अनुसंधान का कार्य समय पर पूर्ण होना मुश्किल था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

(ब) विश्वविद्यालय में नवस्थापित कालेज ऑफ हार्टिकल्चर, कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग तथा कालेज ऑफ टेक्नोलाजी महाविद्यालयों में गैर–शैक्षणिक संवर्ग का कोई भी पद सृजित न होना।

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी पत्रावली की जॉच में पाया गया कि विशेष सचिव उ0प्र शासन के शासनादेश संख्या 29/2018/1592/67–कृषिअ–18–500(3)/17 दिनांक 11 जुलाई 201 द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत स्थापित कालेज ऑफ हार्टिकल्चर, कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग तथा कालेज ऑफ टेक्नोलाजी महाविद्यालयों के संचालन हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक/प्रशासनिक श्रेणी के 151 अस्थायी पदों की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी थी:–

क0सं0	पद नाम	कालेज ऑफ हार्टिकल्चर महाविद्यालय में पदों की संख्या	कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग महाविद्यालय में पदों की संख्या	कालेज आफ टेक्नोलॉजी महाविद्यालय में पदों की संख्या
1.	प्राध्यापक	05	06	07
2.	सह–प्राध्यापक	06	12	15
3.	सहायक प्राध्यापक	19	30	48
4.	डीन	01	01	01
	कुल योग	31	49	71

पत्रावली की अग्रिम जॉच में पाया गया कि उपरोक्त शैक्षणिक/प्रशासनिक श्रेणी के पदों की निरन्तरता की स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनॉक 03 अप्रैल 2019 द्वारा कमशः वर्ष 2019–20 हेतु 29.02.2020 तक तथा दिनॉक 06 मार्च 2020 द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु दिनॉक 28.02.2021 तक प्रदान की गयी थी।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख सचिव, कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0 शासन लखनऊ को पंत्राकः सवप/2020/का0अनु0/8214 दिनांक 28.01.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तीनों

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र 2019–20 में छात्र अध्ययनरत है तथा आगामी काटेट परीक्षा के माध्यम से सत्र 2020–21 में प्रवेश दिया जायेगा। शैक्षिक सत्र 2019–20 में कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग में 10 विभाग, कालेज ऑफ हार्टिकल्चर में 08 विभाग तथा कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 13 विभाग संचालित थे।

वश्वविद्यालय के पत्र संख्याः सवप/वी0सी0/4685/2019 दिनांक 09.09.2019 द्वारा आई0सी0ए0आर0/ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार नवस्थापित तीनों महाविद्यालयों हेतु क्रमशः कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए गैर–शैक्षणिक संवर्ग के 70 पद, कालेज ऑफ हार्टिकल्चर के लिए 30 पद एवं कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग के लिए 48 पद की मॉग प्रमुख सचिव, कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0 शासन लखनऊ से की गयी थी परन्तु सम्प्रेक्षा तिथि तक कोई भी पद स्वीकृत नहीं था।

सम्प्रेक्षा में टिप्पणी किये जाने पर कि बिना गैर–शैक्षणिक पदों की स्वीकृति के उपरोक्त तीनों नवसृजित महाविद्यालयों का संचालन किस आधार पर तथा कैसे किया जा रहा है। इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मियों से उनके विभागीय आबंटित कार्यो के अतिरिक्त नवसृजित तीनों महाविद्यालयों का अतिरिक्त कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 29/2018/1592/67–कृषिअ–18–500(3)/17 दिनांक 11 जुलाई 2018 द्वारा नवसृजित तीनों महाविद्यालयों के लिए कुल 151 पद शैक्षणिक संवर्ग के लिए सृजित किये गये है परन्तु गैर शैक्षणिक सवंर्ग का कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है। उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1564956/67–कृषिअ–21–1001(003)/55/2019 दिनांक 04.03.2021 द्वारा उक्त पदों को वर्श 2021–22 में दिनांक 28.02.2022 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि शैक्षिक सत्र 2019–20 में कालेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं फूड प्रोसेसिंग में 10 विभाग, कालेज ऑफ हार्टिकल्चर में 08 विभाग तथा कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 13 विभाग संचालित होने तथा तीनों महाविद्यालयों में कुल 123 छात्रों के अध्ययनरत होने के बावजूद कोई गैर–शैक्षणिक संवर्ग का पद स्वीकृत नहीं था। जबकि आई0सी0ए0आर0/ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कम से कम 60 प्रतिशत गैर–शैक्षणिक संवर्ग का पद स्वीकृत होना आवश्यक था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद् की दिनांक 10 अक्टूबर 2013 को आयोजित 23 वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु शैक्षणिक पदों के साथ–साथ गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की आवश्यकता हेतु संस्तुति भी की गयी थी।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

इस प्रकार उपरोक्त तीनों नवसृजित महाविद्यालयों में सम्प्रेक्षा तिथि तक गैर–शैक्षणिक संवर्ग का कोई पद स्वीकृत नहीं था जबकि बिना गैर–शैक्षणिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति के नवसृजित महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रयोगशालाओं/कार्यालयों से सम्बन्धित कार्यो का सुचारू रूप से संचालन होना मुश्किल था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

भाग–दो (ब)

प्रस्तर सं0–18 इकाई में आंतरिक नियंत्रण का अभाव।

प्रस्तर सं01–इकाई द्वारा तैयार की गई सहायक रोकड़बहियों में बैक रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट नहीं बनाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप बैक खातों एवं रोकड़बही के अंतिम अवशेषों का मिलान लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका है।

प्रस्तर सं0–2 इकाई के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चोरी,हानि,गबन,फ्राड और करप्सन को रोकने हेतु कोई कार्यप्रणाली विकसित की गयी हो के अभिलेखीय साक्ष्य सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

प्रस्तर सं–03 कार्यालय में कार्यरत निम्नलिखित चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं कि जॉच में पाया गया कि कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में ग्रेच्युटी, मृत्यु उपादान, पेंशन, सामूहिक बीमा योजना, आदि से सम्बन्धित नामांकन प्रपत्र संलग्नक कर सेवा पुस्तिकाओं मे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर चस्पा नहीं किया गया है एवं सेवा पुस्तिकाओं में सेवाओं का सक्षम अधिकारी स्तर से आवधिक सत्यापन नही किया जा रहा है। नरेन्द्र,चन्द्रपाल,सहन्सरपाल,विरेन्द्रसिह,चमनसिह,गुरूप्रसाद,अनिककुमार,गोपालबहादुर,रणवीरसिह,अशोककुमार,शान्तिदेवी,आशाराम,सुमनआदि निम्नलिखित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जॉच मे पाया गया कि विगत कई वर्षो से लेखा अवकाश अपूर्ण था। गोपाल बहादुर वर्ष 2007 से अपूर्ण, रणवीर वर्ष 2016 से अपूर्ण, अशोक कुमार, वर्ष 2017 से अपूर्ण, शान्ति देवी वर्ष 2019 से अपूर्ण ,आशा राम वर्ष 2019 से अपूर्ण,सुमन वर्ष 2019 से अपूर्ण, रज्जनलाल वर्ष 2016 से अपूर्ण।

प्रस्तर सं–04 सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित टैक्टर सं0 (महेन्द्रा टैक्टर B275DI)की लॉग बुक में रू0 600 के भराये गये डीजल की माप के साथ Bill NO अंकित नही किया गया जो कि संदिग्ध है, इसी प्रकार लाग बुक मै टैक्टर के संचालित होने की अवधि की प्रविष्टि किये बिना ही घंटो का निर्धारण कर दिया गया अर्थात टैक्टर किस अवधि से किस अवधि तक चला तथा कितनी दूरी तक चला का संज्ञान लिये बिना ही घंटों का निर्धारण किया जाना भी संग्धि है।

प्रस्तर सं–05 सम्प्रेक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी श्री गोपाल बहादुर राजपूत (सुरक्षा चौकीदार) की सेवा पुस्तिका की प्रथम पृष्ठ के जॉच में पाया गया कि श्री गोपाल बहादुर की जन्म तिथि 05.06.1962 है। जिसे विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा पुष्टि में सत्यापित भी किया गया है। जबकि श्री गोपाल बहादुर की सेवा पुस्तिका के प्रयत्र (अ) मेडिकल रिपोर्ट व लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की गई

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

आगामी पॉच वर्षो में सेवा निवृत्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची के अनुसार श्री गोपाल बहादुर की जन्म तिथि 05.11.1962 अंकित किया गया है। भिन्नता के सुधार का सत्यापन आगामी लेखापरीक्षा में कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं–06 सम्प्रेक्षा के दौरान श्री देवेन्द्र पाल (मिल्कमैन) की सेवा पुस्तिका की जॉच में पाया गया है कि इनकी जन्म तिथि सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर दि0 06.01.1975 शब्दो व अंकों में अंकित है, जबकि व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख आदर्श इण्टर कॉलेज हरी मेरठ छात्र पंजिका एवं स्थानान्तरण सर्टिफिकेट के अनुसार जन्म तिथि शब्दो व अंको में 10.08.1974 अंकित है जोकि संदिग्ध है। देवेन्द्र पाल की जन्म तिथि सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर 06.01.1975 अंकित है जिसे सक्षम प्रधिकारी द्वारा सत्यापित किया है। वास्तविक आधार पर जन्मतिथि का सत्यापन कराया जाना आगामी लेखापरीक्षा में अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं–07 सम्प्रेक्षा के दौरान श्री प्रमोद कुमार (मिल्कमैन) की सेवा पुस्तिका की जॉच में पाया गया है कि इनकी जन्म तिथि सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के अनुसार 09.04.1965 शब्दो व अंको में दर्ज है। जबकि श्री प्रमोद कुमार की सेवा पुस्तिका के प्रपत्र (अ) अनुसार इनकी जन्म तिथि 19.04.1965 शब्दो व अंको में दर्ज है। जो कि संदिग्ध है इनकी जन्म तिथि की दो अलग–अलग प्रविष्टियॉ किस आधार पर और किस अभिलेख के अनुसार की गई, व्यक्तिगत पत्रावली में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इस तथ्य का सत्यापन आगामी लेखापरीक्षा में कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0 –8 सम्प्रेक्षा के दौरान एकिप योजनान्तर्गत इकाई द्वारा वित्तीय प्रगति आख्या के सापेक्ष भौतिक प्रगति आख्या के कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जा सके जिसका कोई परिणाम लेखापरीक्षा में नहीं निकाला जा सका। योजना का वित्तीय/भौतिक परिणामों का सत्यापन आगामी लेखापरीक्षा में सत्यापन अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तरसं0–9 प्रसार निदेशालय विभाग मे कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं कि जॉच में निम्न कमियॉ पायी गयी की अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में अद्यतन तक सेवा विवृत्त ग्रेच्यूटी मृत्तु उपादान पेंशन सामूहिक बीमा योजना आदि से सम्बन्धित नामांकन प्रपत्र संलग्नक कर सेवा पुस्तिकाओं में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर चस्पा नही किया गया है।

	नाम	पदनाम
1-	डा0 तेजबाहदुर यादव	सहा0 प्राध्यापक
2-	डा0 डी0 पी0 सिंह	प्राध्यापक
3-	डा0 सुखदेव सिंह	प्राध्यापक

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

4-	डा0 रीना चडडा सेठी	प्राध्यापक
5-	डा0 सरिता जोशी	प्राध्यापक
6-	डा0 अमित यादव	सहा0 प्राध्यापक
7-	डा0 राकेश तिवारी	सहा0 प्राध्यापक
8-	डा0 ए0वी0 सिंह	सहा0 प्राध्यापक
9-	डा0 अमरजीत सिहं राठी	सहा0 प्राध्यापक
10-	डा0 संदीप चौधरी	सहा0 प्राध्यापक
11-	डा0 सुरेश कुमार	सहा0 प्राध्यापक
12-	डा0 श्री पाल सिंह	सहा0 प्राध्यापक
13-	डा0 संजय सिंह	सहा0 प्राध्यापक
14-	डा0 अमित चौधरी	सहा0 प्राध्यापक
15-	डा0 आर0 के0 सिंह	प्राध्यापक एवं अध्यक्ष
16-	डा0 शैलेन्द्र सिंह ढाका	सहा0 प्राध्यापक
17-	डा0 अरविन्द कुमार	सहा0 प्राध्यापक
18-	डा0 पी0एस तिवारी	सहा0 प्राध्यापक
19-	डा0 हंसराज सिंह	सहा0 प्राध्यापक
20-	डा0 विवेकराज	सहा0 प्राध्यापक
21-	श्रीमति बिना यादव	सहा0 प्राध्यापक
22-	डा0 शकुन्तला गुप्ता	सहा0 प्राध्यापक
23-	डा0 सतीश कुमार	सहा0 प्राध्यापक
24-	डा0 विरेन्द्र सिंह	सहा0 प्राध्यापक
25-	श्रीमति सविता आर्य	सहा0 प्राध्यापक
26-	श्री नवीन चन्द्रा	सहा0 प्राध्यापक
27-	हसन तनवीर	सहा0 प्राध्यापक
28-	डा0 प्रमोद कुमार मडके	सहा0 प्राध्यापक
29-	डा0 विपिन कुमार	सहा0 प्राध्यापक
30-	डा0 ओम वीर सिंह	सहा0 प्राध्यापक
31-	डा0 फैज मोहसिन	सहा0 प्राध्यापक

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

उपरोक्त के प्रपत्र भरकर आगामी लेखापरीक्षा में सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0 10 विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत आवासों, कृषि महाविद्यालय के भवनों तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कराये गये अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य अंतिम बार कब कराये गये के अभिलेखीय साक्ष्य सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जा सके जिससे लेखापरीक्षा में कराये गये कार्यो के पुनरावृत्ति की सम्भवना का सत्यापन नहीं किया जा सका।

प्रस्तर सं0 11 कृषि विज्ञान केन्द्र चित्तौड़ा द्वारा प्रजातिवार वृक्षों की स्टाक पंजिका नही बनाई गई है जिससे अधिशाशी अधिकारी मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा हस्तानान्तरित वृक्षों एवं विज्ञान केन्द्र चित्तौड़ा द्वारा विलम्ब से की गई गणना के कारण अंतर आए वृक्षों का सत्यापन नही किया जा सका जो कि संदिग्ध है।

प्रस्तर–सं0 12 विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सामान्य खाते की रोकड़बही का रखरखाव मार्च 2019 के पश्चात नहीं किया गया है।

प्रस्तर सं0–13 सम्प्रेक्षा के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के पटल सहायक द्वारा प्राप्त की जा रही नगद धनराशियॉ नियमानुसार निर्धारित तिथियों में बैक में जमा नहीं करायी जा रही है न ही दिन–प्रतिदिन होने वाले कैश ट्रान्जेक्सन की प्रविष्टियॉ रोकड़बही में दर्ज की जा रही है परिणामस्वरूप पटल सहायक द्वारा विभिन्न मदों से प्रप्त की गई रू0 45000 की गई नकद धनराशि अस्थाई रूप से स्वयं के पास रखते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खाते में जमा की गई जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

प्रस्तर सं0 14 विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सामान्य खाते की रोकड़बही का रखरखाव मार्च 2019 के पश्चात नहीं किया गया है। तथा माह मार्च 2019 में रोकड़बही के अंतिम अवशेष की धनराशि रू0 51186505 का निराकरण आगामी लेखापरीक्षा में कराया जाना अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0 15 विश्वविद्यालय के नियंत्रणा धीन 3 जोनल अनुसंधान केन्द्र बदायूँ, बुलन्दशहर एवं बिजनौर द्वारा विगत तीन वर्षो में रू0 80.00 लाख की धनराशियॉ विभिन्न अनुसंधान कार्यो पर ब्यय की गई जिसके सापेक्ष कोई भी कार्ययोजना/ऐक्सन प्लान/सोइंग प्लान नहीं बनाये गये है। जिससे ब्यय धनराशि के सापेक्ष लेखापरीक्षा में कोई परिणाम नहीं निकाले जा सके।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

प्रस्तर–सं0 16 सम्प्रेक्षा के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि श्री स्व0 मंगलदास पुत्र श्री आसे कृषि श्रमिक की मृत्यु दि0 09.07.2021 को आकास्मिक निधन हो गया आकास्मिक निधन के उपरान्त किसी भी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उसकी प्रविष्टि दर्ज कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये तथा सेवा पुस्तिका के नामांकन प्रपत्र के अनुसार मृतक के समस्त देयताओं का निराकरण नियमानुसार किया जाना चाहिये।

प्रस्तर सं0–17 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कोवास परियोजना का कार्य टाइमलाइन के अंदर पूरा नहीं किया जा सका है।

प्रस्तर सं0–18 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि राश्ट्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस्टेबलिसमेंट ऑफ रेफरल एनाटिकल लेबोरटरी फार माइकोबायल टॉक्सिन एण्ड इनवायरमेंट पाल्यूसन परियोजना का कार्य पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद विश्वविद्यालय की शिथिलता के कारण अपूर्ण रह गई है। परियोजना पर रू0 393.00 लाख की पुर्नबैधता का सत्यापन आगामी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0–19 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठान द्वारा माह 8/2020 में कय किये गये रू0 1.84 लाख के कम्प्यूटर सामग्रियॉ प्रतीस्थापित नहीं की गई है।

प्रस्तर सं0–20 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन सेल बायोलाजी डिपार्टमेंट द्वारा रू00.90लाख, कामर्शियल बायोटेक द्वारा रू0 0.30 लाख एवं इम्यूनोलाजी डिपार्टमेंट द्वारा रू0 2.48 लाख की धनराशि के केमिकल कय किये गये जिसके सापेक्ष केमिकल्स की एक्सपायरी व मेंनुफेक्चरी की तिथियों का ध्यान नही रखा गया है।

प्रस्तर सं0–21 सम्प्रेक्षा के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रो के फार्मों पर कराये जा रहे अनुसंधान/शोध कार्यों के फसल निरीक्षकों से सम्बन्धित सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे लेखापरीक्षा परिणाम नहीं निकाले जा सके।

प्रस्तर सं0–22 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय विवरणों एवं बजट में प्रारंभिक अवशेष व अंतिम अवशेष की धनराशियों को प्रदर्शित नहीं की गई परिणामस्वरूप पूर्व अवशेष धनराशियों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

प्रस्तर सं0–23 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट में फार्म मद में प्राप्त धनराशि रू0 252.89 लाख के सापेक्ष रू0 279.07 लाख व्यय किया गया, जोकि बजट प्राप्ति से रू0 16.18 लाख अधिक व्यय किया गया है। प्राप्त बजट से अधिक व्यय का सत्यापन नहीं कराया गया। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा मद में प्राप्त बजट शून्य है जबकि उक्त दोनो वर्षो में रू0 0.20–0.20 लांख व्यय किया गया। उक्त व्यय किस मद से किया गया सम्प्रेक्षा में सत्यापन नहीं कराया गया।

प्रस्तर सं0–24 विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य भविश्य निधि से सम्बन्धित आहरणों का सत्यापन डी0डी0ओ रिकान्सिलेशनशीट के आधार पर कराये जाने हेतु उपलब्धता सुनीश्चित नहीं की गई है जिसका सत्यापन आगामी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0–25 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच हेतु उपलब्ध करायी गयी किसी भी पत्रावलियों में पृष्ठांकन नहीं किया गया था न ही पत्रावलियों का कोई भी इन्डेक्स रजिस्टर बनाया गया है।

प्रस्तर सं0–26 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों इमरत सिंह, रणवीर सिंह, हरि सिंह, शान्ती देवी,जोगेन्द्र,देवेन्द्र पाल एवं रविकान्त तिवारी की पासबुकों के प्रथम पृष्ठ पर पासबुक जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर नही हैं। एवं शांति देवी, गोपाल बहादुर, अनिल कुमार, गुरू प्रसाद आदि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवापुस्तिकाओं में जन्मतिथियॉ शब्दों में अंकित नही है।

प्रस्तर सं0–27 वेबसाइट के अवलोकन एवं विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उसमें जो भी सूचनाएं आदि प्रदर्शित हैं वह सभी अद्यतन नही हैं। वेबसाइट के अद्यतन किये जाने का सत्याापन आगामी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0– 28 सम्प्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के जलकल विभाग द्वारा रू0 26.73 लाख का कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये विभिन्न वर्षो में, टुकड़ों में बॉटकर कराया गया है।

प्रस्तर सं0–29 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2019–20 में राहुल कौशिक मोटर्स को रू0 2.96 लाख वर्ष 2020–21 में राहुल कौशिक मोटर्स व शांति टूरिस्ट को रू0 5.16 लाख वर्श 2019–20 में राहुल कौशिक मोटर्स को रू0 1.33 लाख एवं 2020–21 में आई0सी0ए0आर0/यू0पी0 गौरमेंट प्रोजेक्ट एवं नाहेप परियोजना मद से शांति टूरिष्ट को रू0 0.80 लाख सहित कुल धनराशि रू0 10.27 लाख का भुगतान किया गया परंतु सम्बन्धित फर्में यू0पी0 टूरिजम विभाग में रजि0 थीं

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

के साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये और न ही सम्बंधित हायर की गई गाड़ियों की सूची के साथ उनकी परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन के साक्ष्य उपलब्ध कराये गये।

प्रस्तर सं0–30 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय में डाक टिकट पंजिका का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है।

प्रस्तर सं0– 31 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में रू0 100.00 लाख की लागत से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य कराया गया जिसके अभिलेख समय पर लेखापरीक्षा में परिणाम निकाले जाने हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये।

प्रस्तर सं0–32 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की लगभग 160 कुन्तल कॉपिया निश्प्रयोज्य पड़ी थीं जिनका ऑक्सन नहीं कराया गया है।

प्रस्तर सं0–33 सम्प्रेक्षा के दौरान नाहेप परियोजना के अभिलेख/मॉगी गई सूचनाए लेखापरीक्षा में समय पर उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे परियोजना पर ब्यय धनराशि के कोई लेखापरीक्षा परिणाम नहीं निकाले जा सके।

प्रस्तर सं0–34 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि वित्त नियंत्रक का वाहन नीलाम करके विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति के पास वाहन होते हुए भी इन्नोवा मॉडल–1 गाड़ी क्रय कर ली गई जबकि गाड़ी का क्रय वित्त नियंत्रक हेतु किया जाना चाहिये था। परिणामस्वरूप वित्त नियंत्रक हेतु प्राइवेट टैक्सी अनुबंधित करके परिहार्य ब्यय किया जा रहा था। परिहार्य ब्यय के उक्त प्रकरण का समायोजन आगामी सम्प्रेक्षा में अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0 –35 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन अनुसंधान केन्द्र नगीना, बुलन्दशहर एवं उझानी में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता नहीं थी जिसका सत्यापन आगामी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0–36 पी0एच0डी0 धारको को दिये गये इन्सेटिव के आधार का सत्यापन आगामी लेखापरीक्षा में अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0 –37 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा क्रय की गई उत्तर पुस्तिकाएं कॉपी ए मात्रा 40 हजार एवं उत्तर पुस्तिकाएं बी मात्रा 36 हजार आवश्यक्ता से अधिक क्रय करके स्टाक में अवरूद्ध रखी गई है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

प्रस्तर सं0–38 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि बीज विधायन केन्द्र पर कायिक रूप से प्रवद्धित फसलों हेतु क्या प्रकिया अपनायी गयी है कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तथा प्रवद्धित फसलों हेतु किन–किन कूटांकों का प्रयोग किया जा रहा है सत्यापन आगामी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0–39 सम्प्रेक्षा के दौरान बीज विधायन केन्द्र द्वारा फसलों के प्रजातिवार उत्पादन एवं अंतःग्रहण बीजों की मात्रा का भण्डारण अलग–अलग लगाये गये स्टैक कार्डो का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं कराया जा सका जिसका सत्यापन आगामी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा। इसी प्रकार बीजों के उत्पादन का अनुमानित उपज, बिधायन के दौरान प्रयोग की जाने वाली जाली,नमी मापक यंत्र, पुनः विधायन के साक्ष्य एवं बीज बिधायन केन्द्र पर संचालित संयत्रों पर निरीक्षकों की तैनाती का सत्यापन भी आगामी लेखापरीक्षा में अपेक्षित रहेगा।

प्रस्तर सं0–40 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन चिरौड़ी फार्मों पर फसल निरीक्षकों द्वारा फसलों की गणना नहीं की जा रही है और न ही निरीक्षकों के निरीक्षण की प्रतिया फार्मों पर सुरक्षित रखी जा रही है।

प्रस्तर सं0–41 अनियमित व्यय।

अ–अभिलेखों की जांच (नवम्बर, 2021) में पाया गया कि मानवदिवस आकलन समिति के बैठक के अभिलेख जैसे समिति के सदस्यों की उपस्थिति पंजिका एवं उसका कार्यवृत नही था जिससे सम्प्रेक्षा में यह सत्यापित नही हो पाया कि मानवदिवसों का आकलन/विश्लेषण प्रश्नगत समिति की बैठक कर एवं विचार विमर्श करके किया गया।

आगे जांच में पाया गया कि तकनीकी बिड खोलने के बाद वित्तीय बिड तुरन्त खोली जानी चाहिए जबकि बिना किसी औचित्य एवं आधार के उसे अत्यन्त बिलम्ब अर्थात् 14 दिनों बाद खोला गया जिसको खोलने की सूचना भी सम्बन्धित बिडर्स को नही दी गयी। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

ब–सेवाप्रदाता मेसर्स अलकनन्दा एसोसिएट्स द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में ठेके के आधार पर उपलब्ध कराए गए कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की मासिक उपस्थिति विवरण की नमूना जांच में पाया गया कि

1. वीसीसी विंग एक चिकित्सालय था जहॉ जानवरों की चिकित्सा, उनका आपरेशन आदि किया जाता है जोकि अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं कोबिड के दौरान अनुमन्य कार्यों मे से एक था। माह मार्च 2020 की उपस्थिति पंजिका के अनुसार कोबिड 19 के कारण शासन द्वारा जैसे लाकडाउन की घोषणा की गयी दिनांक 22 मार्च 2020 से सभी श्रमिकों की सेवाएं लेना बन्द कर दिया गया था। जबकि सेल बायलोजी, रिकमबिनेशन टेक्निक, पुस्तकालय, बायोटेक कालेज एमबीजीई आदि में बराबर सेवाएं लाकडाउन में प्राप्त दिखायी गयी।
2. लाकडाउन मार्च 2020 के दौरान पुस्तकालय/क्लासरूम, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायलाजी, कालेज आफ बायोटेक आदि में श्रमिकों से लाकडाउन में

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

सेवाएं प्राप्त की गयीं किन्तु बिना समुचित आधार के उन्हें उनके भुगतान से वंचित कर दिया।

3. मार्च 2020 में 9 एवं 10 को तथा मार्च 2021 में 28 एवं 29 मार्च होली थी जिस पर राजपत्रित अवकाश था इसके बावजूद उपस्थिति पंजिका में पशु अनुसंधान केन्द्र, बीज उत्पादन केन्द्र, बीज विधायन संयत्र, कुलपति कैम्प कार्यालय, मशरूम प्रयोगशाला, ओआईसी पूल, शोध निदेशालय आदि में उपस्थित दिखाकर भुगतान किया गया।
उक्त प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0–42 तुलनपत्र वर्ष 2019–20 में काटे गये कर की धनराशि रू0 2.39 का गलत वर्गीकरण किया जाना।

सम्प्रेक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के तुलनपत्र वर्ष 2019–20 (एजुकेशन एकाउन्ट) की जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे कर जिन्हे काटकर तुरन्त शासकीय खातों में तत्काल जमा किया जाना चाहिये था, उन करों को विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय खातों में जमा नहीं करके विश्वविद्यालय के तुलंनपत्र वर्ष 2019–20 (एजुकेशन एकाउन्ट) के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित किये जाने के बजाय तुलनपत्र के परिसम्पत्तियॉ पक्ष में स्वयं की सम्पत्ति के रूप में दर्शाया गया है।
तुलनपत्र वर्ष 2019–20 (एजुकेशन एकाउन्ट)

कम सं0	मद	धनराशि रू0 में
1.	टी0डी0एस0	95,290.00
2.	जी0एस0टी0	1,44,049.00
3.	योग	2,39,339.00

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0–43 विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों का तैयार नहीं किया जाना।

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों, तुलन–पत्र, आय–व्यय विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा सहित विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी उक्त प्रकार लेखों को तैयार नहीं कराया गया है जिसके कारण विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों एवं आर्थिक स्थिति का स्पष्ट आकलन एवं जांच करना संभव नहीं हो पाया है। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

प्रस्तर सं0–44

वित्तीय वर्ष	कुल विद्यार्थियों की संख्या	कॉशन मनी से प्राप्त कुल धनराशि (रू0 में)
2019–20	602	22,32,000
2020–21	564	20,69,000
	1166	43,01,000

उपरोक्तानुसार वसूल की गई कासन मनी की धनराशियों के जमा सम्बन्धी सत्यापन हेतु कोई भी मूल अभिलेखीय साक्ष्य यथा बैंकस्टेटमेंट/डिपोजिट रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये जा सके इसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा सम्प्रेक्षा अवधि वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 तक कितनी धनराशियॉ प्रारंभिक अवशेष/अंतिम अवशेष के रूप में पड़ी थी अज्ञात थी एवं सम्प्रेक्षा अवधि तक कितनी धनराशियॉ छात्र–छात्राओं का वापस लौटाई गई के कोई भी मूल अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नही है।
अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0–45 सम्प्रेक्षा के दौरान जॉच में पाया गया कि बीज उत्पादर केन्द्र चिरौडी के पत्रांक सं0व0प0/2021/स0 निदेशक/दिनांक 25.10.2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत चिरौड़ी फार्म पर ट्राली, कल्टीवेटर, राइजर, लिफ्ट हैरो, पावर स्प्रेयर, जेनसेट, ट्रैक्टर, सहित विभिन्न प्रकार की सामाग्रियों/मशीनरियॉ/उपकरण सहित कुल 70 सामग्रियॉ बिना मूल्य निर्धारण के स्टाक में निष्प्रयोज्य पड़ी थीं जिनकी नीलामी विगत कई वर्षों से प्रकियाधीन है जिनका लगातार ह्रास होता जा रहा है। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि निष्प्रयोज्य पड़ी सामग्रियों का मूल्य ज्ञात कर शीघ्र ही नीलामी की प्रकिया सुनीश्चित की जायेगी उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा ऐसी कोई समिति अद्यतन तक नहीं गठित की गई थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की निष्प्रयोज्य पड़ी सामग्रियों का कब और किस प्रकार मूल्य का निर्धारण कर नीलामी सुनिश्चित की जायेगी। परिणामस्रूप निष्प्रयोज्य पड़ी सामग्रियों का लगातार ह्रास होता जा रहा है। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0–46 विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत संचालित कृषि फार्म पर कय किये गये रू0 26.07 लाख मूल्य के फर्टिलाइजर्स की खाली बोरियो का समुचित रख–रखाव नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0–47 विश्वविद्यालय द्वारा 256.81 हेक्टेयर भूमि को एवं परिसम्पत्तियों का आवधिक भौतिक सत्यापन न कराकर परिसम्पत्ति पंजिका/भूमि भवन पंजिका में एवं बैलेन्स शीट के स्थायी सम्पत्ति में इन्हें प्रदर्शित नहीं किया जाने के कारण भूमि एवं स्थायी सम्पत्ति नियमों की अवहेलना की गयी है। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

प्रस्तरसं0–48 विश्वविद्यालय, मेरठ के नियंत्रणाधीन कृषि विज्ञान केन्द्र हस्तिनापुर में 55 कुन्तल (गेहूँ) बीज, कृषि विज्ञान केन्द उझानी (बदायूँ) में 17.40 कुन्तल (उर्द) बीज एवं अनुसंधान केन्द्र नगीना (बिजनौर) मेंबासमती–1509 रॉ सीड्स धान 111.00 कुन्तल विभागीय लापरवाही के कारण अयोग्य पाया गया। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर सं0–49 विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड के अनुमोदन के बिना ही रू0 93643796.00 का एकल खाताधारक के पदनाम से एफ.डी.आर. निवेशित किया गया है। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)